लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[पाँचवां सत्र
Fifth Session]

[खंड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol.XVII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

10 अगस्त, 1972 । 19 श्रावण, 1894(शक) का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
(i)	प्रश्न संख्या 161 में `संयुक्त' के पश्चात 'प्रबन्ध पढ़िये ।
(i)	नीचे से पंक्ति संख्या आठ में `(श्री आर.के.खाडिलकर) के स्थान पर `श्री बालगोविन्द वर्मा ` पढ़िये ।
121	नीचे से पंक्ति 12 में `(मंत्रालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल टी.3333।72) जोड़िये ।
123	पंक्ति 9 में नाई के स्थान पर नई पढ़िये ।
125	पंक्ति 15 में संख्या के पश्चात् 'दो जोड़िये ।

विषय सूची/CONTENTS

अंक 9, बृहस्पतिवार, 10 अगस्त, 1972/19 श्रावण 1894 (शक)
No. 9, Thursday, August 10, 1972/Sravana 19, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
161 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संयुक्त परिषदें	Joint Management Councils in Public Sector Undertakings	... 1—3
162 पश्चिम बंगाल में कम्पनियों के पास कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	E.P.F. Arrears with Companies in West Bengal	... 3—6
164 मजदूर संघों के पंजीकरण तथा मान्यता के लिए समान विधान	Uniform Legislation for Registration and Recognition of Trade Unions	... 6—11
165 बन्दरगाह और गोदी श्रमिकों के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श	Discussion on Report of Central Wage Board for Port and Dock Workers	... 11—12
167 इस्पात विकास कार्यक्रम के लिए अन्तर्विभागीय समिति की स्थापना	Setting up of Inter-departmental Committee for Steel Development Programme	13
168 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधिकारियों का हैदराबाद से दौरे पर दिल्ली आना	Visit of Officers of NMDC to Delhi from Hyderabad	... 13—15
170 वारसा में भारतीय तथा चीनी दूतों की मुलाकात	Meeting of Indian and Chinese Envoys at Warsaw	.... 15—17
171 भारत पाक सीमाओं का पुन: खोला जाना	Reopening of Indo Pak Borders	... 17—18

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by that member

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
172 राजस्थान में खनिज सम्पत्ति के लिए सर्वेक्षण	Survey for Mineral Wealth in Rajasthan	... 18—19
175 आंध्र प्रदेश में स्वर्ण के निक्षेप	Gold Deposits in Andhra Pradesh	... 19—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
163 पाकिस्तान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन से अपनी शिकायत को वापिस लेना	Withdrawal of Pak Complaints from ICAO	... 21
166 केरल तथा उड़ीसा के समुद्र-तटों के साथ-साथ खनिजों के भण्डारों की खोज	Investigation of reserves of Minerals along Kerala and Orissa Coasts	... 21
173 झरिया कोयला क्षेत्रों में कोयले का एकत्रित हो जाना	Filling up of Coke in Jharia Coal Fields	... 22
174 भारत-बल्गारिया वार्ता	Indo-Bulgarian Talks	... 22
176 कानपुर कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Kanpur Textile workers	... 23
177 बिजली के संकट के कारण पश्चिम बंगाल की कोयला खानों में कोयले के उत्पादन में हुई कमी	Loss in Coal production in West Bengal collieries due to Power Crisis	... 23—24
178 केरल में इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Steel Plant in Kerala	... 24
179 बिहार में लौह अयस्क के निक्षेपों का उपयोग	Exploitation of Iron Ore Deposits in Bihar	
180 खेतड़ी तांबा परियोजना की लागत का अनुमान	Cost Estimates of Khetri Copper Project	... 25—26
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1601 हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड में अधिक आयु के कर्मचारियों की सेवा निवृति	Retirement of Over Aged Staff in Hindustan Copper Limited	... 26—27
1602 हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के अधिकारियों के वेतन	Salaries of Officers of Hindustan Copper Limited	... 27

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1603	मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना	ESI Scheme in Madhya Pradesh	... 28
1604	मध्य प्रदेश में कम्पनियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का जमा न कराया जाना	Non Deposit of EPF by Companies in Madhya Pradesh	... 28
1605	मध्य प्रदेश में खानें	Mines in Madhya Pradesh	... 28—29
1606	पूर्वी राज्यों में बंगला देश के शरणार्थी	Bangladesh Refugees in Eastern States	... 29
1607	एशियाई अफ्रीकी विधि सलाहकार समिति	Asian African Legal Consultative Committee	... 29—30
1608	गोआ मूलक व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना	Grant of Citizenship to persons of Goan Origin	... 30
1609	लौह अयस्क खनिकों के लिए आदिरूप योजनायें	Proto Type scheme for Iron Ore Miners	... 31
1610	केन्द्रीय संस्कृति समिति	Central Cultural Committee	... 31
1611	बेलाडिला खानों से लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore from Bailladila Mines	... 31—32
1612	आसाम और मेघालय में कोयला खानों के मजदूरों के लिए पेय जल की तथा अन्य सुविधायें	Drinking Water and other facilities for Coal Field Workers in Assam and Meghalaya	... 32
1613	आसाम, मेघालय और नागालैण्ड की खानों के मालिकों द्वारा कोयला खान विनियमन अधिनियमों का उल्लंघन	Violation of Coal Mines Regulations Act by Mine Owners in Assam Meghalaya and Nagaland	... 32
1614	आसाम में कोयला क्षेत्र मजदूरों को कोयला कर्मचारी कल्याण निधि से प्राप्त होना	Benefits from Coal Workers Welfare Fund to Coalfield Workers in Assam	... 32—33
1615	आसाम में रोलिंग मिलों को लोहा तथा इस्पात का वितरण	Distribution of Iron and Steel to Rolling Mills in Assam	... 33
1616	कोकिंग कोयला खानों द्वारा अर्जित दीर्घाविधि लाभ	Long term gains earned by Coking Coal Mines	... 33
1617	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Durgapur Steel Plant	... 33—34

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1618	बढ़िया चूरे से इस्पात बनाना	Making of Steel from Super Fine Dust	... 34
1619	इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन उपक्रमों में पदों का भरा जाना	Filling up of posts in undertakings under Ministry of Steel and Mines	... 34—35
1620	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारी	S.C. and S.T. employees in Ministry of Labour and Rehabilitation	... 35
1621	विदेश मंत्रालय में रक्षित स्थानों का सामन्य स्थानों में बदला जाना	Conversion of reserved vacancies into General vacancies in Ministry of External Affairs	... 35
1622	बिहार की कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी सावधानियों का अभाव	Lack of safety precautions in Coal Mines in Bihar	... 35—36
1623	बिहार की कोयला खानों में खान अधिनियम के उल्लंघन के मामले	Cases of violation of Mines Act in Coal Mines of Bihar	... 36
1624	बिहार की केडला तथा झारखण्ड कोयला खानों में कार्य की शर्तें	Working conditions in Kedla and Jharkand Coal Mines of Bihar	... 37
1625	बिहार की केडला झारखण्ड कोयला खानों के कोयला खनिकों के लिए बूट तथा हेमलेटों की व्यबस्था	Provision of Boots and Helmets for Coal Miners in Kedla and Jharkand Coal Mines of Bihar	... 37—38
1626	बिहार की केडला तथा झारखंड कोयला खानों में खनिकों की मजूरी	Wages of Coal Miners in Kedla and Jharkand Coal Mines in Bihar	... 38
1627	आर्थिक सहयोग के बारे में यूगोस्लाविया से समझौता	Agreement for Economic Cooperation with Yugoslavia	... 38—39
1638	ईरान के साथ आर्थिक सहयोग के लिए समझौता	Agreement for Economic Cooperation with Iran	... 39
1629	आर्थिक योग के लिए श्रीलंका से समझौता	Agreement with Sri Lanka for Economic Cooperation	... 40
1630	भारत-मिश्र आर्थिक समझौता	Indo-Egyptian Economic Agreement	... 40
1631	विकासशील देशों की नौकरी पर आधारित आर्थिक नीति के बारे में विकास आयोजन संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति का प्रतिवेदन	Report by U. N. Committee for Development Planning on Job oriented Economic Policy of developing countries	... 40—41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1632 पश्चिमी बंगाल पटसन समझौते को लागू करना	Implementation of West Bengal Jute Agreement	... 41—42
1633 पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिए निर्मित मकानों के विक्रय विलेखों का निष्पादन	Excution of State Deeds for Houses built for displaced persons from Pakistan	... 42—43
1634 भारतीय स्वतन्त्रता की 25वीं वर्ष-गांठ के सम्बन्ध में यादगारी तख्तियों का रखा जाना	Placing of Memorial Plaques in connection with celebration of Indian Independence	... 43
1635 इण्डियन एयर लाइन्स के विमान का अपहरण कर लाहौर ले जाने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय	Decision of International court on Skyjacking of an Indian Airliner to Lahore	... 43
1636 औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	Consumer Price Index of Industrial Workers	... 43—44
1637 अमरीका रूस सन्धि	US Soviet Pact	... 44
1638 नेपाल में महेन्द्र राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण	Construction of Mahendra National Highway in Nepal	... 44—45
1639 रेलवे के माल डिब्बों को रोक लिए जाने के कारण सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में लौह पिण्डों का कम उत्पादन	Low production of ingots in public Sector Steel Plants due to detention of Railway Wagons	... 45
1640 अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में समक्ष भारतीय पक्ष की वकालत करने के लिए श्री एन. ए. पालकीवाला की सेवायें प्राप्त करना	Engagement of Shri N. A. Palkhivala to plead India's case before International Court of Justice	... 45—46
1641 विशाखापत्तनम में जस्ता प्रद्रावक की स्थापना	Setting up of a Zinc Smelter at Vishakhapatnam	... 46
1642 आंध्र प्रदेश में अग्नि गुंडाला तांबा खानें	Agnigundala Copper Mines in Andhra Pradesh	... 46—47
1643 उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का सम्मेलन	UP Working Journalists Association Conference	... 47
1644 सार्वजनिक उपक्रमों में बोनस का भुगतान	Payment of Bonus in Public Undertakinks	... 47—48

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S .Q. Nos.		
1645 समझौता वार्ता की असफलता प्रतिवेदनों पर निर्णय	Decision of Failure of Concilliation Reports	... 48
1646 विभिन्न मजूरी बोर्डों की सिफारिशें लागू करना	Implementation of Recommendations of various Wage Boards	... 48—49
1647 कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सेवा में सुधार	Improvement of Service by ESIC	... 49—50
1648 श्रीलंका से स्वदेश लाये गये व्यक्ति	Repatriates from Shri Lanka	... 50
649 ईधन नीति समिति का प्रतिवेदन	Report of Fuel Policy Committee	... 50—51
650 कोयला बैंकों की स्थापना	Setting up of Coal Banks	... 51
651 खनिजों की खोज	Exploration in Minerals	... 51—52
652 कोयला मजूरी बोर्ड के पंचाट को लागू करना	Implementation of Coal Wage Board award	... 52
653 पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति	Registered Unemployed	... 52—53
654 राऊरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Rourkela Steel Plant	... 53
655 विदेश मंत्रियों का एशियाई शिखर सम्मेलन	Asian Summit of External Affairs Ministers	... 53—54
656 जमशेदपुर में स्पंज आयरन पायलट प्लांट	Spong Iron Pilot Plant at Jamshedpur	... 54
657 एक अमेरिकन को भारत में आने की अनुमति देने से इन्कार करना	Refusal of permission to an American to visit India	... 54—55
658 तम्बुओं के बांसों (टेन्ट पोल) की खरीद	Purchase of Tent Poles	... 55
659 इस्पात के लिए होल्डिंग कम्पनी के चेयरमैन की नियुक्ति	Appointment of Chairman of the Holding Company for Steel	... 56
660 आंध्र प्रदेश में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा खोज कार्य	Exploration work by Geological Survey of India in Andhra Pradesh	... 56—57
561 आंध्र प्रदेश में तांबे का खनन	Mining of Copper in Andhra Pradesh	... 57
662 भारत और बंगला देश के मध्य सीमा यात्रा को नियमित करना	Regulation of Border Travel between India and Bangladesh	... 57—58
563 भारत और बंगला देश के बीच संधियां और करार	Indo-Bangladesh Treaties and Agreements	... 58

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1664 राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी	National Minimum Wage	... 58—59
1665 ब्रिटेन में भारतीय दूतावास की कड़ी आलोचना	Passing of Strictures against Indian Mission in U. K.	... 59
1666 कारखाना श्रमिकों का न्यूनतम वेतन	Minimum Salary for Factory Workers	... 59
1667 श्रम संस्थाओं में हड़ताल और तालाबन्दी	Strikes and lockouts in labour Institutions	... 59—60
1668 इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भरता	Self Sufficiency in Steel Production	... 60—61
1669 खानों में दुर्घटायें	Accidents in Mines	... 61
1670 लोहा और इस्पात उद्योग का रष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Iron and Steel Industry	... 62
1671 इलाहाबाद में सिलिका रेत का पाया जाना	Discovery of Silica sand in Allahabad	... 62
1672 उत्तर प्रदेश में खनिजों को निकालने के लिए सहायता	Assistance for Exploitation of Minerals in U. P.	... 62—63
1673 आंध्र प्रदेश में तांबा और जस्ता के निक्षेपों का उपयोग	Exploitation of Copper and Zinc Deposits in Andhra Pradesh	... 63
1674 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निरीक्षकों के तबादले	Transfer of Inspectors in EPFO	... 63—64
1675 क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बिहार द्वारा बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का दौरा	Visit by RPFC Bihar to Bihar State Road Transport Corporation and Bihar State Electricity Board	... 64—65
1676 बिहार के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्लर्कों का अनुपात	Ratio of Clerks in Bihar EPFO	... 65
1678 भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को भूमि और मकानों का आवंटन	Allotment of Land and Houses to Ex-servicemen	... 65
1679 मध्यप्रदेश में उद्योगों को इस्पात का बितरण	Distribution of Steel to Industries Madhya Pradesh	... 65—66
1681 इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के उत्पादन	Production by Indian Iron and Steel Company	... 66—67

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1682 भारतीय क्रय मिशन, वाशिंगटन में कर्मचारियों की संख्या में कटौती	Reduction of Staff in India Purchase Mission, Washington	... 67
1683 पंजाबी बाग, नई दिल्ली के निकट कर्मचारी राज्य बीमा के कर्मचारियों के लिए शापिंग सेंटर	Shopping Centre for ESI Employees near Punjabi Bagh, New Delhi	... 67—68
1684 बेरोजगार शिक्षित महिलायें	Educated Unemployed Women	... 68
1685 लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्यों को लाइसेंस देने का आधार	Criteria for granting licences to States for setting up Mini Steel Plants	... 68
1686 राष्ट्रीयकृत कोकिंग कोयला खानों में गैर बिहारियों की नियुक्ति	Appointment of non Biharis in Coking coal Mines taken over	... 69
1687 बिदेशों के साथ होने वाली संधियों में प्रयुक्त भाषायें	Languages used in Treaties with Foreign countries	... 69—70
1688 बंगला देश से आए शरणार्थियों के लिए बनाए गए आवासगृहों पर व्यय	Expenditure on Houses built for Refugees from Bangla Desh	... 70
1689 राष्ट्रीकरण के पश्चात कोकिंग कोयला खानों में हड़ताल	Strike in Coking Coal Mines after Nationalisation	... 70
1690 एशिया के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था	Collective Security for Asia	... 70—71
1691 श्रीलंका में भारतीय	Indians in Sri Lanka	... 71
1692 युवक वृत्तिक राजनयिकों की राजदूतों के रूप में नियुक्ति	Appointment as Ambassadors of Young Career Displomats	... 71—72
1693 अफ्रीकी भारतीयों के भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध	Ban on Entry of African Indians into India	... 72—73
1694 पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के संबंध में केन्द्रीय वेतन बोर्ड का प्रतिवेदन	Report of Central Wage Bard for Port Dock Workers	... 73
1695 मजदूरों के कल्याण के लिए अनुसंधान योजनायें	Research Schemes for welfare of Workers	... 73—74
1696 रोजगार तथा जनशक्ति के बारे में सूचना संबंधी आधार को मजबूत बनाने के लिए सर्वेक्षण	Survey to strengthen information base regarding Employment and Manpower	... 75—76

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1697 वर्ष 1971 में विवादों का न्याय निर्णय	Adjudication of Disputes in 1971	... 76—77
1698 समझौते की कार्यवाही की असफलता के मामले	Cases of Failure of Conciliation proceedings	... 77
1699 हिन्दमहासागर की बड़ी शक्तियों को प्रति स्पर्धा से मुक्त रखने के बारे में श्रीलंका की प्रधान मंत्री से प्राप्त पत्र	Communication from Prime Minister of Sri Lanka Re : keeping Indian Ocean Free from Big Powers' Rivalry	... 77—78
1700 भारतीय खनिज उद्योग संग द्वारा खनन व्यापार सम्मेलन का आयोजन	Holding of Mining Trade convension by Federation of Indian Mineral Industries	... 78
1701 मध्यस्था पर राष्ट्रीय मध्यस्था प्रोत्साहन बोर्ड	NAPB on Arbitration	... 78—79
1702 लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore	... 79
1703 बोकारो इस्पात कारखाने के लिए इस्पात का आयात	Import of Steel for Bokaro Steel Plant	... 79—80
1704 अयस्क से टिटनियम धातु निकालना	Extraction of Titanium metal from Ores	... 80
1705 आंध्र प्रदेश में कच्चे लोहे का संयंत्र स्थापित किया जाना	Setting up of Pig Iron Plant in Andhra Pradesh	... 80—81
1706 महिलाओं में बेरोजगारी तथा अल्प रोजगारी	Unemployment and under employment among females	... 81
1707 बेरोजगारी बीमा योजना	Unemployment Insurance Scheme	... 81—82
1708 भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा बेजी गई कतरनें	Scrappings sold out by Bhilai Steel Plant	... 82
1709 भविष्य निधि का दुरुपयोग	Misuse of Provident Fund	... 82—83
1710 शिमला समझौता के बाद पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थी	Refugees from West Pakistan after Simla Agreement	... 83
1711 भारत में विदेशी दूतावास द्वारा अपने विमान का रखा जाना	Maintaining of own aircraft by Foreign Embassies in India	... 84
1712 भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के विभागों का कलकत्ता से स्थानान्तरण	Shifting of Departments of GSI from Calcutta	... 84

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1713 भारती भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा नीलेश्वर में वाक्साइट का पता लगाया जाना	Bauxite Investigation at Nileshwar by Geological Survey of India	... 85
1714 कर्मचारी भविष्य निधि जमा न करवाने संबंधी दर्ज किए गए मामले	Cases of Default in Depositing EPF Registered	... 85—87
1715 विदेश मंत्री का अफ्रीकी और योरुपीय देशों का दौरा	Tour of External Affairs Minister of African and European countries	... 87—88
1716 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विलय	Merger of EPFO and ESI	... 88
1717 विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय तथा भारत में कार्य कर रहे विदेशी	Indians working in Foreign Countries and Foreigners working in India	... 88—89
1718 एशियाई देशों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए आर्थिक प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान	Exchange of Economic Delegations for promoting relations with Asian countries	... 89
1719 इस्पात के मूल्य में स्थिरता लाना	Stabilisation of Price of Steel	... 89
1720 खेतड़ी तांबा परियोजना के कर्मचारियों तथा प्रबंधकों के बीच विवाद	Dispute between workers and management of Khetri Copper Project	... 90
1721 विदेश सचिव द्वारा नेपाल का दौरा	Visit of Foreign Secretary to Nepal	... 90
1722 सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में उत्पादन	Production in Public Sector Steel Plants	... 90—92
1723 खेतड़ी तांबा परियोजना के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by employees of Khetri Copper Project	... 92
1724 क्षेत्रीय भविष्य निधि अयुक्त कार्यालय पंजाब में कर्मचारियों को छुट्टी दिए जाने से इन्कार	Denial of leave to employees in RPFC Office, Punjab	... 92—93
1725 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की फैडरेशन	Federation of Employees in EPFO	... 93
1726 गैर सरकारी कोयला खानों द्वारा कोयला संसाधनों का विकास तथा संरक्षण	Development and conservation of Coal resources by private colleries	... 93—94
1727 बंगला देश में इस्पात संयंत्र का निर्माण	construction of a Steel Plant in Bangladesh	... 94

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1728 विद्युत सप्लाई की कमी के कारण भिलाई इस्पात कारखाने के उत्पादन पर प्रभाव	Production in Bhilai Steel Plant due to shortage of power supply	... 94
1729 केन्द्रीय सरकार में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित स्थानों के संबंध में सर्वेक्षण	Survey of vacancies reserved for S. C. & S. T. in Central Government	... 94
1730 सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्ध	Industrial relations in Public undertakings	... 95
1731 इस्पात के उत्पादन के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम	Phased programme for production of steel	...95—96
1732 मद्रास में सिम्पसन कारखाने में हिंसात्मक घटनायें	Violent incidents in Simpson plant in Madras	... 96
1733 ब्रिटेन में जातिगत भेदभाव	Racial discrimination in U. K.	... 96
1734 पश्चिम बंगाल के कोयला उद्योग के सम्बन्ध में दिल्ली में हुई त्रिपक्षीय बैठक	Tripartite meeting in Delhi on Coal Industry of West Bengal	... 97
1735 मानव पर्यावरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र समिति का मुख्यालय	Headquarters of UN Committee of Human Environment	... 97
1736 इस्पात उद्योग के विकास के लिए एक अध्ययन दल का बंगला देश का दौरा	Visit of Study team to Bangladesh for development of Steel Industry	...97—98
1737 रायल्टी दर पर, भाड़े की दरों और पत्तनशुल्क बढ़ाने के सम्बन्ध में भारतीय खनिज उद्योग संघ से अभ्यावेदन	Representation from Federation of Indian Mineral Industries re : increase in Royalty Rates, Freight rates and Port charges	... 98
1739 तामिलनाडु में एक छोटे इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Mini Steel Plant in Tamil Nadu	... 98
1740 इस्पात और खान मन्त्रालय के अन्तर्गत स्क्रैप निगम की स्थापना	Setting up of Scrap Corporation under Ministry of Steel and Mines	...98—96
1741 रेलवे में पंजीकृत मजदूर संघ	Registered Trade Unions in Railwavs	... 99
1742 वियतनाम समस्या पर बातचीत	Negoitations on Vietnam Issue	... 100
1743 सीमावर्ती क्षेत्रों से विस्थापित परिवारों का पुनः बसाया जाना	Rehabilitation of Evacuated Families in Border Areas	... 100

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1744	औद्योगिक प्रतिष्ठानों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Industrial Establishment in Arrears of Employees provident Fund	...101—102
1745	उस ऐतिहासिक पिंजर की तलाश में जिसमें मुगल बादशाह ने गुरु तेग बहादुर को रखा था	Tracing out of Historic Cage in which Guru Teg Bahadur was kept by Mughal Emperor	... 103
1746	केन्द्र सरकार के मंत्रियों तथा अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे	Foreign Tours in Central Ministers and Government Officers	... 103
1748	केरल के कोजीकोडे जिलों में पारे के निक्षेप	Mercury Deposits in Kojhikode Dis:rict Kerala	...103—104
1749	कालीकट में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Steel Plant at Calicut	... 104
1750	उर्वरकों का आयात करने के बारे में कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव	Proposals of Agriculture Ministry regarding Import of Fertilizers	... 105
1751	दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन	Annual reports of Dandakaranya Development Authority	...105—106
1752	सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा अर्जित लाभ	Profits earned by Steel Plants in Pablic Sector	...106—107
1753	इस्पात के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Steel	... 107
1754	भवन निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की मजूरी में वृद्धि	Enhancement of Wages of Labourer engaged in construcion of Buildings	...107—108
1756	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में पूंजी निवेश	Investment in Public of Sector Steel Plants	... 108
1757	सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिए लौह पिंडों का आयात	Import of Pig Iron for Steel Plants in Public Sector	...108—109
1759	भारत और बंगला देश के बीच संयुक्त आर्थिक विकास के क्षेत्र	Joint Economic Development between India and Bangladesh	... 109
1760	भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा लद्दाख क्षेत्र का सर्वेक्षण	Survey of Ladakh Region by Geological Survey of India	...109
1761	खेतड़ी तांबा परियोजना के आसपास ताम्र अयस्क के निक्षेप	Reserves of Copper Ore around Khetri Copper Project	...109—110
1762	खेतड़ी तांबा परियोजना के लिए स्टोपों का निर्माण	Construction of Stopes for Khetri Copper Project	...110—112

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1763 राजस्थान में तांबा निक्षेपों संबंधी अनुमानों के बारे में भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण विभाग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में मतभेद	Differences in estimates of copper deposits in Rajasthan between GSI and Ministry of Steel and Mines	...112—113
1764 भारत पर से होकर पाकिस्तानी विमानों की उड़ानों पर लगी रोक के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चुनौती	Challenge to World Court's jurisdiction in the Case of ban on over flights of Pakistan Planes	... 113
1765 हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा मध्य प्रदेश में लोह और इस्पात के गोदामों की स्थापना	Setting up of Godowns for Iron and Steel in Madhya Pradesh by Hindustan Steel Ltd.	... 113
1766 सिंचाई इस्पात संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन	Production of Steel in Bhilai Steel Plant	... 114
1767 कारखाने में कार्य के घंटों के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश	Recommendation of NCL on working Hours in Factories	...114—115
1768 छावनी बोर्ड कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages of Cantonment Board Employees	... 115
1769 न्यूतम बोनस में वृद्धि का विरोध	Opposition to rise in Minimum Bonus	... 115
1770 यूनाइटेट ट्रेड यूनियन कांग्रेस की न्यूनतम बोनस की मांग	UTUC Demand of Minimum Bonus	...115—116
1771 इस्पात की नियंत्रक कम्पनी द्वारा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने सम्बन्धी योजनायें	Plans for increasing capacity Utilisation in Units of Hindustan Steel Ltd. by Holding Company for Steel	...116—117
1772 पश्चिम बंगाल में बिजली संकट का रोजगार की स्थिति पर प्रभाव	Effect of power crisis in West Bengal on Employment situation	... 117
1773 कलकत्ता पत्तन पर लौह अयस्क चढ़ाने उतराने वाले कर्मकारियों की छंटनी	Retrenchment of workers of Calcutta port Handling Iron Ore	...117—118
1774 पाकिस्तान के राष्ट्रपति की पुत्री की भारत यात्रा	Visit of Pak President's Daughter to India	... 118
1775 विदेशों में भारत मूलक लोग	Persons of India Origin in Foreign Countries	... 118—119

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1776 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के कारीगरों द्वारा हड़ताल	Strike by artisans of HEC Ranchi	...119—120
1777 खेतड़ी तांबा परियोजना के मुख्य कार्यालय का कलकत्ता को स्थानान्तरण	Shifting of Headquarters of Khetri Copper Project to Calcutta	...120
1778 रूस और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से रुपयों में भुगतान के आधार पर कम्प्यूटरों की खरीद	Purchase of Computers by rupees Payment from USSR and GDR	...120—121
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	...121—122
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	...122
याचिका समिति	Committee on Petitions	...122
छठा प्रतिवेदन	Sixth Report	...122
नागालैंड के मुख्य मंत्री की हत्या करने के प्रयास के बारे में वक्तव्य	Statement re. Attempt on the life Chief Minister of Nagaland	...122—123
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	...122—123
पंजाब नई राजधानी (परिवृत्त) नियंत्रण (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित	Punjab New Capital (Periphery) Control (Chandigarh Amendment) Bill—Introduced	...123
आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Unprecedented Rise in Prices of Essential Commodities	...123—157
श्री पी. एम. मेहता	Shri P. M. Mehta	...124— 25
श्री आर. डी. भंडारे	Shri R. D. Bhandare	...125—126
श्री एस. एम. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	.. 126—128
श्री बी. आर. भगत	Shri B. R. Bhagat	...128—129
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	...129—131
श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय	Shri Narsingh Narain Pandey	...131
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy bosu	...131—133
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Mahata	...133—134
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	...134— 35

विषय	Subject	पृष्ठ/Peges
श्री के. आर. गणेश	Shri K. R. Ganesh	... 135—137
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	... 137—138
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	... 138—140
श्रीमती गायत्री देवी—जयपुर	Shrimati Gayatri Devi of Jaipur	... 140—41
श्री डी. डी. देसाई	Shri D. D. Desai	... 141—42
श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	... 142—144
प्रो० मधुदण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	... 145—47
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswamy	... 147
श्री पी. आर. शिनाय	Shri P. R. Shenoy	... 147
श्री टी. सोहन लाल	Shri T. Sohan Lal	... 148
श्री सी. एम. स्टीफन	Shri C. M. Stephen	... 148
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	... 148—57

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 10 अगस्त, 1972/19 श्रावण, 1894 (शक)
Thrusday, August 10, 1972/Sravana 19, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें

*161. **श्री जे. एम. गौडर** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें बना दी गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें नहीं बनाई गई हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) से (ग). संयुक्त प्रबन्ध परिषदें, नियोजकों और श्रमिकों के बीच स्वैच्छिक समझौते द्वारा स्थापित की जाती हैं और, अब तक, सरकारी क्षेत्र के 31 उपक्रमों में ऐसी परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं। संयुक्त प्रबन्ध परिषद योजना ने ज्यादा प्रगति नहीं की है। इसका कारण, आदतों की दृढ़ता और पैतृक संस्थान और उन्हें मौलिक रूप से परिवर्तित करने में असफलता हो सकती है।

श्री जे. एम. गौडर : इस सुधारवादी सरकार ने वंशगत आदतों और संस्थानों को बदलने के लिए क्या कदम उठाये हैं जिससे कि शेष सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें गठित की जा सकें। सरकार वंशगत आदतों और संस्थानों का आश्रय कब तक लेती रहेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : उत्तर से यह स्पष्ट हैं यद्यपि हर प्रयत्न किया गया था, फिर भी न तो श्रमिकों और न ही प्रबन्धकों ने यह स्वीकार किया है, जैसा कि हम चाहते थे कि संयुक्त प्रबन्ध परिषद् उनके लिए सहायक होंगी, राष्ट्रीय श्रम और आयोग की रिपोर्ट के पश्चात हम सारे प्रश्न की जांच कर रहे हैं; जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है कि इस समय 'वर्क्स' समिति विद्यमान है। अब प्रबन्धक मंडलों में ही इनको प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। अत: इस प्रकार की स्थिति में, यह व्यवस्था असफल रही है।

श्री जे० एम० गौडर : यदि संयुक्त प्रबन्ध परिषद् योजना में अधिक प्रगति नहीं हुई है तो क्या यह प्रबन्धकों की गल्ती के कारण से है अथवा सरकारी उपक्रमों की गल्ती या श्रमिकों की गल्ती के कारण से है ? और यदि योजना में ही कमियां हैं तो सरकार ने उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है श्रमिकों ने इसके प्रति उत्साह प्रकट नहीं किया है। यह प्रबन्धकों की गल्ती के कारण नहीं है। प्रबन्धक श्रमिकों को संयुक्त प्रबन्ध परिषद् व्यवस्था के प्रति हतोत्साहित नहीं करते। परन्तु इसका उद्देश्य यह है कि श्रमिक स्वयं अपना उत्साह प्रकट करें और अपने उद्देश्यों के लिए इनके गठन और लाभ उठाने के लिए सहयोग दें।

SHRI RAM SINGH SAHAI : May I know whether workers do not have any rights in Joint Management Councils. These councils are like Canteen Committees. Will the hon. Minister enquire about it ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मैंने बताया है राष्ट्रीय श्रम आयोग ने इस प्रश्न की जांच की थी और उन्होंने कुछ सिफारिशें भी की हैं। उन्होंने इस पहलू पर भी विचार किया है क्यों कि संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के अधिकार बहुत ही सीमित हैं।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : It has been stated many times by the hon. Minister that if there is a single union in one Industry there would be peace in that Industry, We are prepared to work according to this formula. As there are representatives of all the parties in Parliament similarly all shades of people should get representation in every industry. I believe that if these Councils are re-organised on these basis, the whole arrangement would work satisfactorily. In this system going to be introduced ?

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस बारे में सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और हम यह चाहेंगे कि प्रत्येक उद्योग में एक प्रतिनिधि यूनियन हो जिससे कि वर्तमान अराजकतापूर्ण अथवा अव्यवस्थित स्थिति सुधर सके।

SHRI MOOL CHAND DAGA : May I know whether any action has been contemplated against such Management who does not want to change according to the changed circumstances ? They do not want to share tables with the workers. It has been admitted by the hon. Minister that they have such habits: Has there been any change in their habits or not ?

श्री आर. के. खाडिलकर : जहां तक प्रबन्ध परिषदों का संबंध है मैं प्रबन्धकों को दोष नहीं देना चाहता। यह ठीक है कि कुछ प्रबन्धक ऐसे हैं जो समुचित रूप से सहयोग नहीं देते परन्तु सामान्यता यह कहना ठीक नहीं है कि सभी प्रबन्धक एक समान हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्रम मंत्री श्री खाडिलकर ने अपने वक्तव्य के दौरान यह कहा है कि 'वर्क्स' समिति तथा कैन्टीन समिति जैसी कुछ सांविधिक समितियां पहिले ही से विद्यमान हैं और श्रमिकों को इन समितियों में विश्वास नहीं है। अतः सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि संयुक्त प्रबन्ध परिषदों से किसी उद्देश्य की पूर्ति होगी अथवा नहीं। सरकार कम से कम इस बात के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि 'वर्क्स' समिति के निर्णयों से श्रमिक तथा सरकार, दोनों ही बाध्य हों ?

श्री आर. के. खाडिलकर : माननीय सदस्य को यह अच्छी तरह पता है कि मजदूर संघों की बहुत अधिक संख्या होने के कारण आमतौर पर प्रबन्धक स्थिति का लाभ उठा जाते हैं और किसी भी निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया जाता। परन्तु मैं ऐसे भी अनेक मामले जानता हूं जहां इन्हें कार्यान्वित किया गया। कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां इन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है हम इस बारे में एक व्यापक कानून बनाने वाले हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री को मालूम होगा कि संसद के पिछले सत्ता के दौरान सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने कार्मिक नीतियों के बारे में एक रिपोर्ट दी थी। क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी उपक्रम समिति की रिपोर्ट की इस सिफारिश का अध्ययन कर लिया है कि सभी सरकारी उपक्रमों में चुनाव के आधार पर संयुक्त समितियां होनी चाहियें और क्या उनके मंत्रालय ने अन्य नियोजक मंत्रालयों को इस सिफारिश के बारे में सूचित किया है और यदि हां, तो उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री आर. के. खाडिलकर : मैंने इस सिफारिश को देखा है और हम इसे कार्यान्वित करने के ढंग के बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री पीलू मोदी : कब तक आप इस बारे में विचार करते रहेंगे।

पश्चिम बंगाल में कम्पनियों के पास कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

*162. **श्री अजीत कुमार साहा** :
श्री जगदीश भट्टाचार्य :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में ऐसी कौन-कौन सी कम्पनियां हैं जिसके पास कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशियां बकाया हैं तथा प्रत्येक कम्पनी की ओर कितनी-कितनी राशि बकाया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री बलगोबिन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि प्रत्येक कम्पनी द्वारा देय भविष्य निधि की राशियों के बारे में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। तो भी, भविष्य निधि प्रधिकारियों द्वारा भेजा गया एक विवरण सभा के सदन पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल-टी 3340/72]। जिसमें छूट न प्राप्त ऐसे प्रतिष्ठानों के नाम और उनके द्वारा देय राशियां दर्शाई गई हैं जो 31 मार्च, 1972 को भविष्य निधि की बाबत एक लाख रुपये और इससे अधिक राशि के भुगतान के चूककर्त्ता थे।

श्री अजीत कुमार साहा : श्रमिकों की भविष्य निधि की बकाया राशियों को वसूल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : जैसा कि मैंने पहले ही बताया है हमने यह पाया है कि सख्त सजा देने के लिए कोई कानूनी उपबन्ध नहीं है। अतः जैसा कि मैंने पिछले अवसर पर कहा था हम ऐसा विधान बनाने जा रहे हैं जिसके अनुसार आवश्यक रूप से कैद की व्यवस्था होगी।

श्री अजीत कुमार साहा : पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने एक बार कहा था कि श्रमिकों की भविष्य निधि की बकायां राशियों की अदायगी न करने वाली कम्पनियों के मालिकों को आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जायेगा। क्या इस उद्देश्य से कोई गिरफ्तारी की गई है ? क्या कोई ऐसे मामले हुए हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मुख्य मंत्री के वक्तव्य का आधार एक प्रस्ताव है और वह प्रस्ताव विचाराधीन है, क्योंकि वह "आवश्यक रूप से" भी बात उसमें लाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है यह बात विचाराधीन है।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : इस विवरण से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख दैनिक, आनन्द बाजार पत्रिका की ओर भविष्य निधि राशियों का 13.32 लाख रुपया बकाया है। यह एक 'मृत' कम्पनी नहीं है। यह कम्पनी चालू कम्पनी है अतः इस बात के विचार से क्या सरकार इस दैनिक को तब तक अखबारी कागज का कोटा देना और इस दैनिक में विज्ञापन देना बन्द कर देगी जब तक यह कम्पनी भविष्य निधि राशियां अदा न कर दे।

श्री आर. के. खाडिलकर : बकाया के कुल 73 मामले है और इनमें एक समाचार पत्र का मामला है। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही के लिए सुझाव है। मैं इस बारे में इसी समय कुछ नहीं कह सकता।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : आपका विचार क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होने एक अच्छा सुझाव माना है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : 13.32 लाख रुपये की बकाया राशि का मामला है कोयला खानों के मामले में सरकार ने कुछ कार्यवाही की। इस मामले में क्यों कोई कार्यवाही नहीं की गई ? इस समाचार पत्र को विज्ञापन देने पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती ?

श्री राम सहाय पांडे : विभिन्न कारखानों और प्रबन्धकों की ओर कुल कितनी बकाया राशि है ? एक विधेयक पारित किया गया है जिसके अनुसार सरकार को बकाया राशि वसूल करने के लिए कुछ विशेष अधिकार तथा शक्तियां दी गई हैं। सरकार ने बकाया राशियों को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री आर. के. खाडिलकर : बकाया राशि 21 मार्च, 1972 को 24.65 लाख रुपये थी। माननीय सदस्य ने गलत कहा है। इस सदन ने ऐसा कोई विधान पारित नहीं किया है। यह केवल सरकार के विचाराधीन है। इसे यथाशीघ्रतापूर्वक पुरःस्थापित किया जायेगा।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार ऐसे विधान के बारे में विचार कर रही है जिसमें "आवश्यक रूप से दे दें" का उपबन्ध होगा। यह विधान पिछले अपराधों पर कैसे लागू हो सकता है ? विधान के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत अपराधियों के बिरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री आर. के. खाडिलकर : मैंने बारम्बार यह बताया है कि भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कुछ कार्यवाही की गई थी। यदि आप यह पूछें कि कितने अवसरों पर क्या कारण थे और...

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह पूछा है कि क्या उक्त विधान भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जायेगा।

श्री आर. के. खाडिलकर : सदन के सम्मुख विधान के पारित हो जाने पर हम यह कर सकते हैं। परन्तु इस प्रकार के उपबन्ध की व्यवस्था करना कठिन है। हम इस बारे में विचार अवश्य कर सकते हैं।

श्री एस. एम. बनर्जी : माननीय मंत्री ने अभी यह कहा है कि सरकार ऐसा विधान बनाने वाली है, इस समय चूक कर्त्ता अथवा चूककर्त्ता एकक व कम्पनी पर केवल मात्र 500 रुपये या 100 रुपये मात्र जुर्माना होता है और जुर्माना अदा करने के पश्चात वह स्वतन्त्र है। वह जुर्माना अदा कर देते हैं। क्या भविष्य निधि की बकाया राशियों जो बढ़कर 24 करोड़ रुपए हो चुकी हैं की वसूली के विचार से उक्त विधेयक के इसी रूप में पुरः स्थापित किया जाने की संभावना है ? क्या विधेयक पुरः स्थापित करने से पूर्व पश्चिम बंगाल में आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत और समूचे देश में भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत कोई दंडात्मक अथवा अन्य कार्यवाही की जायेगी। जिससे कि उन्हें कानून की पकड़ में लाया जा सके क्योंकि वे धन की जालसाजी कर रहे हैं और वे कुछ भी अदा नहीं कर रहे और वे श्रमिकों को उनके प्राप्य से वंचित रख रहे हैं ?

श्री आर. के. खाडिलकर : कम से कम इस बात के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा कि उक्त विधेयक को इसी सत्र में पुरःस्थापित किया जा सके। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री एस. एम. बनर्जी : मैंने यह प्रश्न पूछा है कि उक्त विधान के पुरः स्थापन से पूर्व अन्य क्या उपाय किये जाएंगे।

श्री आर. के. खाडिलकर : भविष्य निधि आयुक्त बकाया राशियों की वसूली के लिये सभी सम्भव प्रयास कर रहे हैं। मैं दायर किये गए मुकदमों की संख्या बता सकता हूं...

श्री एस. एम. बनर्जी : उन्हें केवल मात्र 500 रुपए के लगभग जुर्माना किया जाता है।

श्री आर. के. खाडिलकर : वर्तमान कानून के अनुसार मैं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता।

श्री एस. एम. बनर्जी : क्या मंत्री महोदय कोई ऐसा अवसर बता सकते हैं जब किसी व्यक्ति को एक मास के लिए अथवा एक दिन के लिए भी जेल में भेजा गया हो ?

Uniform Legislation for Registration and Recognition of Trade Unione

+

*164. DR. LAXMINARAYAN PANDEY :
SHRI LALJI BHAI :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether any uniform legislation is proposed to be enacted for the whole country for the registration and recognition of Labour Unions and also in regard to industrial disputes; and

(b) if so, the broad features thereof and the reaction of the recognised and unrecognised Labour Unions thereto ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). सभी सम्बन्धितों द्वारा त्रिपक्षीय या अन्यत्र व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए इन सब पहलुओं को सम्मिलित करने के लिए एक व्यापक औद्योगिक सम्पर्क कानून अधिनियमित करने का इरादा है। प्रस्ताव के विवरण तैयार किए जा रहे हैं।

DR. LAXMINARAIN PANDEY : Mr. Speaker, Sir, the question of recognition of trade unions is very complicated and contraversal. Most of the trade unions are of the view that the matter of recognition should be decided by secret ballot system but the Government has not been able to take any decision. It has been said. The details of the proposals are being worked out. I wish to know whether Government will fix a time limit say two months or four months by which it will be able to introduce a comprehensive enactment ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : प्रश्न के उत्तर में हमने कहा है कि हम इस सम्बन्ध में विधान बनाने पर विचार कर रहे हैं। पर जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं विधेयक को पुरःस्थापित करने से पहले हमें इसके बारे में त्रिपक्षीय संगठन और राज्यों के औद्योगिक मंत्रियों से परामर्श करना है। हम उनसे परामर्श कर रहे हैं और एक बार यह परामर्श पूरा होना और अन्य सारी बाधा के दूर होने पर हम विधेयक को सदन के समक्ष पेश कर देंगे।

DR. LAXMINARAIN PANDEY : Has the Industrial Relation measure which the hon. Minister proposes to introduce been already considered or is it going to be considered and whether all the items will be taken into consideration. I wish to know whether the report of the Labour Commission which was submitted 4 years ago and which deals in detail with the matter has been considered or not ?

श्री आर. के. खाडिलकर : जैसा कि माननीय सदस्य का कहना है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा किये गये प्रस्तावों पर पहले त्रिपक्षीय बैठक में और बाद में भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार किया गया था। दुर्भाग्यवश पहली बैठक में दो प्रमुख राष्ट्रीय श्रम संघों के सदस्य अंतिम क्षण में उठकर बाहर चले गए अतः इस बारे में आगे प्रगति न हो सकी। यह प्रसन्नता का विषय है कि अब यह संघ इस वार्ता में शामिल हो गए हैं और बाधा डालने की बजाय वह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इस कानून में और अधिक बिलम्ब न हो हमारी सहायता कर रहे हैं।

DR. LAXMINARAIN PANDEY : Mr. Speaker, Sir my question has not been replied. I wist to know whether the Government will fix a time limit by which it will be able to introduce a comprehensive Bill.

श्री आर. के. खाडिलकर : हमारा प्रयत्न है कि विधेयक को इसी सत्र में पेश कर दिया जाए पर ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। निश्चय ही दूसरे सत्र के दौरान औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में एक व्यापक कानून पेश कर दिया जायगा।

SHRI LALJI BHAI : For purposes of recognition has the Indian trade union and other trade unions asked for the introduction of ballot system ?

श्री आर. के. खाडिलकर : जहां तक मान्यता का प्रश्न है हम अभी तक सत्यापन पद्धति का अनुसरण करते आ रहे हैं किन्तु मजदूर संघों सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद में तीन प्रमुख संगठनों के बीच कुछ समझौता हुआ है और इसे आगे विचार विमर्श का आधार बनाया गया है। यदि दो दलों या संघों के बीच मामूली मतभेद होगा तो हम बेलेट की पद्धति का अनुसरण करेंगे अन्तथा वही सत्यापन की पद्धति अपनाई जाएगी।

SHRI G. P. YADAV : May I know the basis of registration and recognition of trade union and whether he is aware of the fact that the just demands of many unrecognised unions are rejected, if so the action being taken in this regard ?

श्री आर. के. खाडिलकर : नए विधान के अन्तर्गत अनिवार्य पंजीकरण होगा और इससे वर्तमान असंगत स्थिति दूर हो जाएगी।

श्री पीलू मोदी : पिछले कई वर्षों से हम इस सत्यापन की पद्धति के बारे में सुनते चले आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उचित एवं निष्पक्ष चुनाव के सम्बन्ध में विधान पारित करने में सरकार को क्या आपत्ति है ? चूंकि सरकार इस बारे में कुछ करना नहीं चाहती वह यह कहकर टालती रहती है कि इस संघ से परामर्श किया जा रहा है या उस संघ की सलाह ली जा रही है। दूसरे संघ या प्रमुख संघ इस पर सहमत नहीं हो रहे। यह स्पष्ट है कि जो लोग उद्योग में हैं वह न तो सत्यापन चाहते हैं और न ही कोई चुनाव पद्धति। अतः जब तक सरकार कोई कठोर उपाय नहीं करेगी मेरे विचार में वह कोई समाधान नहीं निकाल पाएगी। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस विधान को अपनी ओर से लाने में सरकार को क्या कठिनाई है जिसके द्वारा मजदूर संघों के सभी गतिविधियां और उनकी मान्यता लोकतांत्रिक आधार पर होगी और जो शेष सारे देश को स्वीकार्य है।

श्री आर. के. खाडिलकर : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने पहली बार मजदूर संघों की गतिविधियों की ओर ध्यान दिया है। वह मजदूर संघ क्षेत्र से अधिक परिचित नहीं हैं। यदि वह होते तो इतना अवश्य जानते कि औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में विधान बनाने की प्रक्रिया एक त्रिपक्षीय संगठन, जिसमें नियोक्ता, कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा सरकार शामिल होता है, के परामर्श पर आधारित होता है। काफी प्रयत्न करने के बाद हम एक समझौता कराने में सफल हुए हैं। केवल इतना कह देने से कि मजदूरों के सम्बन्धों के बारे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाए। कोई अर्थ नहीं निकलता।

श्री पीलू मोदी : मैं मान्यता के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री आर. के. खाडिलकर : जैसा कि मैंने कहा मान्यता औद्योगिक सम्बन्ध कानून का एक भाग है यदि वह सत्यापन या बैलेट पद्धति के बारे में सुझाव दे रहे हैं, जो कि इस चर्चा का मुख्य विषय है, तो मैंने पहले भी कहा कि हम सत्यापन पद्धति का पूरी तरह परित्याग नहीं कर रहे हैं।

SHRI BIBHUTI MISHRA : May I know whether the hon. Minister is aware that disputes between members of the union and between the union and the Management arise because the unions are neither registered not recognised properly and this result in the fall of production ?

May I know further whether Government is aware of the extent of such a fall in production and what action is being taken to avoid it ?

श्री आर. के. खाडिलकर : माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल उचित है कि श्रमिकों तथा मालिकों के आपसी झगड़ों तथा संघों की विविधता के कारण उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है अतः इस व्यापक विधान में इस पर विचार किया जाएगा।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : I want to know what rights a registered trade union has in its own respective Industry. Is it a fact that the representatives, of such trade union irrespect of the fact whether it is of Public Sector or private Sector undertaking in Constitution, are not allowed any interview with the management and their representations are not replied to. What should be the course of action in such a situation. Is Government aware of the fact that the circular whereby office bearer of a recognised trade union are not to be transfered from one place to another is not being implemented ?

श्री आर. के. खाडिलकर : सात व्यक्ति मिलकर एक मजदूर संघ बना सकते हैं और उसे पंजीकृत करा सकते हैं। किन्तु केवल पंजीकरण द्वारा उन्हें समस्त अधिकार नहीं प्राप्त हो जाते। हमारा प्रयत्न यह है कि एक ऐसा फार्मूला बनाया जाए जिसके अनुसार प्रत्येक उद्योग एवं प्रत्येक संयंत्र में एक प्रतिनिधि संघ हो और ऐसी अवस्था में प्रबंधक वर्ग उनके हितों का ध्यान रखने के लिए बाध्य होगा।

SHRI HUKAM CHAND KACHHWAI : A circular has been issued by the Government that the office bearers of a recorgnised trade union cannot be transfered from one place to another but this circular is being ignored.

MR. SPEAKER : Your question is irrelevant.

SHRI MULKI RAJ SAINI : May I know whether a recognised trade union can have any sort of agreement with a non recognised union and if such an agreement would be considered valid.

MR. SPEAKER : The question is whether a uniform legislation is proposed to be enacted...

SHRI MULKI RAJ SAINI : Such an agreement has been done in Heavy Electricals, Haridwar.

MR. SPEAKER : Why are you asking about a particular concern. Your question is off the point.

श्री आर. के. खाडिलकर : अध्यक्ष महोदय आप का कहना ठीक है यह प्रश्न संगत नहीं यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसका उत्तर देने को तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं माननीय सदस्य प्रश्न अवश्य पूछें किन्तु यह प्रश्न संगत होने चाहिएं । यदि आप इसका संक्षेप में उत्तर दे सकते हैं तो दे दीजिए ।

श्री आर. के. खाडिलकर : कई ऐसे उदाहरण है जहां मान्यता प्राप्त संघ गैर मान्यता प्राप्त संघों से बातचीत करते हैं और कई बार ऐसे मामलों में गैर मान्यता प्राप्त संघ की मान्यता प्राप्त संघों से बात अधिक चली है और इसमें यही कठिनाई है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर काफी समय लग गया है ।

श्री एस. बी. गिरि : मैं श्रम मंत्री से एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

एक माननीय सदस्य : यह एक महत्वपूर्ण मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है तो मैं आपको प्रश्न करने की अनुमति देता हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्तर पर मजदूर संघों की जो राष्ट्रीय परिषद बनाई जाने वाली है जो कि सत्तारूढ़ दल के साथ एकमत हैं क्या इसमें मान्यता के प्रश्न तथा आपके द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक पर उसी नमूने के आधार पर विचार किया जाएगा अथवा कि मन्यता के प्रश्न पर लोकतान्त्रिक आधार से निर्णय लिया जाएगा ।

श्री आर. के खाडिलकर : यह कहना बिल्कुल गलत है कि श्रम संघों की राष्ट्रीय परिषद बनाने में सरकार का कोई हाथ है। राष्ट्रीय श्रम संघ जैसे इंटक, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा हिन्द मजदूर सभा मिलकर एकता का केन्द्र बनी है । अन्य संघों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । यदि माननीय सदस्य उनके साथ मिलना चाहते है तो उनके लिए द्वार खुले हैं सरकार को इन संघों को कोई विशिष्ट रास्ता अपनाने के लिए नहीं कहा ।

श्री एस. बी. गिरि : अभी मंत्री महोदय ने कहा कोई भी 7 व्यक्ति मिलकर एक मजदूर संघ बना सकते हैं । किन्तु हम उन्हें कोई सुविधा नहीं प्रदान करते । ऐसी बातें हम पिछले 25 वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं । यदि आप किसी मजदूर संघ को सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते तो फिर अन्य यूनियनों को पंजीकृत क्यों करते हैं । क्या प्रस्तावित विधान में एक से अधिक यूनियनें होंगी अथवा केवल एक ही यूनियन का पंजीकरण किया जायेगा तथा उसे मान्यता दी जायेगी ।

श्री आर. के. खाडिलकर : माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने एक औद्योगिक सम्बन्ध आयोग की सिफारिश की है और इस बात का निर्णय वही निकाय करेगा ।

श्री एस. बी. गिरि : मेरा प्रश्न यह है कि क्या उस विधान में विविध संघों की व्यवस्था होगी ।

श्री आर. के. खाडिलकर : हमारे संविधान अनुसार यदि 7 व्यक्ति मिलकर ऐक संगठन बनाना चाहते हैं तो हम उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते । संघों की विविधता को कम करने के लिए जिस संघ को कर्मचारियों का बहुमत प्राप्त होता है, मान्यता प्रदान की जाती है ।

श्री बूटासिंह : अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ मजदूर संघ सौतेली मां जैसा व्यवहार करते हैं । कई ऐसे मामले भी हैं जहां कि अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को सरकार ने मान्यता नहीं दी । अतः क्या सरकार इन अनुसूचित जातियों का ध्यान रखते हुए, विशेषकर जब तक वह आरक्षित वर्ग में माने जाते हैं, इन जातियों के कर्मचारियों को मान्यता प्रदान करेगी ।

श्री आर. के. खाडिलकर : श्रम संघों के क्षेत्र में जातीयता के आधार पर मान्यता प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता और न ही हम ऐसे विचारों को प्रोत्साहन देते हैं । मैं इन लोगों की असमर्थता समझता हू मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं यदि हम जातीयता को श्रम संघ आन्दोलन का आधार बनाएंगे तो इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी ।

श्री बूटासिंह : मेरा प्रश्न वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। गृह मंत्रालय ने सभी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों को अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु एक जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। यह बहुत अफसोस की बात है कि इन जनसंपर्क अधिकारियों से सहानुभूति प्राप्त होने की अपेक्षा...

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न के किस भाग का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री बूटासिंह : अनुसूचित जातियों के साथ मजदूर संघ भी उचित व्यवहार नहीं करते। कोई न कोई रास्ता होना चाहिए जिससे यह लोग भी अपनी शिकायतें दूर करा सके।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या गुजरात सरकार ने विद्यमान राज्य श्रम विधान में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय श्रम मंत्रालय की सहमति प्राप्त कर ली है और क्या केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने अपनी सहमति प्रदान की है अथवा नहीं।

श्री आर. के. खाडिलकर : गुजरात सरकार ने कई प्रस्ताव हमारे समक्ष रखे हैं कुछ को हमने स्वीकृति दे दी है और शेष विचाराधीन हैं।

बन्दरगाह और गोदी श्रमिकों के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श

*165. **श्री पीलू मोदी** :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्दरगाह और गोदी श्रमिकों के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन पर बन्दरगाह और गोदी श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) उन मजदूर संघों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त विचार-विमर्श में भाग लिया है; और

(ग) इस बैठक में कौन-कौन से मुख्य निर्णय किए गए ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) मजदूरी बोर्ड की अन्तिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार करने के लिए 3 फरवरी, 1970 को एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई गई थी।

(ख) अखिल भारतीय पत्तन और गोदी श्रमिक महासंघ, बम्बई, भारतीय राष्ट्रीय पत्तन और गोदी श्रमिक महासंघ, कलकत्ता तथा पत्तन गोदी व जलतटीय श्रमिक महासंघ, मद्रास के प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में भाग लिया।

(ग) यह निर्णय किया गया कि उन मामलों के सम्बन्ध में जो विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत आ जाते हैं, से संबंधित मजूरी बोर्ड की सर्वसम्मत बहुमत सिफारिशों को स्वीकार किया जाय।

श्री पीलू मोदी : यद्यपि मैं मोदी श्रमिक नहीं हूं फिर भी मैं पुनर्वास मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं अनेक बार सभी बैठकें हुई हैं किन्तु फिर भी कलकत्ता गोदी में हड़ताल होती रहती है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं क्या मंत्री महोदय ने कभी किसी बैठक में भाग लिया है तथा मजदूर संघों से परस्पर सहयोग देते रहने का अनुरोध किया है जिसके परिणामस्वरूप इस समस्या का कोई स्थायी समाधान हो सके जिससे वहां बार-बार हड़ताल न हो क्योंकि हड़तालों के कारण राष्ट्रीय विकास में भारी बाधा पड़ती है। इन मजदूर संघों की कब बैठक बुलाई गई और क्या आप सभी मजदूर संघों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं अथवा केवल उन्हीं संघों को जिनसे आप बात-चीत करना चाहते हैं।

श्री आर. के. खाडिलकर : हम तीनों फैडरेशनों को बुलाते हैं। वे ही अधिकतर मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। माननीय सदस्य को पता नहीं है कि गत एक वर्ष और इससे भी अधिक समय से मार्गा से पत्तनों तथा गोदियों में तुलनात्मक रूप से अधिक शांति रही है। वहां कोई बड़ी व्यापक हड़ताल नहीं हुई।

कुछ छोटी-छोटी घटनाएं हुई थीं तथा उनका समाधान कर दिया गया। जहां तक मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का सम्बन्ध है इसमें बहुत समय लगा है। मजूरी बोर्ड की स्थापना 1964 में हुई थी तथा 1969 में सिफारिशें की गई थी। उन पर गम्भीरता से विचार करने के पश्चात् एक-मत से की गई सभी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है। कुछ विषमताओं की जांच की जा रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने अभी कुछ ऐसी विषमताओं का उल्लेख किया है जो मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करते समय उत्पन्न हुई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पत्तन तथा गोदी दोनों ही क्षेत्रों से सम्बन्धित विषमताओं की जांच करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या उस व्यवस्था ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है तथा विचार-विमर्श करने तथा निर्णय देने के लिए विषमताओं के कितने मामले उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं?

श्री आर. के. खाडिलकर : गत बैठक में, जिसमें मैंने, परिवहन तथा नौवहन मंत्री ने सम्बद्ध अधिकारियों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इन सभी विषमताओं का पता लगाया गया था। प्रतिनिधियों से एक समिति बनाने को कहा गया था। मेरे विचार से माननीय सदस्य सम्भवतः उस समिति के सदस्य हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया गया था। क्या वह व्यवस्था बना दी गई है?

श्री आर. के. खाडिलकर : यदि हम उनकी सिफारिशों को स्वीकार करते हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। किन्तु यदि कोई समस्या शेष रहती है तथा यदि समिति द्वारा किन्हीं बातों पर विचार नहीं किया जाता तो उसकी जांच करनी होगी। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे इस कार्य में अधिक सक्रिय हो जाएं।

इस्पात विकास कार्यक्रम के लिए अन्तर्विभागीय समिति की स्थापना

+

*167. **श्री रामकंवर :**

श्री एम० कतामुतु :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक समेकित दीर्घावधि इस्पात विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए कोई अन्तर्विभागीय समिति बनाई गई है ;

(ख) क्या यह कार्यक्रम तैयार करने के लिए समिति के लिए कोई मार्गदर्शक सिद्धांत निश्चित किए गए थे, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस. मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी हां ।

(ख) छठी और सातवीं योजनाओं में होने वाली लोहे और इस्पात की मांग, क्षमता और उत्पादन स्तर के बृहद स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना के इस्पात बिकास कार्यक्रम तैयार करने हेतु योजना आयोग ने हाल में एक लोह और इस्पात टास्क फोर्स का गठन किया है ।

(ग) टास्क फोर्स को दिसम्बर 1972 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है ।

SHRI RAM KANWAR : Mr. speaker, Sir, in view of increase in price of steal by over Rs. 100 per tonne, may I know whether the Inter Departmental Committee will take concrete steps to ensure reduction of steel prices and thus minimise the difficulties of the small private industries ?

श्री एस. मोहन कुमारमंगलम् : 'टास्क फोर्स' का कार्य इस्पात के मूल्यों पर नियंत्रण करने का नहीं होगा वरन् उसका कार्य मांग, क्षमता और उत्पादन से सम्बन्धित होगा ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधिकारियों का हैदराबाद से दौरे पर दिल्ली आना

*168. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधिकारियों को विभिन्न अवसरों पर हैदराबाद से दिल्ली आना पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो कार्यालय के हैदराबाद स्थानान्तरित किये जाने के पश्चात् विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रत्येक महीने दौरे लगाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) इस्पात और खान, वित्त जैसे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, योजना आयोग और रेलवे बोर्ड, खनिज और धातु व्यापार निगम राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम जैसे अन्य उपक्रमों और तकनीकी विकास महानिदेशालय, आयात और निर्यात का प्रमुख नियंत्रक आदि के, जिनके साथ राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का सम्बन्ध है, साथ विचार-विमर्श करने और बैठकों में भाग लेने और अन्य सरकारी कार्य करने के लिए आना पड़ा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह जानना चाहा था कि क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कार्यालय का हैदराबाद स्थान्तरण कर दिया गया है और यदि हां, तो यह भी बताया जाए कि उसका कब स्थानांतरण किया गया—बहुत से अधिकारियों को विभिन्न मंत्रालयों और एंजेसियों से, जिनका मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है, विचार-विमर्श करने के लिये दिल्ली आना पड़ रहा है, और यदि हां, तो इतने अधिक व्यय को देखते हुये, उक्त कार्यालय को दिल्ली से हैदराबाद ले जाने का क्या प्रयोजन था जबकि इसका सारा कार्य दिल्ली स्थित अन्य एंजेसियों के परामर्श से किया जाता है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : कार्यालय को हैदराबाद दो दलों में ले जाया गया था। पहला दल 21 फरवरी, 1972 को हैदराबाद पहुंचा और दूसरा दल 28 अप्रैल, 1972 को। यह सच है कि अधिकारियों को कभी-कभी विचार-विमर्श करने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। मंत्रिमण्डलीय सचिवालय का निदेश है कि दिल्ली में केन्द्रित विभिन्न निगमों को अन्य स्थानों पर भेजा जाए। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को हैदराबाद इसलिये स्थांतरित किया गया कि हमारे विचार से हैदराबाद से हम वर्तमान विभिन्न परियोजनाओं तथा दक्षिण में बन रही नई परियोजनाओं को नियंत्रित कर सकेंगे। हैदराबाद में रहकर निगम कैलाडीला, किरीबुरू, कुमारस्वामी तथा अन्य क्षेत्रों की परियोजनाओं को अधिक सुगमता से नियंत्रित कर सकेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विभिन्न निगमों के मुख्यालयों का विकेन्द्रीकरण करने से सम्बन्धित मंत्रिमण्डलीय सचिवालय के निदेश का मुझे पता है। किन्तु मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि एक विशिष्ट निगम के मुख्यालय के सम्बन्ध में एक विशिष्ट निर्णय करते समय क्या स्थानांतरण की लाभ-हानि, तथा इस पर होने वाले व्यय को भी ध्यान में रखा गया था अथवा नहीं? क्या उन्हें पता है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को मुख्यालय को कर्मचारियों ने इस आधार पर स्थानांतरण का विरोध किया था कि बाद में इसके कारण बहुत अधिक खर्च होगा। इसीलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात पर विचार किया गया था? क्या इस बात से कि कुछ ही महीनों के दौरान हैदराबाद से बड़ी संख्या में अधिकारियों को भी दिल्ली आना पड़ा है निगम के कर्मचारियों द्वारा व्यक्त की गई आशंका की पुष्टि नहीं होती?

श्री एस. मोहन कुमारमंगलम् : राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को हैदराबाद में स्थांतरित होने के पश्चात् उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जो किसी भी निगम को दिल्ली से बाहर रहकर दिल्ली आकर मामलों पर विचार-विमर्श करने में करना पड़ता है। हमें इस सचाई को

ध्यान में रखना पड़ता है तथा उसके पश्चात् ही हमने यह निर्णय किया कि निगम के कार्य को सुचारू ढंग से चलाने तथा दिल्ली से कार्यालयों का विकेंद्रीकरण करने की सामान्य नीति को देखते हुये भी इस निगम के मुख्यालय को स्थांतरित करना उचित ही है। मेरे विचार से स्थनांतरण के बाद हम असंतुष्ट नहीं हैं।

श्री दशरथ देव : क्या हैदराबाद स्थानांतरित होने से पूर्व राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की फरीदाबाद में परिसम्पत्ति थी और यदि हां, तो उन परिसम्पत्तियों का क्या हुआ ?

श्री एस. मोहन कुमारमंगलम् : फरीदाबाद में इस निगम की कुछ इमारतें थीं क्या उन्हें बेचने का प्रस्ताव था। मुझे वर्तमान स्थिति का पता नही है। यदि माननीय सदस्य पृथक् प्रश्न पूछें तो मैं ब्यौरा दे सकता हूं।

श्री के. बालदण्डायुतम : निगम के मुख्यालय को हैदराबाद स्थानांतरित करने पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री एस. मोहन कुमारमंगलम् : इस समय मेरे पास सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसके लिये पृथक् प्रश्न पूछा जाना चाहिये।

वारसा में भारतीय तथा चीनी दूतों की मुलाकात

+
*170. **श्री समर गुह** :
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तथा चीनी दूतों की 15 जुलाई, को वारसा में एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किस प्रकार के विषयों पर चर्चा की गई थी ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). 14 जुलाई, 1972 को चीनी राजदूत भारतीय राजदूत से वारसा में मिले। यह भेंट केवल शिष्टाचार के नाते थी और बातचीत आम मसलों पर हुई।

श्री समर गुह : हम जानते हैं कि राजनयिक सम्बन्धों में शिष्टाचार शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। अमरीका और चीन ने वार्सा में कई शिष्टाचार वार्ताएं कीं किन्तु हमें पता है उनका क्या परिणाम निकला।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों द्वारा आयोजित किये गये कार्यक्रमों के प्रति चीन सरकार ने अपना रवैया बदल दिया है, क्या उन्होंने इन कार्यक्रमों में भाग लिया तथा क्या श्री कौल ने, जो हाल में काठमाण्डू गये थे, चीनी मिशन के दूत से मुलाकात की थी ?

अध्यक्ष महोदय : आप वार्सा से काठमाण्डू पहुंच गये ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जैसाकि मैंने कहा है जहां तक इस बैठक का सवाल है इसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं थी । उन्होंने हमारे राजदूत से शिष्टाचार के नाते भेंट की थी । उन्होंने इधर-उधर की बातों पर चर्चा की तथा किसी महत्वपूर्ण विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई । जहां तक चीनी राजदूतों के व्यवहार का प्रश्न है इनके व्यवहार और रवैये में गत दो-तीन वर्षों से कुछ परिवर्तन आया है और उन्होंने सामान्य राजनयिक शिष्टाचारों के अनुकूल व्यवहार किया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने में क्या बाधाएं हैं ? मंत्री महोदय का कहना है कि चीन राजनयिक मान्यताओं का पालन कर रहा है । महोदय ! इस विषय में हमें कुछ प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिये । ऐसा अवसर बार-बार नहीं आता ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल वार्सा बैठक के सम्बन्ध में हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह दो देशों की सरकारों के बीच बातचीत से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ प्रश्नों की अनुमति देता हूं ।

श्री समर गुह : राजनयिक सम्बन्धों में शिष्टाचार शब्द का अर्थ भिन्न है । हमें इस बात का पता है । अतः केवल शिष्टाचार शब्द का प्रयोग करने से हमें वास्तविकता की कोई जानकारी नहीं मिलती । राजनयिक सन्दर्भ में शिष्टाचार का अर्थ केवल औपचारिक समारोह है, शिष्टाचार के नाते एक दूसरे से मिलना है । समाचारपत्रों के अनुसार वह बैठक केवल शिष्टाचार के नाते नहीं थी ।

मंत्री महोदय द्वारा दिए गए संक्षिप्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए तथा उनके इस कथन के संदर्भ में कि विदेशों में भारतीय दूतावासों द्वारा आयोजित समारोहों में भाग लेने में चीन के राजदूतों ने हाल में अपने रवैये में परिवर्तन किया है मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीन के बदले हुए रवैये का लाभ उठाकर भारत सरकार ने चीन के साथ पुनः सामान्य राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में कोई पहल की है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : महोदय ! जब मैंने उनके रवैये में परिवर्तन की बात कही थी तो उसका अभिप्राय भारत के प्रति चीन के रवैये में परिवर्तन नहीं था । मेरा अभिप्राय विदेशों में नियुक्त चीनी राजदूतों के रवैये में परिवर्तन था । पहले की अपेक्षा उनका रवैया राजनयिक क्षेत्र में बरते जाने वाले सामान्य शिष्टाचार के अधिक अनुकूल रहा । जहां तक भारत के प्रति चीनी रवैये का

प्रश्न है इस सम्बन्ध में स्थिति पूर्ववत है। चीन के साथ हमारे सम्बन्ध समाप्त प्राय हो गये हैं। हमने सम्बन्धों को सामान्य करने के लिए अनेक प्रस्ताव रखे हैं किन्तु चीन ने कोई आशाजनक उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहीं समाप्त होता है और अब हम अगले प्रश्न पर विचार करेंगे।

भारत-पाक सीमाओं का पुनः खोला जाना

*171. **श्री के. लकप्पा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमाओं के पुनः शीघ्र खोले जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच यातायात फिर से कब तक चालू हो जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). शिमला समझौते के पैरा 3 के अनुसार, यात्रा की सुविधाएं पुनः आरम्भ करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाएं, उनका पता तभी लगाया जा सकता है जबकि दोनों देशों के शिष्टमंडल आपस में मिलें। इस प्रकार की मीटिंग की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

श्री के. लकप्पा : इस उप-महाद्वीप में स्थाई शांति स्थापित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में शिमला समझौता एक अन्य महत्वपूर्ण करना है। दोनों देशों में शांति स्थापित करने तथा कुछ राजनीतिक दलों को ऐसा अवसर न देने के लिए जिससे वे देश में किसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए व्यर्थ शोर न मचाएं मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह भारत और पकिस्तान के बीच सभी सम्बन्धों को पुनः स्थापित करने के लिये कोई अन्य कार्यवाही करेगी और यदि हां, तो क्या कार्यबाही की गई है तथा भारत और पकिस्तान के प्रतिनिधि मण्डलों की होने वाली बैठक में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जैसा कि मैंने मूल उत्तर में कहा है कि सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए कई उपाय किए जाने हैं। माननीय सदस्य को पता होगा कि पैरा 3 के अन्तर्गत दोनों देशों के सम्बन्धों को उत्तरोत्तर सामान्य बनाने के लिए कई कदम उठाए जाने पर समझौता किया गया है। संचार-डाक, टेलीग्राफ, समुद्र, भूमि तथा सीमा चौकियों और विमान सम्बन्ध जिसमें दोनों देशों के ऊपर उड़ानें भी सम्मिलित हैं, इन सभी सम्बन्धों को पुनः स्थापित करने के लिये कार्यवाही की जाएगी। यात्रा सुविधाओं में वृद्धि करने तथा व्यापार सहयोग स्थापित करने और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करने और विज्ञान और सांस्कृतिक जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए उपाय किए जाएंगे। इन सभी कार्यों को शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाना है। किन्तु वास्तविक ब्यौरा तभी तैयार किया जाएगा जब दोनों देशों के प्रतिनिधि-मण्डलों की बैठक होगी। जैसा कि मैंने कहा है बैठक की तिथि अभी तक तय नहीं हुई है।

श्री के. लकप्पा : पैरा तीन के अन्तर्गत सीमा-चौकियों और विमानों का एक-दूसरे की वायु सीमा का उपयोग करने सहित संचार व्यवस्था-डाक, तार, समुद्र और भूमि को पुन चालू करने के लिए कदम उठाऐ जाएंगे । क्या इन विषयों पर दोनों देशों के प्रतिनिधि मण्डलों की बैठक में चर्चा की जाएगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस समय यह बताना बड़ा कठिन है कि चर्चा की कार्य सूची में क्या-क्या विषय सम्मिलित होंगे किन्तु आशा है इन विषयों पर चर्चा की जाएगी ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Under Simla Pact, we are going to return the land which was captured by our Jawans. May I know whether the matter pertaining to Chumb-Jaurian area, occupied by Pakistan, which is not inclined to return it to us would be discussed in the meeting ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न तो यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को शीघ्र पुनः खोले जाने की सम्भावना है और यदि हां, तो दोनों देशों के बीच यातायात कब तक चालू हो जाएगा । आपका प्रश्न संगत नहीं है ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Are you going to discuss in that meeting the item pertaining to returning our area now occupied by Pakistan ?

MR. SPEAKER : You may please take your seat now.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Sir, when hon. Minister is prepared to give the answer, why should you prevent him from doing that ?

MR. SPEAKER : You have said enough on the very first day.

Survey for Mineral Wealth in Rajasthan

*172. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether geological survey of all those areas of Rajasthan, where minerals are available, have been conducted; and

(b) if so, the names of the minerals which are available in large quantity there ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के परिणाम-स्वरूप राजस्थान के विभिन्न भागों में ताम्र, सीसा-जस्ता, पाइराइट-पाइरो होटाइट, चूना-पत्थर फास्फोराइट जिप्सम, ऐस्बेस्टास, बेन्टोनाइट और फुल्लर्स अर्थ, मृत्तिका, अभ्रक, टाल्क और इमारती पत्थर के पर्याप्त निक्षेप पाए गए हैं ।

SHRI M. C. DAGA : I want to know when this geological survey will be completed ?

SHRI SHAHNAWAZ KHAN : The Geological Survey of India continues on its job. When it finishes its work at one place, it starts its work at an other place. The hon. Member will be pleased to know that the Geological Survey of India has discovered very useful minerals in Rajasthan.

SHRI M. C. DAGA : Taking into account the discovery of those useful minerals, whether it is proposed to establish some industry there or whether it is proposed to exploit those minerals ?

SHRI SHAHNAWAZ KHAN : As you know work regarding copper ore has been started in Khetri. We propose to set up Zinc and Festilizer industries in Udaipur. Minerals are being exploited wherever they are available and industries are being established there.

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA : I want to know whether the Central Govern ment is trying to have control of mineral in Rajasthan ?

MR. SPEAKER : This question is regarding exploitation of minerals.

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA : Those minerals which have been explored are being taken over.

MR. SPEAKER : The search is still going on.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN : All the minerals are utilised for the benefit of the entire country. We always take such steps as are in the interest of the country.

SHRI RAM KANWAR : Some minerals are being exploited and some have already been exploited in the different parts of Rajasthan. I want to know whether the work of exploitation of minerals is not going on smoothly in Banswara and Dungarpur districts of Rajasthan due to lack of train facilities ?

MR. SPEAKER : This question relates to geological survey.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN : This question should be addressed to the Ministry of Railways.

आंध्र प्रदेश में स्वर्ण के निक्षेप

*175. श्री वाई ईश्वर रेड्डी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के जिला अनन्तपुर में रामगिर स्वर्ण क्षेत्र में की गई जांच से पता चला है कि उक्त क्षेत्र को एक खान के रूप में विकसित किए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) उक्त क्षेत्र में अनुमानतः कितना स्वर्ण निक्षेप है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में रामगिर स्वर्णक्षेत्र में किए गए अन्वेषणों ने स्वर्ण के उत्पादन के लिए भूमि की वैभवता को दर्शित किया है ।

(ख) भारत गोल्ड माइन्स प्राईवेट लिमिटेड ने रामगिरि स्वर्ण पट्टी में संक्रियाओं के पुनर्रिम्मण के लिए परियोजना तैयार की है और चिन्नाभावी तथा जीबूतिल खानों में सर्वप्रथम कार्य आरम्भ किया जाना प्रस्तावित किया है । परियोजना सरकार के परीक्षणाधीन हैं ।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अनुमानित उपलभ्य राशियां 100 मीटर तक स्वर्णयुक्त अयस्क को 2.1 लाख टन हैं । 300 मीटर की गहराई तक 25.2 लाख टन स्वर्ण अयस्क की सम्भावना है । तथापि, क्षेत्र में स्वर्ण विक्षेपों की वैभवता के सम्बन्ध में अधिक निश्चित अनुमान के लिए विस्तृत रूप से समन्वेषण आवश्यक होगा ।

श्री ईश्वर रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और खोज-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ।

श्री शाहनवाज खां : माननीय सदस्य को शायद विदित है कि यह सब बहुत पुराने काम हैं । वर्ष 1906 से 1946 और उसके बाद भी मैसर्स जान टेलर एण्ड संस ने खनन-कार्य किया था । उसने बहुत अधिक समय तक काम किया लेकिन फिर उक्त कम्पनी बन्द हो गई । अब उन क्षेत्रों में फिर से काम आरम्भ करने का विचार है । गत अनेक वर्षों में कुछ भूतत्वीय सर्वेक्षण कार्य किया गया है । जांच से पता लगा है कि उस क्षेत्र में प्रत्येक टन में लगभग 5 से 6 ग्राम तक सोना प्राप्त हो सकता है और हमारे विचार से इस पर काम किया जा सकता है ।

श्री ईश्वर रेड्डी : माननीय मंत्री ने एक गैर-सरकारी फर्म के नाम का उल्लेख किया है । इस फर्म का इस मामले में क्या योगदान रहा है ? भारत गोल्डमाइन्स (प्राइवेट) कम्पनी का उस कार्य से क्या सम्बन्ध है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री एस. मोहन कुमारमगलम) : माननीय सदस्य को गलत सूचना मिली है । भारत गोल्डमाइन्स लिमिटेड एक सरकारी क्षेत्रीय निगम है । जिसके शत प्रतिशत शेयर सरकार के हैं ।

———

पाकिस्तान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन से अपनी शिकायत को वापिस लेना

*163. **श्री जी. बाई. कृष्णन :**
श्री एम. एम. जोजफ :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के एक फोकर फ्रेंडशिप विमान का अपहरण करके उसे लाहौर ले जाने और वहां पर उसे जला देने के उपरान्त भारत द्वारा पाकिस्तानी विमानों के भारतीय क्षेत्र के ऊपर से होकर उड़ानें भरने पर लगाये गये प्रतिबंध के विरुद्ध की गई अपनी शिकायत को पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन से वापिस ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या अपहरण किये गये विमान का मुआवजा देने की मांग पर भारत दृढ़ रहेगा ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल तथा उड़ीसा के समुद्र-तटों के साथ-साथ खनिजों के भण्डारों की खोज

*166. **श्री राजदेव सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल तथा उड़ीसा के समुद्र-तटों के साथ-साथ इलेनाईट, मोनोसाईट तथा अन्य भारी खनिजों के भंडारों के लिए खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त खोज के क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या यह खोज अन्य समुद्र-तटीय राज्यों में भी की जाएगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. मोहन कुमार मंगलम्) : (क) और (ख). परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु खनिज प्रभाग 1953-54 से केरल के तटीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर रहा है और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में वह 1969 से इलिमेनाइट, मोनाजाइट और अन्य भारी खनिज उपलभ्य राशियों के निर्धारण के लिए सर्वेक्षण कर रहा है। अन्वेषण कार्य अभी भी प्रगति में है। यह कार्य सतत प्रकृति का है और इसे परमाणु खनिज प्रभाग के क्षेत्र अन्वेषणों के एक भाग के रूप में वर्ष प्रति वर्ष आधार पर किया जा रहा है क्योंकि तटीय रेल अस्थिर प्रकृति का है और एक निश्चित कालावधि के दौरान उसके पुनः निर्धारण की आवश्यकता होती है।

(ग) जी, हां।

झरिया कोयला क्षेत्रों में कोयले का एकत्रित हो जाना

*173. **श्री झारखण्डे राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल-डिब्बों की कमी के कारण तीन करोड़ रुपयों के मूल्य का कोयला झरिया कोयला-क्षेत्रों में महानों तथा 'बी हाइब' संयंत्र स्थलों पर जमा पड़ा हुआ है;

(ख) क्या कोयले को निरन्तर जमा किए जाने से वह खराब हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में जमा हुए कोयले को उठाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस. मोहन कुमारमंगलम) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) रेलवे, जो कि कोयला/कोक के प्रमुख वाहक है, वैगनों की उपलब्यता को सुधारने के लिए कदम उठा रहे हैं । इसके अतिरिक्त, अल्प दूरियों में अवस्थित उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति के लिए, कोयला/कोक को सड़क द्वारा परिवहन को प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

भारत बल्गारिया वार्ता

*174. **श्री ई. बी. विखे पटिल :**

श्री एम. एस. संजीवा राव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने हाल में बल्गारिया का दौरा किया था तथा भारतीय उप महाद्वीप में घट रही घटनाओं के बारे में और संयुक्त राष्ट्र में सहयोग के बारे में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) विचार-विमर्श से स्पष्ट था कि चर्चित विषयों पर दोनों पक्षों के विचारों में काफी समानता थी । दोनों पक्ष इस तरह के विचार-विमर्शों की उपयोगिता से सहमत थे और निश्चय किया कि उभय पक्ष के हितों के प्रश्न पर समय समय पर ऐसी मंत्रणाएं की जाएं ।

कानपुर कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*176. **श्री एस. एम. बनर्जी .**
श्री बी. के. दास चौधरी :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि तथा आन्तरिम राहत की मांग करते हुए 17 जुलाई, 1972 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या मिल मालिकों को एक उचित समझौते के लिए राजी करने के प्रयोजन से केन्द्रीय श्रम व्यवस्था भी राज्य की श्रम व्ययस्था की सहायता करने का प्रयत्न करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, दस कपड़ा एककों 17 जुलाई, 1972 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर चले गये ।

(ख) और (ग). मामला राज्य क्षेत्राधिकार में आता है । तथापि, यह पता चला है कि, श्रमिकों की मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक त्रिपक्षीय सम्मेलन आयोजन करने का राज्य सरकार का विचार है ।

बिजली के संकट के कारण पश्चिम बंगाल की कोयला-खानों में कोयले के उत्पादन में हुई कमी

*177. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के भारी संकट के कारण पश्चिम बंगाल की कोयला-खानों में कोयले के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, ती कोयला-उत्पादन में कितनी कमी हुई है और परिणामस्वरूप कितनी अर्थिक हानि हुई है; और

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हैं तो वे क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस. मोहन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां ।

(ख) क्योंकि बिजली संकट अब भी जारी है, अतः हानि-सीमा का अभी निर्धारण किया जाना है ।

(ग) मामला, भविष्य में कम-विद्युत आपूर्ति और बिजली की विफलता को यथा-सम्भव रोकने के लिए, सम्पृक्त प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था ।

केरल में इस्पात संयंत्र की स्थापना

*178. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन** : क्या इस्पात और खान मंत्री केरल में इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में 25 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 984 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में लौह-अयस्क निक्षेपों की जांच का कार्य भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है, और

(ग) क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस. मोहन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जांच कार्य के 1972-73 के फील्डसीजन के कुछ समय पश्चात पूरा होने की संभावना है ।

(ग) लौह अयस्क के प्रमाणित भंडारों और उनकी विशिष्ठियों का पता चल जाने के पश्चात ही पूंजी निवेश के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है ।

बिहार में लौह अयस्क के निक्षेपों का उपयोग

*179. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पालामऊ जिले (बिहार) में लौह-अयस्क के विशाल निक्षेपों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और इन अप्रयुक्त अयस्क का उपयोग करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस. मोहन कुमारमंगलम) : (क) और (ख). भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पलामू क्षेत्र का 1940 में मानचित्रण किया और 1947 में भू-भौतिकीय अन्वेषण किए। इसकी रिपोर्ट के अनुसार, पलामू क्षेत्र में हिलोक्स के शिखर पर हेमाटाइट अयस्क से सह युक्त मेग्नेसाइट के संस्तरों की प्राप्ति का अभिज्ञान हुआ है। ऐसा बताया गया है कि मुख्य अयस्क-निकाय न्यूनाधिक स्थूल मेग्नेटाइट है। अनुमानित उपलब्ध राशियां 3-4 लाख टन तक प्रतिवेदित हुई है।

मुख्यत: विभिन्न प्रशालनशालाओं को आपूर्ति करने के लिए निक्षेपों पर पहले ही प्राईवेट दलों द्वारा कार्य किया जा रहा है।

खेतड़ी तांबा परियोजना की लागत का अनुमान

*180. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतडी तांबा परियोजना के लागत अनुमानों में मूल अनुमानों की अपेक्षा पांच गुना वृद्धि हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना में श्रमिकों की हड़तालों के कारण लागत अनुमानों में कितनी वृद्धि हुई है; और श्रमिक विवाद निपटाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस. मोहन कुमारमंगलम) : (क) और (ख). खेतड़ी ताम्र प्रायोजना के लिए 1962 में अमरीकी परामर्शदात्री फर्म द्वारा तैयार किया गया मूल लागत प्राक्कलन 24.44 करोड़ रुपए था जिसमें इलैस्ट्रोलाइटिक ताम्र की 21,000 टन की वार्षिक क्षमता का प्रदावक संयंत्र स्थापित करना परिकल्पित था। 1966 में प्रायोजना का कार्यक्षेत्र पुनरीक्षित किया गया जिसमें इलैक्ट्रोलाइटिक ताम्र के 31,000 टन प्रति वर्ष और गंधकीय अम्ल के 600 टन प्रतिदिन, 1,94,000 टन ट्रिपल सुपरफास्फेट उर्वरक के उत्पादन के लिए उपयोगार्थ, के उत्पादन का उपबंध किया गया। विस्तारित प्रायोजना के लिए कम्पनी द्वारा 1968 में खेतड़ी ताम्र प्रायोजना के तैयार किए गए विस्तृत लागत प्राक्कलनों के अनुसार सन्निर्माण की लागत का अनुमान 93 करोड़ रु. था। मार्च 1972 में इन लागत प्राक्कलनों की समीक्षा की गई और अब प्रयोजना के संपूरण की पुनरीक्षित लागत का अनुमान लगभग 115 करोड़ रुपए है। यह पुनरीक्षित प्राक्कलन सरकार के संमीक्षाधीन हैं। मूल प्राक्कलन की तुलना में लागत प्राक्कलनों में आरोही पुनरीक्षण के मुख्यत: निम्न लिखित कारण हैं :—

(I) प्रायोजना का कार्यक्षेत्र, खेतड़ी खान में इलैक्ट्रोलाइटिक ताम्र के 21,000 टन के उत्पादन की मूल योजना से, खेतड़ी और कोलिहान खान से इलैक्ट्रोलाइटिक

ताम्र के 31,000 टन और ट्रिपल सुपर फास्फेट उर्वरक के उपयोगार्थ गंधकीय अम्ल के 600 टन के वर्तमान उपबंध तक पर्याप्तता वर्धित किया गया। यह लागत प्राक्कलनों में प्रतिबिम्बित होना आवश्यक है।

(II) यह सुनिश्चित करने के लिये कि समय-सारिणी के अनुसार निर्धारित दरों पर खान से उत्पादन प्राप्त हो सके, पहली खानर परियोजना का पुनरीक्षण आवश्यक है। इससे अतिरिक्त खान द्वारा और यंत्रीकृत खाननार्थ अतिरिक्त खनन उपस्कर की आवश्यकता पड़ी।

(III) जहां तक संयंत्रों का संबंध है, पूर्व के प्राक्कलन प्रारम्भिक प्रक्रिया डिजायनों, विशिष्टता प्रद्रावक और परिष्करण-शाला के मामले में, पर आधारित थे। विस्तृत डिज़ायनिंग के संपूरित होने पर, प्रक्रिया अपेक्षाओं की पूर्ति करने हेतु पूर्व के प्राक्कलनों में असम्मिलित अतिरिक्त उपस्कर की व्यवस्था करनी पड़ी।

(IV) वृद्धि का आंशिक कारण विगत 4 वर्षों में उपस्कर सामग्री और सेवाओं की कीमतों में साधारण वृद्धि है;

(V) प्रायोजना के संपूरण में लगभग 2 वर्ष की देरी के परिणामस्वरूप पर्यवेक्षण आदि पर भी अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ग) यह सुस्पष्ट जानकारी देना संभव नहीं है कि लागत प्राक्कलनों में वृद्धि के लिए प्रयोजनों में श्रमिकों द्वारा की गई हड़तालें किस सीमा तक आरोप्य हैं। तथापि, यह कथनीय है कि अक्टूबर/नबम्बर 1970 की हड़ताल ने खान संनिर्माण कार्यक्रम में लगभग एक माह की और सिविल संनिर्माण कार्यक्रम में लगभग पाक्षिक देरी की है। प्रायोजना के संनिर्माण कार्य में देरी करने के अतिरिक्त, 11 जुलाई 1972 को आरम्भ हुई हड़ताल से ताम्र अयस्क के प्रतिदिन 1000 टन के उत्पादन की भी हानि हो रही है।

जब कभी श्रमिक विवादी का समापान द्विपक्षी वार्ताओं से नहीं होता है, सामान्य सुखद कार्यवाहियों का आश्रय लेना पड़ता है। जहां तक 11 जुलाई को आरंभ हुई हड़ताल का संबंध है, विवादों को केन्द्रीय सरकार और राजस्थान राज्य सरकार दोनों ने न्याय निर्णय हेतु निर्देशित किया है।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड में अधिकायु कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति

1601. **श्री स्वर्णसिंह सोखी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड घाटशिला, बिहार के अधिकायु अधिकारियों तथा कर्मचारियों, जिनकी संख्या लगभग 250 है, की सेवा निवृत्ति के लिए क्या कार्यवाही करने का है; और

(ख) सरकार का विचार इस प्रकार उत्पन्न होने वाले रिक्त स्थानों को किस प्रकार अर्थात स्थानीय लोगों, जो कि इन पदों के लिए अर्हता प्राप्त हैं, को नियुक्त करके अथवा वाह्य लोगों को नियुक्त करके भरने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) 16-11-1970 को भारतीय ताम्र निगम ने प्रमाणकर्ता अधिकारी, औद्योगिक (स्थायी आदेश) अधिनियम को, आवेदन पत्र द्वारा, उनके कार्य स्थायी अदेशों में सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित नई धारा संख्या 9-क को जोड़कर उपांतरण के लिए अनुरोध किया । भारतीय ताम्र निगम ने सेवा निवृत्ति की आय 58 वर्ष करने का सुझाव दिया था । तथापि प्रमाणकर्ता अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, पटना ने सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित की और स्थायी आदेशों को तदनुसार उपांतरित किया गया । कुछ श्रमिक संघों तथा कम्पनी के कर्मचारियों ने इसका बिरोध किया और औद्योगिक अधिकरण, पटना के पास याचिकायें भेजी हैं । मामला औद्योगिक अधिकरण के पास लम्बित है और विनिश्चय नहीं लिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के अधिकारियों के वेतन

1602. **श्री स्वर्णसिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, घाटशिला, बिहार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनों के संबंध में जिनको भारतीय तांबा निगम द्वारा संयंत्र को सरकारी नियंत्रण में लिए जाने से कुछ समय पूर्व बढ़ा दिया गया था; तथा 2000 रुपये से अधिक वेतनों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जहां तक सरकार को जानकारी है, भारती ताम्र निगम लिमिटेड के उपक्रम के प्रबन्ध ने सरकार द्वारा उसके प्रबन्ध ग्रहण करने के तुरन्त पहले घाटसिला में कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की । इस समय, भारतीय ताम्र निगम लि० के उपक्रम के कर्मचारियों के वेतन में 2000/- रु० की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

E.S.I. Scheme in Madhya Pradesh

1603. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of Hospitals, Sub-Centres and Dispensaries being run under the Employees State Insurance Scheme in Madhya Pradesh along with their location and the number of beds therein;

(b) the number of employees covered by these Centres;

(c) whether complaints have been received about the working of the said centres; if so, the nature thereof and the action taken thereon; and

(d) the number of such Centres under construction or proposed to be constructed during the Plan period in Madhya Pradesh and the salient features thereof ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : The administration of medical care under the E.S.I. Act, 48 is the responsibility of State Governments. The E.S.I.C. has furnished the following information :

(a) The number of E.S.I. Hospitals and dispensaries in Madhya Pradesh is 3 & 48 respetively. The particulars are given in Annexure 'A'. [*Placed in Library. See.* No. LT. 3341/72].

(b) The estimated number of employees covered under each centre in Madhya Pradesh as on 31.3.1972 is given in Annexure 'B'. [*Placed in Library. See.* LT—3341/72].

(c) There have not been any complaints of a serious nature. Some complaints of a routine nature relating to alleged inadequacy of medicines and drugs etc., were received and forwarded to the State Government for necessary action.

(d) There is only one project still under construction at one Centre viz-, a 75 bed T.B. Hospital and Staff Quarters at Raipur. In addition, two more projects have been sanctioned for construction viz., a 75 bed E.S.I Hospital and staff quarters at Gwalior and a 3 Doctor State Insurance Dispensary and Staff Quarters at Ratlam at an esimated cost of Rs. 23.75 lacs.

Non-Deposit of EPF by Companies in Madhya Pradesh

1604. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of companies in Madhya Pradesh which have not deposited the amount of the Provident Fund of their employees although they have deducted this amount from their salaries;

(b) the names of such Companies and the total year-wise amount of Provident Fund outstanding against them during the last three years; and

(c) the action taken or proposed to be taken against them ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) to (c). The information is being collected by the Provident Fund Authorities. It will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Mines in Madhya Pradesh

1605. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the number of mines in Madhya Pradesh and the names of the minerals found there and the locations thereof, district-wise; and

(b) the number of Government-owned and private-owned mines, respectively ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAHNAWAZ KHAN) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House when received.

पूर्वी राज्यों में बंगला देश के शरणार्थी

1606. **श्री रोबिन काकोटी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम, मेघालय और त्रिपुरा में अब भी बड़ी संख्या में बंगला देश के शरणार्थी विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शरणार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें बंगला देश भेजने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) से (घ). जी, नहीं। आसाम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में शिविरों में रहनेवाले सभी शरणार्थी बंगला देश भेज दिए गए हैं।

जहां तक शिविर से बाहर रहने वाले शरणार्थियों का सम्बन्ध है, अर्थात् वे जो अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों के साथ रह रहे थे, उनमें से भी अधिकांश अपने आप बंगला देश चले गए हैं। इक्के-दुक्के मामलों का जब कभी पता लगता है, उनका निबटारा राज्य सरकारों द्वारा विदेशी व्यक्ति अधिनियम, 1946 में दिए गए उपबन्धों के अनुसार किया जाता है।

एशियाई-अफ्रीकी विधि सलाहकार समिति

1607. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय दल के उन सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने जनवरी 1972 में एशियाई-अफ्रीकी विधि सलाहकार समिति के 13वें सत्र में भाग लिया था;

(ख) क्या "समुद्र के कानून" विषय पर विशेषतया समुद्री सीमाओं के विस्तार और मत्स्य क्षेत्र की सीमाओं जैसी मदों पर विचार साम्यता पाई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनके विचार भारतीय विचारों से मिलते थे ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जनवरी 1972 में लागोस (नाइजीरिया) में हुए एशियाई-अफ्रीकी विधि सलाहकार समिति के 13वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री नीरेन डे,
   भारत के महान्यायवादी, ...(नेता)

2. डा० एस० पी० ज़गोता,
निदेशक, विधि एवं संधि प्रभाग,
विदेश मंत्रालय ... (वैकल्पिक नेता)।

3. श्री सी० वी० रंगानाथन,
प्रथम सचिव,
संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन,
न्यूयार्क ... (परामर्शदाता)

4. श्री वी० एन० नागराज,
संयुक्त कमिश्नर,
सिंचाई एवं बिजली मंत्रालय ... (परामर्शदाता)

5. श्री के० एल० शर्मा,
विधि अधिकारी,
विधि एवं संधि प्रभाग,
विदेश मंत्रालय ... (परामर्शदाता)

(ख) और (ग). भारत का विचार था कि राजक्षेत्रीय समुद्र की चौड़ाई उपयुक्त बेसलाइन से मापी जाय जो कि 12 नाविक मील हो और तटीय देशों के मछली उद्योग सम्बंधी हितों की रक्षा के लिये राजक्षेत्रीय समुद्र के बाहर एक अनन्य मछली क्षेत्र की स्थापना की जानी चाहिये। बहुत से एशियाई अफ्रीकी देशों ने इसका समर्थन किया जिसमें श्री लंका, कीनिया और तनजानिया भी शामिल थे।

गोआ-मूलक व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना

1608. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ-मूलक ऐसे व्यक्तियों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं जिन्होंने निर्धारित अवधि तक अपने विदेशी-पार-पत्र समर्पित नहीं किये तथा जिनकी ओर से जातीय नागरिकता प्रदान करने के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं;

(ख) क्या उन सबको नागरिकता प्रदान कर दी गई है; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं जिनके बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सुलभ होते ही सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी।

लोह अयस्क खनिकों के लिये आदिरूप योजनायें

1609. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिरूप योजनाओं के विकास के लिये गठित समिति ने लौह अयस्क खनिकों के लाभ के लिये जिन आदिरूप योजनाओं की सिफारिश की थी, वे सरकार के पास विचाराधीन पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाण्डिकर) : (क) ऐसी केवल एक योजना सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) शीघ्र ही एक निर्णय लिए जाने की आशा है ।

केन्द्रीय संस्कृति समिति

1610. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी संस्कृति केंद्र की गतिविधियों के पुनर्विलोकन तथा विनियमन के लिये सरकार ने एक केंद्रीय संस्कृति समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसका गठन किस तारीख को किया गया था ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस समिति में विदेश सचिव, शिक्षा सचिव, गृह सचिव, आर्थिक मामलों से सम्बद्ध विभाग के अतिरिक्त सचिव, व्यय विभाग के अतिरिक्त सचिव और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के प्रतिनिधि हैं ।

(ग) इस समिति का गठन 10 सितम्बर 1971 को हुआ था ।

बेलाडिला खानों से लौह अयस्क का निर्यात

1611. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बेलाडिला खानों से 1971-72 में कितनी मात्रा में लौह-अयस्क निकाला गया तथा उसमें से कितनी मात्रा में अयस्क का जापान को निर्यात किया गया; और

(ख) इससे कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) **और (ख).** मध्यप्रदेश में बैलाडिला लौह अयस्क खानों (निक्षेप संख्या 14) से 1971-72 के दौरान 37.60 लाख टन का उत्पादन हुआ था, जिसमें से 36.46 लाख टन का जापान को निर्यात किया गया । जिसमें 25.45 लाख रुपयों की सीमा तक विदेशी मुद्रा का उपार्जन हुआ ।

आसाम और मेघालय में कोयला खानों के मजदूरों के लिये पेय जल की तथा अन्य सुविधायें

1612. **श्री रोबिन काकोटी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों में आसाम तथा मेघालय की विभिन्न कोयला खानों के मजदूरों के लिये पीने के पानी आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु कोयला खान कल्याण संगठनों द्वारा कितनी योजनायें पूरी की गई तथा उक्त अवधि में कितनी धन राशि व्यय की गई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

आसाम, मेघालय और नागालैंड की खानों के मालिकों द्वारा कोयला खान विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

1613. **श्री रोबिन काकोटी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम, मेघालय और नागालैंड में अधिकांश कोयला खानों के मालिक खान विनियमन अधिनियम का निरन्तर उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में खान अधिनियम का उल्लंघन करने वाले मालिकों की संख्या तथा नाम क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : **(क)** से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

आसाम मे कोयला क्षेत्र मजदूरों को कोयला कर्मचारी कल्याण निधि से प्राप्त लाभ

1614. **श्री रोबिन काकोटी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के कोयला-क्षेत्र कर्मचारियों को कोयला कर्मचारी कल्याण निधि से वर्षों से कोई लाभ नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) असम कोयला क्षेत्र के श्रमिक कल्याण निधि द्वारा उस क्षेत्र में लागू किए गए कल्याण उपायों के लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आसाम में रोलिंग मिलों को लोहा तथा इस्पात का विवरण

1615. **श्री रोबिन काकोटी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार तथा मिल-बार, असम में विभिन्न रोलिंग मिलों को कुल कितनी मात्रा में लोहा तथा इस्पात (लोह पिण्ड और लोह छीलनें) सप्लाई किया गया; और

(ख) सप्लाई किये गये कच्चे माल से उन्होंने इस अवधि में कितना उत्पादन किया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोकिंग कोयला खानों द्वारा अर्जित दीर्घविधि लाभ

1616. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कोकिंग कोयला खानों के ऐसे मामलों की ओर दिलाया गया हैं जहां मालिकों ने दीर्घाविधि लाभ अर्जित करने के लिए गत दो या तीन वर्षों में अपने कुछ अथवा सभी लाभों का त्याग कर दिया हो; और

(ख) सरकार की जानकारी में आये मामलों की संख्या कितनी हैं, तत्सम्बन्धी कोयला खानों के नाम क्या हैं, उन्हें कितनी हानि हुई तथा उन्होंने कितने लाभ त्यागे और उन के द्वारा अर्जित दीर्घाविधि-लाभों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालल में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). कुछ समय पूर्व, खास धर्माबन्द कोयला खान के स्वामियों ने सरकार को एक नोट के माध्यम से प्रतिकर पर अपने विचार भेजे थे, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि दीर्घाविधि के विचार-विमर्श और वैज्ञानिक रूप से बिकास के लिए, मार्च, 1971 तक उन्हें 4.5 से 5 लाख रुपये की हानि हुई है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार

1617. **श्री एम० एस० स्वामी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विस्तार के सम्बन्ध में कोई कदम उठाये हैं जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार का प्रश्न विचाराधीन है और इस पर जितना शीघ्र हो सकेगा निर्णय लिया जाएगा ।

बढ़िया चूरे से इस्पात बनाना

1618. **श्री चन्द्र शेखश सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे इस्पात विशेषज्ञों में मेटालजी कालेज, कार्डिफ (वेल्स) इंगलैण्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया, जिसमें इस्पात कारखानों में उत्पन्न होने वाले चूरा का प्रयोग, तथा घटिया किस्म के इस्पात को आधा इंच मोटे चद्दरों में बदला तथा उन्हें फिर धमन भट्ठियों में डालना शामिल है, के आधार पर और अधिक इस्पात बनाने के लिये धातु चूरे के प्रयोग की व्यवहार्यता की जांच की है, और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार देश में इस्पात की कमी को देखते हुए बहुत बढ़िया चूरे से और अधिक इस्पात बनाने की व्यवहारिता पर विचार करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालब में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). मैटालजी कालेज, कार्डिफ (वेल्स) इंगलैंड में विकसित किए गए तथा कथित 'इस्पात कारखानों में पैदा होने वाली धूल को प्रयोग में लाये जाने वाले' विशिष्ठ तरीके के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है । इसका ब्यौरा मालूम किया जा रहा है ।

धमन भट्टियों की उत्पादिता में सुधार के साथ सिन्टर और बर्डन के उपयोग का तरीका एक स्वीकृत तरीका है जिसको बड़े पैमाने पर काम में लाया जा रहा है और जिसे इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड को छोड़कर हमारे सभी इस्पात कारखानों में भी काम में लाया गया है सिन्टर में लोह खनिज का चूरा धमन भट्टियों से निकलने वाली फलूडस्ट चूना पत्थर के छोटे टुकड़े, मिलस्केल और कोक ब्रीज का प्रयोग होता है जो लोह खनिज के चूरे को छोड़कर एक इस्पात कारखाने के अधिकतर बेकार उत्पात होते हैं । धमन भट्टियों के लिए और तैयार करने का दूसरा ढंग पैलाटाइ-जेशन है जो लोह खनिज के चूरे ब्लयूडस्ट पर आधारित है जो लोह अयस्क की खानों की परिचालन प्रक्रिया के दौरान पैदा होते हैं । सिन्टरिंग में ब्लयूडस्ट का प्रयोग नहीं होता है परन्तु फैलाटाइजेशन में इसका प्रयोग हो सकता है । गोआ से हर साल लगभग 5 लाख टन पैलेट निर्यात किए जा रहे हैं । टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने 9 लाख टन की क्षमता का एक पैलेटाइजेशन प्लांट लगाया है । पैलेट की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम सरकार के विचाराधीन है ।

इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन उपक्रमों में पदों का भरा जाना

1619. **श्री अम्बेश** : क्या इस्पात और खान मंत्री इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन उपक्रमों में पदों के भरे जाने के बारे में 18 मई, 1972 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 6668 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जी, हां। इस्पात तथा खान मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों से संबंधित आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०3342/72]

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

1620. **श्री अम्बेश** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में विभागवार श्रेणी एक, दो, तीन तथा चार के पदों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने पदो पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की कमी के कारण उपरोक्त जातियों के लिए आरक्षित पदों को सामान्य रिक्तियों में परिवर्तित करने के लिए उनके पास भेजे गए पदों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

विदेश मंत्रालय में रक्षित स्थानों का सामान्य स्थानों से बदला जाना

1621. **श्री अम्बेश** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के अभाव के कारण गत तीन वर्षों में श्रेणी एक, दो, तीन तथा चार के कितने पदों को, वर्ग-वार, सामान्य पदों में बदलने के लिए उनके पास प्रस्ताव भेजा गया; और

(ख) उनमें कितने पदों को, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा छूट, विनिमय, 1958 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए छोड़ा गया था ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार की कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी सावधानियों का अभाव

1622. **श्री रामनारायण शर्मा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृ.. करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्र सरकार के खान सुरक्षा के कार्यभारी अधिकारी की ओर से

बिहार में गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही कोयला खानों में सुरक्षा-सावधानियों के अभाव के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वहां से रिपोर्ट मंगवाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) और (ख). खान अधिनियम, 1952 की धारा 22 की उपधारा (5) की अपेक्षा के अनुसार महानिर्देशक, खान सुरक्षा इस अधिनियम की धारा 22(1), 22(1ए) और 22(3) के अन्तर्गत समय-समय पर जारी किए गई अपने ऐसे नोटिसों की प्रतियां भेजता रहा है जिनमें सम्बन्धित प्रबन्धकों को सुधार हेतु गम्भीर त्रुटियों और खानों द्वारा, जिनमें बिहार की वे खानें भी शामिल हैं जिनके मालिक प्राईवेट व्यक्ति हैं, कोयला खान विनियमों के उल्लंघनों का बताया जाता है। ऐसे मामलों के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार कोयला खानों में खान अधिनियम के उल्लंघन के मामले

1623. श्री रामनारायण शर्मा : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान बिहार की कोयला खानों में खान अधिनियम के उल्लंघन के कितने मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया; और

(ख) कितने मामलों में मुकदमे चलाये गए और उनके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या इस मामले में कोई अन्य कार्यवाही भी की गई और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) 1971-72 के दौरान खान अधिनियम, 1952 के 23,986 उल्लंघन पकड़े गए थे।

(ख) गंभीर उल्लंघनों के लिए 1971-72 के दौरान 44 मामले दायर किए गए थे, जिनमें से 40 लंबित हैं, दो में दंड दिया गया और दो में रिहाई दी गई।

(ग) इस अवधि के दौरान खान अधिनियम की धारा 22(3) के अन्तर्गत खानों में गंभीर स्थिति के कारण खान में काम वर्जित करने के लिए 27 आदेश तथा अधिनियम की धारा 22(1) और 22(1)(क) के अन्तर्गत संरक्षक उपायों के रूप में क्रमशः 23 और 7 आदेश भी जारी किए गए थे।

बिहार की केंडला तथा झारखंड कोयला खानों में कार्य की शर्तें

1624. **श्री रामनारायण शर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार की केंडला तथा झारखंड कोयला खानों में कार्य की निराशाजनक शर्तों की जानकारी है;

(ख) क्या उनका विचार वहां कार्य की शर्तों का अध्ययन करने के लिए इन खानों का दौरा करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) से (ग). केंड्ला और झारखंड क्षेत्र में 45 चालू कोयला खानें हैं जो विभिन्न प्रबन्धक-ठेकेदारों द्वारा चलाई जा रही हैं और लगभग 7,000 व्यक्ति प्रतिदिन नियोजित किए जाते हैं। इन सभी एककों में बाहर खुले में कार्य होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि काम करने वाले व्यक्ति खतरे में न पड़ जाएं और कि कानून के अन्य उपबन्धों का पालन किया जाता है, खान सुरक्षा महानिदेशक उपयुक्त कार्यवाही करते हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों ने निरीक्षणों के दौरान खतरनाक कार्य-दशाओं को पकड़ा और खान अधिनियम की धारा 22(3) के अधीन 23 एकड़ों के बारे में आदेश जारी किए गए हैं और कोयले के उत्पादन के लिए व्यक्तियों का नियोजन क्रियाओं को विनियमों के अनुसार सुरक्षित बना दिये जाने तक प्रतिषिद्ध कर दिया गया है।

बिहार की केंडला तथा झारखंड खानों के कोयला खनिकों के लिए बूट तथा हेमलेटों की व्यवस्था

1625. **श्री रामनारायण शर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत जो कि इस समय लागू हैं, कोयला खनिकों को बूट तथा हेमलेट दिए जाना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार की केंडला तथा झारखंड कोयला खानों में बूट तथा हेमलेट दी गई है; और

(ग) यदि नहीं तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) मालिकों को जो कि केदला और झारखंड कोयला खानों के प्रबन्धक ठेकेदार हैं, श्रमिकों को बूट और टोप देने के लिए कहा गया है।

बिहार की केडला तथा झारखंड कोयला खानों में खनिकों की मजूरी

1626. **श्री रामनारायण शर्मा :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में केडला-झारखंड क्षेत्र में निर्धारित नियमों के अनुसार एक व्यक्ति की न्यूनतम मजदूरी कितनी है और वस्तुतः उसे कितनी मजूरी दी जाती है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इन कोयला खानों में कार्यदर के आधार पर मजूरी का भुगतान करने के लिए कोयले को तौलने का कोई प्रबन्ध नहीं है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि तौलने के प्रबन्ध न होने के कारण मजदूरों को कार्यदर के आधार पर उनकी पात्रता से बहुत कम मजूरी दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) कोयला खान श्रमिक संबंधी नियम के अधीन कोई न्यूनतम निर्धारित दर नहीं है। क्वारी खनिकों और पिक खनिकों के लिए 50 घन फुट के हिसाब से चालू मूल दर क्रमशः 5 रुपये और 6 रुपये है। जहां तक परवर्ती महंगाई भत्ते का सम्बन्ध है, दो कोलियरियों में रेसीवर द्वारा चलाये जा रहे एक ब्लाक के अतिरिक्त 42 प्रबंधक ठेकेदार कार्य कर रहे हैं। पांच प्रबंधक ठेकेदारों और रेसीवर द्वारा परिवर्ती महंगाई भत्ता 2.13 रुपये की दर पर दिया जा रहा है जबकि दो प्रबंधक ठेकेदार, इससे कम, 1.62 रुपये और 1.77 रुपये की दर पर भुगतान कर रहे हैं। इन दोनों कोयला खानों में, प्रबंधक ठेकेदार, अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए नियोजित श्रमिकों को, 100 घनफुट जमीन काटने के लिए 5.40 रुपये, अग्नि मृत्तिका और नरम पत्थर काटने के लिए 7.50 रुपये और सख्त पत्थर काटने के लिए 10.80 रुपये देते हैं।

(ख) पिस-रेटेड क्वारी माईनर्स और पिक माईनर्स का भुगतान तौल पर न करके माप पर किया जाता है।

(ग) और (घ). तोलने संबंधी प्रबन्ध में कमी सम्बन्धी कोई भी शिकायत श्रमिकों से प्राप्त नहीं हुई है।

आर्थिक सहयोग के बारे में यूगोस्लाविया से समझौता

1627. **श्री दिनेश सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया के साथ आर्थिक सहयोग का कोई समझौता विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के अन्तर्गत किसी विशिष्ट परियोजनायें स्थापित की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत और यूगोस्लाविया के आर्थिक सम्बन्धों का संचालन व्यापार एवं अदायगी करार, 1962 तथा भारत यूगोस्लाविया और मिश्र अरब गणराज्य के बीच व्यापार विस्तार एवं आर्थिक सहयोग करार के अनुसार होता है।

(ख) भारत, यूगोस्लाविया और अरब मिश्र गणराज्य के बीच त्रिपक्षीय करार के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक उपस्करों की कुछ परियोजनाएं स्थापित करने पर सहमति हुई है। लेकिन इन परियोजनाओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

ईरान के साथ आर्थिक सहयोग के लिये समझौता

1628. **श्री दिनेश सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग के लिए ईरान के साथ कोई समझौता विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के अन्तर्गत अब तक कौन-कौन सी विशिष्ट परियोजनायें स्थापित की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। पत्रों के आदान-प्रदान से जनवरी 1969 में भारत-ईरानी आर्थिक, व्यापारिक तथा तकनीकी सहयोग संयुक्त आयोग की स्थापना हुई।

(ख). भारत और ईरान में अब तक निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में निम्न औद्योगिक प्रायोजन स्थापित हुए हैं।

1. आटोमोबील पुर्जों के निर्माण वाले एक एकक ने उत्पादन शुरू कर दिया है।
2. एक भारतीय व्यापारी ने, जो ईरान का निवासी है, भारतीय कंपनी 'फिल्को' के लाइसेंस पर विद्युत केबलों के निर्माण के लिए एक कारखाना खोला है।
3. राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी ने मद्रास रिफ्राइनरी की स्थापना में भाग लिया है।
4. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तटवर्ती तेल-अन्वेषण में 'ईमिनिको' का भागीदार है; "स्टम तेल क्षेत्र" नाम का एक क्षेत्र 1967-68 में व्यापारिक घोषित किया गया।
5. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने ईरान सरकार को उस देश में इसी तरह के संगठन की स्थापना में सहयोग दिया है।
6. इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड एक इटली के फर्म को ईरान में आयल रिफ्राइनरी स्थापित करने के लिए तकनीकी जानकारी दे रहा है।

आर्थिक सहयोग के लिए श्रीलंका से समझौता

1629. श्री **दिनेश सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग के लिए श्रीलंका से कोई समझौता विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो इस करार के अन्तर्गत अब तक कौन सी विशिष्ट परियोजना में स्थापित की गई हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह) : (क) जी हां।

(ख) आर्थिक सहयोग के लिए अनेक प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं, लेकिन इस करार के अन्तर्गत अब तक कोई विशेष परियोजना शुरू नहीं की गई है। भारतीय परामर्शदाताओं ने औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में इन पांच उद्योगों की पावनाओं का अध्ययन किया है :—ग्रेफाइट आधारित उद्योग, रबर आधारित उद्योग, शीशा उद्योग, अपवर्त्तक सामग्री का निर्माण एवं अबरक उद्योग।

भारत-मिश्र आर्थिक समझौता

1630. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग के लिए मिश्र के साथ कोई समझौता विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत अब तक स्थापित की गई विशिष्ट परियोजनाएं कौन सी हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) मिश्र के साथ आर्थिक सहयोग के बारे में द्विपक्षीय करार नहीं है लेकिन भारत, मिश्र और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार के बिस्तार एवं आर्थिक सहयोग का एक त्रिपक्षीय करार अवश्य है।

(ख) इस त्रिपक्षीय करार के अंतर्गत मिश्र के साथ मिलकर अभी कोई विशिष्ट परियोजनाएं स्थापित नहीं की गई हैं।

विकासशील देशों की नौकरी पर आधारित आर्थिक नीति के बारे में विकास आयोजन संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति का प्रतिवेदन

1631. **श्री सी. टी. दण्डपाणि** :

श्री गिरधर गोमागो :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास आयोजन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र समिति ने कहा है कि विकासशील देशों की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार जुटाना और अच्छा जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करना होना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने उक्त प्रतिवेदन का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन में और किन-किन बातों का उल्लेख किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क)संयुक्त राष्ट्र विकास आयोजन समिति ने अपने आठवें अधिवेशन की रिपोर्ट में, जो 10 से 20 अप्रेल 1972 तक हुआ था, मुख्यत: जनता की गरीबी और बेरोजगारी पर ही ध्यान दिया है। इस समिति ने कहा है कि विकासशील देशों के संदर्भ में लक्ष्य यह होना चाहिए कि बेरोजगार श्रमिकों को काम के लिए प्रोत्साहित करने के प्रश्न को, जहां तक सम्भव हो, उत्पादन बढ़ाने के उपायों से, बल्कि इससे भी अधिक, संग्रह की गति बढ़ाने से जोड़ा जाए। समिति ने विकासशील देशों में से बेरोजगारी और अर्धबेरोजगारी दूर करने पर जोर दिया है।

(ख) जी हां।

(ग) विकास आयोजन समिति की रिपोर्ट में मूल बात यह है कि जनता की गरीबी की समस्याओं का तत्काल समाधान खोजना आवश्यक है। आमतौर से जिन्हें रोजगार नीति एव निर्धनता विवरण नीति की संज्ञा दी जाती है, उन पर इस समिति के विचार-विमर्श में संस्थात्मिक ढांचा, श्रमिक प्रेरणा की तकनीकों के संवर्धन, आय के अंतर को कम करने से संबद्ध नीतियों, उत्पादन-मिश्र में जन-उपयोग की वस्तुओं के हक में दिशा परिवर्तन, बेरोजगार श्रमिकों को काम पर लगाने के उद्देश्य से सार्वजनिक निर्माण के कार्यक्रम आदि पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस समिति ने यह भी कहा है कि :

(1) विकासमान देशों को गरीबी दूर करने और रोजगार संबंधी लक्ष्यों की विकास योजनाओं की परिधि से केन्द्र की ओर उन्मुख होना चाहिए;

(2) उन्हें आय और उत्पादन के वितरण से भी उतना ही सरोकार रखना चाहिए जितना कि आय और उत्पादन करने से; और

(3) उन जनवर्गों का पता लगाया जाना चाहिए जिनके उपयोग का स्तर मानवीय गरिमा के अनुरूप एक न्यूनतम स्तर तक नहीं पहुंच पाता।

पश्चिमी बंगाल पटसन समझौते को लागू करना

1632. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल बाहर के कुछ पटसन मिल मालिकों ने पश्चिम बंगाल पटसन समझौता अभी तक लागू नहीं कियां है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन नियोजकों को इस समझौते को लागू करने के लिए सहमत करने के लिए क्या कदम उठाये; और

(ग) पश्चिम बंगाल से बाहर स्थित उन कारखानों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस समझौते को पूरी तरह लागू नहीं किया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) से (ग). अनुमान है कि 7 मई, 1972 को संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार के सामने पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित जूट समझौते की ओर संकेत है। मामला राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, समझौते में व्यवस्था है कि यह सिर्फ पश्चिम बंगाल में स्थित जूट मिलों में नियोजित श्रमिकों पर ही लागू होगा। अन्य राज्यों में स्थित जूट मिलों द्वारा इसके परिपालन के प्रश्न को सम्बन्धित औद्योगिक सम्पर्क तंत्र के साथ उठाने का मामला पक्षों का होगा।

पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये निर्मित मकानों के विक्रय विलेखों का निष्पादन

1633. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के लिए देश भर में बनी बस्तियों में, राज्य-वार, उन मकानों की कुल संख्या स्थल तथा अन्य ब्यौरा क्या है जिनके विक्रय विलेख अभी तक निष्पादित नहीं हुए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कुछ ऐसे मकान भी हैं जिनका कुल मूल्य दावा-राशियों में से काट लिया गया था परन्तु जिसके विक्रय विलेख वास्तविक मालिक के लापता होने के कारण निष्पदित नहीं हुए, यदि हां, तो ऐसे मकानों का ब्यौरा क्या है और इनके लिए आवासकर आदि दे रहे व्यक्तियों के नाम क्या है और वे किस आधार पर ऐसा कर दे रहे हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) से (ग). भारत सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को रिहायशी प्लाटों के आवंटन के अतिरिक्त उनको पुनर्वास के लिए विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में बस्तियों का निर्माण किया था। पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिए या उनके द्वारा इस प्रकार बनाए गए मकानों/भवनों, दुकानों आदि की संख्या दो लाख बीस हजार से अधिक थी। बन्दोबस्त संगठन को समाप्त करने सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुसरण करते हुए विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकार तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 में दिए गए उपबन्धों के अनुसार न निपटाई गई सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्तियों के बारे में कुछ राज्य सरकारों के साथ वित्तीय तथा प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यवाही पूरी हो चुकी है और राज्य सरकारों को रिकार्ड भी हस्तान्तरित कर दिए गए हैं। माननीय सदस्य द्वारा चाही गई जानकारी क्षेत्रीय ऐजेन्सियों तथा राज्य सरकारों आदि से एकत्रित करनी होगी। जानकारी के अधिक विस्तृत होने के अतिरिक्त इसे एकत्रित करने में भी पर्याप्त समय लगेगा। इस सामग्री को एकत्रित करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह प्राप्त संभावित परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

फिर भी, विक्रय विलेखों को यथा संभव शीघ्र अन्तिम रूप देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

भारतीय स्वतंत्रता की 25वीं वर्ष गांठ के संबंध में यादगारी तख्तियों का रखा जाना

1634. **श्री समर गुह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ स्थापित किए जा रहे अच्छे पड़ोसियों के सम्बन्धों की दृष्टि से, क्या सरकार भारतीय स्वतंत्रता की 25वीं वर्ष गांठ मनाने के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बन्धित लाहौर, पेशावर और कराची जैसे स्थानों पर यादगारी तख्तियां रखने के लिए कार्यवाही करेंगी; और

(ख) क्या बंगला देश सरकार से भी ऐसी तख्तियों चिटागांग, कोमिल्ला, ढाका, राजशाही तथा अन्य जेलों में रखने के लिए अनुरोध किया जायगा, जो अनेक क्रांतिकारियों के राष्ट्रीय संग्राम और बलिदान की स्मृतियों से सम्बन्धित हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) उचित समय पर इस मामले पर विचार किया जाएगा।

(ख) इस मामले पर विचार हो रहा है।

इण्डियन एयर लाइन्स के विमान का अपहरण कर लाहौर ले जाने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय

1635. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स के विमान का अपहरण कर उसे लाहौर ले जाने के बारे में भारत और पाकिस्तान के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस बीच निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो न्यायालय ने क्या निर्णय लिया है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

1636. **श्री ज्योतिमय वसु** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मार्च और अप्रैल, 1972 में बढ़ता रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार मूल्यों में हो रही इस निरन्तर वृद्धि को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) यह वृद्धि अधिकांशतः अनाजों दालों, तेलों, दूध, चीनी, गुड़ और सब्जियों की कीमतों के बढ़ने के कारण थी।

(ग) उचित मूल्य पर खास-खास खाद्यानों तथा चीनी की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक सरकारी वितरण प्रणाली चला रही है। खाद्य वस्तुओं के मूल्यों पर हाल ही में पड़े दबाव को दृष्टि में रखकर, राज्य सरकारों को, ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में, आवश्यकता के अनुसार अधिक से अधिक उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए सलाह दी गई है। सरकारी वितरण प्रणाली को कुछ अन्य आवश्यक जिन्सों तक बढ़ाने के प्रश्न की भी छानबीन की जा रही है।

अमरीका-रूस-सन्धि

1637. **श्री समर गुहा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु हथियारों के निर्माण तथा प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से रूस तथा अमरीका के बीच हुई संधि का सरकार ने अध्ययन किया है;

(ख) क्या रूस और अमरीका ने भारत को संधि के उद्देश्यों तथा अन्य बातों के बारे में सूचित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). हमें सामान्य रूप से यह सूचना दी गई है कि दोनों देशों के बीच अणु हथियारों की होड़ को समाप्त करने के लिए ये करार पहले कदम के रूप में हुए हैं।

नेपाल में महेन्द्र राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

1638. **श्रीमती सावित्री श्याम** :
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में महेन्द्र राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए नेपाल सरकार और भारत के बीच हाल ही में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस राजमार्ग की कुल लम्बाई क्या होगी और इसमें से कितना भारत को निर्माण करना होगा, कितना निर्माण भारती सहयोग से तथा कितना नेपाल को स्वयं करना होगा; और

(ग) इस पर भारत का अनुमानित व्यय कितना होगा; और इस राजमार्ग पर कब तक कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राजमार्ग की कुल लम्बाई 1057 कि० मी० है। 256 कि० मी० का पूर्वी खंड भारत ने बनाया है और 251 कि० मी० लम्बा केन्द्रीय खंड अभी बनाया जायेगा। इस परियोजना को नेपाल सहयोग मिशन द्वारा नेपाल सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। अभी तक नेपाल ने स्वयं कुछ भी निर्माण कार्य नहीं किया है।

(ग) केन्द्रीय खंड के निर्माण का अनुमानित खर्च 25.82 करोड़ रु० है और इसी वर्ष कार्यारम्भ की सम्भावना है।

रेल के माल डिब्बों को रोक लिये जाने के कारण सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में लोह-पिण्डों का कम उत्पादन

1639. **श्री सी. के. जाफर शरीफ**: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात संयंत्रों के अन्दर ही लौह-पिण्डों का परिवहन करने वाले माल डिब्बों को रोक लिया जाना देश के सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में लौह-पिण्डों के तुलनात्मक कम उत्पादन का एक प्रमुख कारण पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). जी, नहीं। इस्पात कारखानों में इस्पात पिण्ड ले जाने के लिए रेलवे के माल डिब्बों का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर भी यदि कारखाने को कच्चा माल ले जाने वाले डिब्बों को रोके जाने से अभिप्राय है जब कि यह सच है कि रेलवे द्वारा दी गई समय की छूट में माल के डिब्बों को खाली करना संभव नहीं है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इस्पात पिण्डों के उत्पादन में इससे बाधा आई है। माल डिब्बों को शीघ्र छोड़ने के लिए भी हर सम्भव कोशिश की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष भारतीय पक्ष की वकालत करने के लिये श्री एन. ए. पालकीवाला की सेवायें प्राप्त करना

1640. **श्री डी. के. पंडा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ विभाजन संबंधी विवाद के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय

न्यायालय के समक्ष भारतीय पक्ष की वकालत करने के लिए श्री एन. के. पालकीवाला की सेवायें प्राप्त की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सेवायें किन शर्तों पर प्राप्त की गई हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय अदालत के सम्मुख मामले की पैरवी करने के लिये श्री एन. ए. पालकीवाला ने भारत सरकार से कोई फीस नहीं ली है। उन्हें केवल हेग तक बापसी हवाई जहाज का किराया और वहां ठहरने पर दैनिक भत्ता दिया गया है।

बिशाखा पत्तनम में जस्ता प्रद्रावक की स्थापना

1641. **श्री बी. एन. रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशाखा-पत्तनम में एक जस्ता प्रद्रावक (जिंक स्मेल्टर) की स्थापना के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज़खां) : विशाखापत्तनम में जस्ता प्रद्रावक की स्थापना के सम्बन्ध में, हिन्दुस्तान जिंक लि० ने, जो प्रायोजना को कार्यान्वित कर रहे हैं, विदेशी तकनीकी परामर्शश के लिए पहले ही प्रस्ताव भेज दिए हैं। यह प्रस्ताव भारत सरकार के सम्पृक्त विभागों में विचाराधीन हैं। प्रद्रावक के पोषण के लिए जस्ता संकेन्द्रकों की दीर्घावधिक आपूर्ति की व्यवस्था को शीघ्र ही विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है।

अपेक्षित भूमि का अधिकांश भाग अर्जित किया गया है और विद्युतिकीय उपस्कर के लिए आदेश दिए जा रहे हैं जिसकी वितरण सारणी दीर्घकालीन होगी। जल और विद्युत आपूर्ति के लिए करारों को राज्य सरकार के साथ शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडाला तांबा खानें

1642. **श्री बी. एन. रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के अग्गिुंडाला तांबा खानों के कार्य में इस बीच कितनी प्रगति हुई है;

(ख) वहां स्थापित किये जाने वाले तांबा संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) वहां सम्भवतः कब तक उत्पादन आरंभ हो जाएगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) सरकार ने, अग्निगुण्डला क्षेत्र के नाला कोण्डा ताम्र निक्षेप में विस्तृत समन्वेषी खनन और पूर्वेक्षण कार्य के लिए,

35 लाख रुपए की प्राक्कलित लागत पर परियोजना स्वीकृत की है। उर्ध्वस्थ कूपक में कार्य सम्पूरित हो चुका है। झुकाव कूपक के अनुखनन सहित मार्च, 1973 तक तैयार होने की सम्भावना है।

(ख) और (ग). विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट को वर्तमान विस्तृत समन्वेषी खनन और पूर्वेक्षण कार्य के आधार पर तैयार किया जाएगा। इस समय, स्थापित किए जाने वाले ताप्र संयंत्र की उत्पादन क्षमता का विनिश्चय लेना समय पूर्व की बात है। नियमित उत्पादन को चालू करने के लिए समय सारणी भी, विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट के तैयार हो जाने पर और विनिधान विनिश्चय के लिए जाने के पश्चात् ही जानी जा सकेगी।

उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का सम्मेलन

1643. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश श्रम जीवी पत्रकार संघ का 23वां वार्षिक सम्मेलन 13 जुलाई, 1972 को वाराणसी में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सम्मेलन के सभापति ने सम्मेलन में बोलते हुए, श्रमजीवी पत्रकारों तथा कर्मचारियों के लिए तीसरे मजूरी बोर्ड की स्थापना की मांग की थी;

(ग) क्या सभापति ने तीसरे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को अन्तिम रूप देने तक, श्रमजीवी पत्रकारों तथा कर्मचारियों को आन्तरिम सहायता दिए जाने की मांग की; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आर. के. **खाडिलकर**) : (क) उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का 22वां वार्षिक सम्मेलन वाराणसी में 13-14 जुलाई 1972 को हुआ।

(ख) और (ग) . जी, हां।

(घ) इस मामले, पर, मजदूरी बोर्डों के सामान्य प्रश्न के सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रम आयोग तथा श्रमिकों और मालिकों के विचारों को ध्यान में रख कर, विचार करना होगा।

सार्वजनिक उपक्रमों में बोनस का भुगतान

1644. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सार्वजनिक उपक्रमों के नाम क्या हैं जहां कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है;

(ख) उन्हें कितनी मात्रा में बोनस दिया जाता है;

(ग) शेष सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जहां बोनस नहीं दिया जाता; और

(घ) बोनस न देने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम जिन्होंने 1970-71 के लेखों में कर्मचारियों के लिए बोनस भुगतान की व्यवस्था की है तथा व्यवस्था किए गए बोनस की मात्रा अनुबंध 'क' में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या, एल० टी० 3343/72].

(ग) से (घ). ऐसे सरकारी उपक्रमों के जिन्होंसे ऐसा प्रतीत होता है कि बोनस की व्यवस्था नहीं है, अनुबंध 'ख' में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 3343/72] बोनस की व्यवस्था का न किया जाना अधिकांशत: इस कारण हैं कि कम्पनियां बोनस छुट्टी के अन्तर्गत आती हैं।

'समझौता-वार्ता की असफलता' प्रतिवेदनों पर निर्णय

1645. **श्री जे. एम. गोडर** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 'समझौता-वार्ता की असफलता' संबंधी 115 रिपोर्टों पर क्या निर्णय लिया है जिनमें पहले की अवधियों के विवाद भी शामिल हैं; और

(ख) इन बकाया रिपोर्टों पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). लंबित पड़ी 115 समझौता विफलता रिपोर्टों में से 100 रिपोर्टों के बारे में सरकार ने अब तक निर्णय ले लिया है। 50 मामले न्याया-निर्णयन के लिए निर्देशित कर दिए गए हैं और अन्य 50 मामलों में निर्देश के लिए नहीं कर दी गई हैं। पूर्ण ब्यौरों के अभाव में 15 मामले अभी अनिर्णीत पड़े हैं। ब्यौरों के अभाव और जटिल मामलों में विषयों की जांच के कारण कभी कभी निर्णय में देरी हो जाती है।

विभिन्न मजूरी बोर्डों की सिफारिशें लागू करना

1646. **श्री जे. एम. गौडर** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह अयस्क की खानों, भारी रसायन तथा उर्वरक उद्योगों सड़क परिवहन, चूना पत्थर और दोलोमाइट की खानों में मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को असंतोषजनक ढंग से लागू करने के क्या कारण हैं; और

(ख) इन क्षेत्रों में मजूरी बोर्डों की सिफारिशें लागू करने में पेश आ रही कठिनाइयां दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). सिफारशें सांविधिक रूप से पवर्तनीय नहीं हैं और अनुनय और मंत्रणा द्वारा इनको मुख्यत: लागू कराया जा रहा है। पक्षों द्वारा क्रियान्वित न किए जाने के प्रश्न पर औद्योगिक विवाद उठाने की भी छूट है, जिन हालात में "उचिम सरकारों" द्वारा औद्यौगिक विवाद अधिनियम, 1947 में व्यवस्थित तंत्रों को गतिशील किया जा सकता है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सेवा में सुधार

1647. **श्री जे० एम० गौडर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा की जा रही सेवाओं, विशेषकर चिकित्सा लाभ संबंधी सेवाओं में सुधार करने के लिये उसके द्वारा किए गए किन उपायों का पता लगा है; और

(ख) सामाजिक (सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण से संबंधित कानूनी, प्रशासनिक तथा संगठनात्मक मामलों की जांच करने वाले विशेष अधिकारी के प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि इसके द्वारा की गई सेबाओं को और अच्छा बनाने के लिए निम्न लिखित कार्य किए जा रहे हैं :—

(I) **चिकित्सा सुविधाएं**

(i) 1971-72 वर्ष के दौरान, 1,78,850 बीमा शुदा व्यक्तियों (परिवार) के एककों को जो विस्तारित चिकित्सा संबंधीं देख रेख प्राप्त कर रहे थे, चिकित्सालीयन सहित पूरी चिकित्सा की सुविधाएं दी गई हैं।

(II) 1-10-71 से, बीमा चिकित्सा व्यवसायियों को प्रति-व्यक्ति-देव फीस को, प्रति बीमा शुदा व्यक्ति के परिवार एकक पर 20 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर प्रति बीमाशुदा व्यक्ति के परिवार एकक पर 25 रु० कर दिया गया है। यह, बीमा शुदा व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्य की सुविधा के लिए चिकित्सा व्यवसाय का अधिकतर सहयोग प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के ख्याल से किया गया है।

(III) निगम 109 दवाओं, इंजेक्शनों और औषधियों संबंधी जडी-बूटियों के निर्माताओं से से ठेका-दर पर आवद्ध हो गई।

नकद और अन्य लाभ

(IV) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन विभिन्न लाभों के भुगतान की सांविधिक समयाविधि को घटाकर, शीघ्रतर भुगतान को सुनिश्चित कर दिया गया है।

(v) जहां नियोजन में आघात से अक्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना होती है, वहां बीमा शुदा व्यक्ति को चिकित्सा बोर्ड द्वारा अक्षमता के नियमित निर्धारण तक अनुमानित सुविधा की दर को 75 प्रतिशत की राशि का सामयिक भुगतान के रूप में नकद अनुतोष तुरन्त दिया जाता है। इस प्रक्रिया को, जो कि प्रयोगात्मक रूप से चालू रही है, 1971-72 वर्ष के दौरान बढ़ा दिया गया था।

(i) मृत बीमा-शुदा व्यक्ति को देय लाभ, जो पहले 100 रुपए से ज्यादा राशि होने की सूरत में कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाता था, अब बिना ऐसे प्रमाण पत्र के एक जमानती सहित एक क्षतिपूर्ति बांड के प्रस्तुत करने पर 500 रुपए की सीमा के अन्दर किया जाता है।

(ii) जिन बिमारियों के लिए योजना के अधीन बढ़ाए हुए बीमारी लाभ देय हैं, उनमें से एक समूह की बीमारियों के बीमार बीमा शुदा व्यक्तियों की पदच्युति को 18 मास और अन्य ग्रुप की बीमारियों के लिए 12 मास की अवधि को सुरक्षित करने के लिए विनिमन को संशोधित कर दिया गया है।

(स) भारतीय श्रम सम्मेलन के आगामी सत्र में विशिष्ट अधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निश्चिय किया गया है। भारतीय श्रम सम्मेलन के विचारों के प्रकाश में मामले की आगे जांच की जायेगी।

श्रीलंका से स्वदेश लाये गये व्यक्ति

1648. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970 से, वर्षवार, कितने भारत-मूलक व्यक्ति श्रीलंका से स्वदेश लाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) :

1970	...	...	7,988
1971	...	...	25,136
1972	...	...	19,211
	(22-7-1972 तक)		

ईधन नीति समिति का प्रतिवेदन

1649. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्रीराम कंवर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1970 में नियुक्त ईधन नीति समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाजखां) : (क) ईधन नीति समिति ने "सप्त-दशाब्दियों के लिए ईधन नीति" शीर्षक की अपनी रिपोर्ट का प्रथम भाग प्रस्तुत किया है।

(ग) समिति के महत्वपूर्ण निर्णय और सिफारिशों को दर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल. टी. 3344/72]। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

कोयला–बैंकों की स्थापना

1650. **श्री सुखदेव प्रसाद बर्मा :**
श्री मानसिंह भौरा :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कोयला उपभोक्ता संघ ने सरकार से प्रमुख नगरों में कोयला बैंक स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) संगम द्वारा कोयला बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव, "संचित-कोयला" वाली वही परियोजना है जिसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने के लिए सूत्रबद्ध किया गया था। तथापि, उस समय राज्य-सरकारों से प्राप्त उत्तर उत्साह-वर्धक नही थे।

यह अनुभव किया गया है कि जब तक बैगन आपूर्ति की स्थिति में सुधार नहीं होता, "संचित-कोयला" की स्थापना का प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं होगा।

इस वर्ष से बैगन आपूर्ति में अभिवृद्धि के संबंध में रेल-मंत्रालय द्वारा आश्वस्त किए जाने पर राज्य सरकारों को परियोजना के कार्यान्वियन के लिए एक बार पुनः कहा गया है। उनकी टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।

खनिजों की खोज

1651. **श्री एम. कतामुतु** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खनिजों की खोज धीमी गति से चल रही है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश भर में खोज तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). देश में किए जा रहे खनिज समन्वेषण की गति मन्द नहीं है। लेकिन प्रसरणशील अर्थ-व्यवस्था की बढ़ती हुई अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए इसकी विद्यमान गति वर्धित की जा सकती है।

इस समय भूवैज्ञानिक मानचित्रण से उपलभ्य राशियों के प्रमाणीकरण तक का संपूर्ण खनिज समन्वेषण कार्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, (सरकारी अधीनस्थ विभाग) द्वारा किया जा रहा है। सरकार का विचार है कि यदि विस्तृत समन्वेषण और उपलभ्य राशियों के प्रमाणीकरण से संबंधित कार्य का भाग पब्लिक सेक्टर में किसी स्वायत्त कम्पनी को अन्तहित किया जाए, तो इससे समन्वेषण क्रिया-कलाप में गति और दक्षता आएगी। अतः यह विनिश्चय किया गया है कि पब्लिक सेक्टर में खनिज समन्वेषण निगम स्थापित किया जाए जिसका कर्तव्य संभावित न्यूनतम समय में विस्तृत खनिज समन्वेषण और उपलभ्य राशियों का प्रमाणीकरण करना होगा।

कोयला मजूरी बोर्ड के पंचाट को लागू करना

1652. **श्री एम. कत्तामुतु** : क्या श्रम ओर पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग कोयला मजूरी बोर्ड के पंचाट को पूर्णतया लागू करने में असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि कोयला उद्योग इसे पूर्णतया लागू करे ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) जी हां। मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को कई एक कोलियरियों ने पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया है।

(ख) मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करवाने के लिए प्रयास जारी हैं।

पंजीकृत रोजगार व्यक्ति

1653. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री ईश्वर चोधरी :

क्या श्रम ओर पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1972 को देश भर के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर श्रेणीवार और राज्य-वार अर्थात् स्नातकोत्तर, स्नातक, मैट्रिक-पास और कारीगर तथा गैर-कारीगर व्यक्तियों आदि की संख्या कितनी कितनी थीं;

(ख) इन आंकड़ों की गत तीन वर्षों के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ग) बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) और (ख). जून, 1972 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज कुल व्यक्तियों की संख्या 56,87,978 थी। तथापि, शैक्षपिक स्तर अनुसार नवीनतम् उपलब्ध जानकारी दिसम्बर, 1971 के संबंध में है, जो कि संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 3345/72]।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित बिभिन्न विकास कार्यक्रमों की कार्यान्विति के फलस्वरूप भारी संख्या में सृजित रोजगार अवसरों के अतिरिक्त, वर्ष 1970-71 से चलाई गई विशेष रोजगारोन्मुख परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों से जिनमें वर्ष 1971-72 के दौरान शिक्षित व्यक्तियों के लाभ के लिए आरम्भ किए गए कार्यक्रम भी शामिल हैं, अधिकाधिक संख्या में रोजगार अवसरों के सृजित होने की आशा है।

1972-73 के केन्द्रीय बजट में प्रारम्भिक शिक्षा, गंदी बस्तियों का सुधार, देहाती आवास, स्थल, ग्राम जल पूर्ति आदि जैसी विशिष्ट कल्याण परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस राशि में विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिए 60 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं, जो 1971-72 में शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों को जारी रखने तथा देहाती एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में नए कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए होंगे।

राउरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार

1654. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात कारखाने के विस्तार के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय अब ले लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) से (ग). यह मामला विचाराधीन है।

विदेश मंत्रियों का एशियाई शिखर सम्मेलन

1655. **श्री नवलकिशोर शर्मा** :
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्रियों का एशियाई शिखर सम्मेलन निकट भविष्य में होगा यदि हां, तो यह शिखर सम्मेलन कौन से स्थान पर होगा ।

(ख) विश्व में शान्ति बनाये रखने के लिए भारत द्वारा रखे जाने वाले प्रस्ताव सहित, इस शिखर सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की जायगी; और

(ग) क्या इस सम्मेलन में 'हिन्द महासागर में शान्ति' के विषय पर चर्चा की जायेगी ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार के ध्यान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव या विचार नहीं आया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

जमशेद पुर ii स्पंज आयरन पायलट प्लांट

1656. **श्री के. लकप्पा :**
श्री किशन मोदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री जमशेदपुर में स्पंज आयरन मार्गदर्शी प्लांट, की स्थापना के बारे में 16 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 377 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त प्लांट स्थापित करने का उद्देश्य क्या है ; और

(ख) इस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) पायलट संयंत्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य नान-कोकिंग कोयले के इस्तेमाल से स्पंज आयरन के उत्पादन के लिए कच्चे माल और विस्तृत तकनीकी समष्टि की उपयुक्तता का पता लगाना है ।

(ख) वर्तमान अनुमान लगभग 50 लाख रुपये हैं ।

Refusal of permission to an American to visit India

1657. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the letter of Professor Richard R. Renner published in 'The Hindustan Times" of the 10th July, 1972;

(b) if so, whether Government refused permission to the American educationists to visit India; and

(c) if so, the reansons therefor ; and the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRAPAL SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). The overall policy of Government towards foreign educational programmes and institutions in India remains under review. For administrative reasons, Government have decided to limit the number of educational travel programmes permitted each year from any one country. Programmes not included for 1972 will receive sympathetic consideration, on a priority basis, in subsequent years.

Purchase of tent Poles

1658. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of SUPPLY be pleased to state :

(a) whether tent poles were purchased in 1968, if so, the names of the firms from which the tent poles were purchased and the terms and conditions thereof and whether a copy of the said terms and conditions would be laid on the Table of the House;

(b) the dates when these firms supplied the goods indicating the kind, specifications and prices thereof;

(c) whether the first lot of stock was seen after two and half months ; and

(d) whether goods were purchased in large quantity and on higher prices from those very firms which did not supply goods in time ?

THE MINISTER OF SUPPLY (SHRI CHAVAN) : (a) & (b). A statement of contracts placed by the Directorate General of Supplies & Disposals for the purchase of Tent Poles during the year 1968 indicating the particulars about the names of the firms, the governing specifications, rates, quantities and deliveries etc. is attached. [*Placed in Library. See.* LT—3346/72]. All these contracts are governed by the conditions of contract contained in DGS&D Form No. 68 (Revised), a copy of which is avaliable in the Parliament Library. As regards the specific conditions like the place of delivery, the inspection authority and the actual delivery schedule, etc, these have to be stipulated in terms of the requirement of the indentor and as such vary from contract to contract.

(c) It is presumed that the Hon'ble Member desires information regarding the delay in the inspection of first consignment tendered for inspection. The position is that in so far as DGS&D aware, no complaint was received from any of the firms on whom contracts were placed in 1968 for the supply of Tent Poles that there was a delay of $2\frac{1}{2}$ months in the inspection of the first lot tendered by them for inspection,

(d) Out of the 26 contracts placed in 1968 for the supply of Tent Poles, supplies were completed within the delivery period in the case of eight contracts while in respect of the other contracts the supplies were either not at all made or were partly made within the the stipulated delivery period. Some of the contracts had been cancelled at the risk and expense of the defaulting contractors and the risk purchase arranged. The information as to whether Tent Poles were purchased in large quantity and on higher prices from those very firms which did not supply goods in time, is being collected and will be laid on the Table of the House.

इस्पात के लिए 'होल्डिंग' कम्पनी के चेयरमैन की नियुक्ति

1659. **श्री एस. एल. मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एम. ए. वादूद खान को, जो इस समय टाटा आयल मिल्स कम्पनी के महा-निदेशक हैं, इस्पात की 'होल्डिंग' कम्पनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या वह भारत सरकार के सचिव भी होंगे, और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने किन बातों को ध्यान में रखकर उनको इन दोनों पदों पर नियुक्त किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). श्री एम. ए. वादूद खान को सरकार का सचिव तथा इस्पात उत्पादन तथा संबद्ध आदान उद्योगों की होल्डिंग कम्पनी का पदनामित अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए चुना गया है । ऐसा विचार है कि जैसे ही कम्पनी का गठन हो जायेगा उन्हें इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जायेगा । यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि एक ओर होल्डिंग कंपनी निर्णय लेने की श्रृंखला में एक अन्य कड़ी मात्र ही न बन जाए बल्कि सरकार तथा मंत्रालय के कम से कम विनियमता तथा मार्ग दर्शन से अपने कार्यों तथा कर्तव्यों को कार्य कुशलता से चला सकें तथा दूसरी ओर होल्डिंग कंपनी पूरी तरह से सरकार की सामाजिक आर्थिक नीतियों के अनुरूप बन सकें और उन्हें कर्तव्य परायणता से तथा कुशलतापूर्वक कार्यान्वित कर सकें।

आंध्र प्रदेश में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा खोज कार्य

1660. **श्री वाई. ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेलाराम, खम्भाम में बेंकटबूरम, आनगोला जिले में रामसुन्दरम और आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किए गए खोज कार्यों में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) सर्वेक्षण के प्रारम्भिक परिणाम क्या हैं; और

(ग) सर्वेक्षण को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालल में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मेलाराम, रामा समुद्रम, गारीमानीपेन्टा और गज्जालकोण्डा में व्यधन संपूरित किया गया है । मेलाराम में समन्वेषी खानन प्रगति पर है । मई 1972 तक, वैंकटपुरम में 971 मीटर, गानीकालवा में 3133 मीटर और जंगाम्रजुपाल्ले में 1473 व्यधन किया गया है । इन सभी पूर्वेक्षण, स्थलों में व्यधन प्रगति पर है ।

(ख) अब तक किए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, मेलाराम में 1.35 प्रतिशत ताम्रांश वाले ताम्र अयस्क के लगभग 8.14 लाख टन का अनुमान है। वेंकटपुरम और गानी कालवा में ताम्र खनिजीकरण की लगभग 250 मीटर की अनुदेर्घ्य लम्बाई और जंगालपल्ले में सीसा जस्ता, ताम्र खनिजीकरण की 400 मीटर की अनुदेर्घ्य लम्बाई अंकित की गई है। वेंकटपुरम में, जहां व्यधन प्रगति पर है, 2.34 मीटर की मोटाई का ताम्र-सीसा-जस्ता खनिजीकरण क्षेत्र प्रतिच्छेदित किया गया है। वेंकटपुरम, गारीमानीपेन्टा और गज्जालाकोण्डा के समन्वेषण के परिणाम हतोत्साही हैं।

(ग) इन पूर्वेक्षणा-स्थलों में किए जा रहे वर्तमान कार्यक्रम के 1973 तक संपूरित होने की आशा है।

आंध्र प्रदेश में तांबे का खनन

1661. **श्री वाई. ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में नलकोंडा स्थित तांबा-खानों से प्रतिदिन 500 टन तांबा निकालने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वास्तविक खनन कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री शाहनवाज खां**) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए इस समय विस्तृत समन्वेषी खनन और पूर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया है। अतः उस समय के सम्बन्ध में, जब वास्तविक खनन कार्य आरम्भ होगा, कुछ भी कहना समय-पूर्व की बात होगी।

भारत और बंगला देश के मध्य सीमा-यात्रा को नियमित करना

1662. **श्री एस. एम. बनर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाओं पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए 1 सितम्बर, 1972 से भारत और बंगला देश के मध्य यात्रा का पासपोर्ट और वीजा पद्धति के द्वारा विनियन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा बंगला देश सरकार के परामर्श से किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह) : (क) से (ग). भारत और बंगला देश की सरकारें दोनों देशों के बीच आवागमन का विनियमन करने की दृष्टि से पासपोर्ट एवं वीजा प्रणाली आरम्भ करने को सहमत हो गई हैं। 1 सितम्बर, 1972 से एक दूसरे देश में जाने वाले दोनों देशों के राष्ट्रिकों को यात्रा के लिए खास तौर से बने पासपोर्ट लेने होंगे जिनपर वीजा भी लगे होंगे। वे अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्टों पर भी यात्रा कर सकते हैं लेकिन उन पर वीजा प्राप्त कर लेने के बाद बंगला देश अथवा भारत हस्ताक्षित होना चाहिए।

2. पासपोर्टों पर यात्रा करना सामान्य अन्तराष्ट्रीय व्यवहार है और भारत तथा बंगला देश के बीच यात्रा का आरम्भ केवल इस दृष्टि ले नहीं किया जा रहा है कि सीमा पर किए जाने वाले अपराधों को रोका जाए बल्कि सामान्य रूप से यात्रा का नियमन किया जाए। भारत और बंगला देश के बीच यात्रा के लिए पासपोर्ट प्रणाली आरम्भ करने के अलावा, कोई खास बाधाएं खड़ी नहीं की गई हैं।

भारत और बंगला देश के बीच संधियां और करार

1663. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगला देश के मुक्त होने के बाद भारत और बंगला देश के बीच हुई विभिन्न संधियों और करारों का मूल पाठ क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : बगला देश के साथ सम्पन्न निम्नलिखित संधियों और करार सदन की मेज पर रख दी गई हैं :

(1) दूर संचार करार; 27 मार्च, 1972

(2) व्यापार करार; 28 मार्च, 1972

(3) भारत बंगला देश ऋण करार; 16 मई, 1972

[ग्रन्थालय में रखे गए/देखिये संख्या एल. टी. 3347/72]

2. 19 मार्च, 1972 को सम्पन्न मित्रता, सहयोग और शांति की संधि का पाठ 20 मार्च, 1972 को ही सदन की मेज पर रखा जा चुका है।

राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी

1664. **श्री सो. के. चन्द्रगुप्त** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कहा था कि देश के विभिन्न कार्यों और व्यवसायों के लिये मजूरी ढांचा निश्चित करने के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी होनी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) और (ख). श्रम और पुनर्वास मंत्री ने यह वक्तव्य 7 जुलाई, 1972 को पूना में दिया । ऐसा करते हुए उन्होंने यह राय व्यक्त की कि श्रमिकों के लिए मजदूरी-ढांचे के निर्धारण का आधार श्रमिकों के वर्ग के व्यवसाय का स्वरूप होना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा कि श्रमिकों के विभिन्न वर्गों की मजदूरी के ढांचे के निर्धारण में एक अन्य प्रश्न देश भर में एक जैसी रोजगारों के लिए मजदूरी दरों का युक्ति-करण है ।

ब्रिटेन में भारतीय दूतावास की कड़ी आलोचना

1665. **श्री सी. के. चन्द्रप्पन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने एक ऐसे भारतीय को नया पार-पत्र जारी किये जाने के कारण, जिसने ब्रिटेन के आव्रवास विधियों का कथित उल्लंघन किया था ब्रिटेन में हमारे दूतावास की कड़ी आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). पिछले कुछ महीनों में सरकार ने दो अलग-अलग मामलों से सम्बद्ध रिपोर्ट देखी हैं । अभी हाल में उपलब्ध हुई एक मामले के निर्णय की प्रति से यह प्रतीत होता है कि प्रेस रिपोर्ट सम्बन्धित ब्रिटिश मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये वास्तविक निर्णय पर आधारित नहीं है । फिर भी मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ।

कारखाना श्रमिकों का न्यूनतम वेतन

1666. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कारखाना-श्रमिकों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). सम्बन्धित सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन अधिनियम की अनुसूची में शामिल नियोजनों के लिए, चाहे वे कारखाना-प्रतिष्ठानों में हों या अन्यों में, मजदूरी दरें पहले ही निर्धारित की जा चुकी हैं ।

Strikes and Lockouts in Labour Institutions

1667. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the total number of incedents of strikes and lock-outs in various public and private sector undertakings, industrial concerns, factories, mills etc. in the country during the last 5 months;

(b) the total number of man-days lost as a result thereof; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to check the incedents of strike and lock-out in the labour institutions ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) and (b). According to available provisonal information, the number of strikes and lock-outs during January to May, 1972 and the number of mandays lost as a result of these strikes and lock-outs were as follows :

No. of strikes and lock-outs	*No. of mandays lost*
952	3,545,405

(c) The main effort is to minimise work-stoppages throgh preliminary discussions, informal mediation, conciliation and adjudication or arbitration as necessary under the existing statutory machinery and voluntary arrangements. Government have also been holding disoussion with the interests concerned, including Workers' and Employers' Organisations, to evolve agreed measures to secure improvements in the industrial relations system.

इस्पात के उत्पादन में आत्म-निर्भरता

1668. **श्री के. माधन्ना :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के उत्पादन के मामले में भारत आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में बहुत पीछे है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ख) क्या भारत और जापान ने इस्पात का उत्पादन एक ही समय में प्रारम्भ किया था लेकिन इस्पात के उत्पादन में जापान के कच्चे माल के न होने पर भी भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस बारे में कोई मूल्यांकन करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) आशा है कि बोकारो इस्पात कारखाने के चालू हो जाने और वर्तमान इस्पात कारखानों के 90% उत्पादन क्षमता प्राप्त कर लेने से इस्पात के उत्पादन में 2 अथवा 3 वर्ष में आत्म-निर्भरता प्रायः प्राप्त हो सकती है।

(ख) गत दो दशाब्दियों में इस्पात की क्षमता में जापान में दस गुना वृद्धि की तुलना में भारत में छः गुना वृद्धि हुई है। जापान में आर्थिक वृद्धि (इस्पात का उत्पादन भी शामिल है) न केवल भारत बल्कि अन्य बहुत से देशों से बहुत अधिक हुई है। इस पर इस सामान्य पृष्ठ भूमि को

ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए कि जापान ने औद्योगिक विकास, स्वचालित मशीनों और परिचालन-दक्षता और अनुशासन द्वारा न केवल इस्पात के क्षेत्र में बल्कि औद्योगिक गतिविधि के बड़े क्षेत्र जैसे पोत-निर्माण, मशीन-निर्माण, इलेक्ट्रानिक आदि में द्रुत गति से प्रगति की है।

(ग) जी, नहीं।

खानों में दुर्घटनायें

1669. **श्री के. मालन्ना :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला तथा गैर-कोयला खानों में दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969-70, वर्ष 1970-71 और वर्ष 1971-72 में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ग) दुर्घटनाओं की संख्या में कमी करने के लिए खान सुरक्षा के महानिदेशक के विभाग को सुदृढ़ करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) और (ख). 1969 से आगे घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दी जाती है :—

वर्ष	घातक दुर्घटनाएं		गंभीर घटनाएं	
	कोयला	गैर कोयला	कोयला	गैर कोयला
1969	211	78	1650	861
1970	194	58	1577	786
1971	199	65	1451	789
1972 (जून तक)	103	32	699	376

उपरोक्त से पता चलेगा कि कोयला खानों में गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या में 1969 से धीरे-धीरे कमी होती गई है और कोयला और गैर कोयला खानों दोनों में घातक दुर्घटनाओं गैर कोयला खानों दोनों में घातक दुर्घटनाओं गैर कोयला खानों में गंभीर दुर्घटनाओं में सीमान्त उतार-चढ़ाव होते रहे हैं।

(ग) ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है।

लोहा और इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण

1670. श्री के. मालन्ना :

श्री बीरेन्द्रसिंह राव :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में लोहा और इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जी, नहीं ।

इलाहाबाद में सिलिका रेत का पाया जाना

1971. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इलाहाबाद जिले के शंकरगढ़ क्षेत्र में उत्कृष्ट किस्म की सिलिका रेत पायी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सिलिका-रेत का अच्छी तरह उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) बांदा-इलाहाबाद जिलों में शंकरगढ़, लेहगढ़ और बारगढ़ के समीप के सीसा रेत निक्षेपों को भारत में सीसा रेत का सर्वोत्तम श्रोत माना गया है । उत्तरी भारत में अधिकांश सीसा उद्योगों की अपेक्षाओं की पूर्ति इस क्षेत्र से की जाती है ।

(ख) खनन और भूविज्ञान निदेशालय, उ० प्र० द्वारा शंकरगढ़ में सिलिका सैण्ड वाले क्षेत्रों और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण और परीक्षण किया जा रहा है और उच्च श्रेणी रेत के कुछ क्षेत्रों को आरक्षित करने का प्रस्ताव है जिससे कि पब्लिक सेक्टर में उस पर आधारित उद्योगों को स्थापित किया जा सके । उत्तर प्रदेश सरकार के पास यह भी प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश में इस समय चालू संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधीन इस क्षेत्र में उपलब्ध रेत के अन्वेषण और तकनीकी अध्ययन किए जाएं ।

उत्तर प्रदेश में खनिजों को निकालने के लिए सहायता

1672. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के बांदा, बुंदेलखंड और मिर्जापुर के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में खनिजों वाले विस्तार भूभाग पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन खनिजों को निकालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी सहायता देने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप अभी तक उत्तर प्रदेश के बांदा, जिले में बाक्साइट, डोलोमाइट, मृत्तिका और सीसा, मिर्जापुर जिले में डोलोमाइट, चूनापत्थर, कोयला, लौह अयस्क, अग्नि सह-मृत्तिका और संगमरमर; और बुन्देलखंड के झांसी जिले में डाइस्पोर, पाइरोफिलाइट, लोह अयस्क और सीसा रेत के निक्षेप अवस्थापित किए गए हैं।

(ख) बांदा जिले में मृत्तिका और सीसा रेत; मिर्जापुर जिले में चूना पत्थर, कोयला, अग्नि-सह-मृत्तिका और संगमरमर और झांसी जिले में डाइस्पोर और पारोफिलाइट पहले ही समुपयोजनाधीन है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सिंगरौली कोयला निक्षेपों के राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा विकास और समुपयोजन के लिए परियोजना भारत सरकार के विचाराधीन है।

आंध्र प्रदेश में तांबा और जस्ता के निक्षेपों का उपयोग

1673. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कुड्डापाह जिले में जंगामराजुपाल्ले में तांबा और जस्ता के निक्षेपों की मात्रा का अनुमान लगाने और उनके वाणिज्यक उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने हेतु जांच पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा आंध्र प्रदेश के कुड्डपा जिले में जंगामारजुपल्ली सीसा जस्ता ताम्र खनिजीकरण में व्यधन द्वारा विस्तृत अन्वेषण प्रगति में है। कुल 1473 मीटर व्यधन किया गया है। अभी तक किए गिए अन्वेषण ने 2.45 से 8.59 मीटर की विभेदता को लिए हुए 400 मीटर लम्बे सीसा जस्ता ताम्र खनिजीकरण को उपदर्शित किया है। उपलभ्य राशियों और श्रेणियों को अन्वेषण के समापन के पश्चात ही संग्रथित किया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निरीक्षकों के तबादले

1674. **श्री राजेंद्रप्रसाद यादव : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निरीक्षकों के तबादले के बारे में 16 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 402 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कुछ सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचना भेजी हैं :—

(क) जी हां। ऐसे ग्रेड-I और ग्रेड-II निरीक्षकों की संख्या जो एक ही क्षेत्र में पिछले 8/9 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, क्रमश: 9 और 54 है। ऐसे निरीक्षकों की संख्या जो एक ही शहर में पिछले 8/9 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, केवल 8 हैं। यद्यपि ये निरीक्षक एक ही स्टेशन में रहते आए हैं, तथापि उनका क्षेत्राधिकार समय-समय पर बदला जाता रहा है।

(ख) साधारण निरीक्षक एक शहर में तीन वर्षों की अवधि के बाद बदल दिए जाते हैं। अन्त-क्षेत्रीय बदलियां तथा तीन वर्षों से पहले वदली नियम के रूप में प्रशासनिक विचार को ध्यान में रखकर की जाती है। लेकिन जहां किसी निरीक्षक की तीन वर्ष के बाद एक शहर से बदली प्रशाशन की दृष्टि में उपयोगी नहीं समझी जाती है, उसका क्षेत्राधिकार उक्त अवधि के पश्चात् वदल दिया जाता है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार द्वारा बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का दौरा

1675. **श्री राजेंद्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि, बिहार के क्षेत्रीय आयुक्त और सहायक आयुक्त पटना में बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड जैसे पुराने चूककर्त्ताओं के कार्यालयों में दौरे पर गए थे;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में क्षेत्रीय आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त ने इन दो प्रतिष्ठानों में कितनी बार और किस-किस तिथि को निरीक्षण किया और यदि नहीं, तो उसके क्या कार हैं; और

(ग) अपने अधीन कर्मचारियों के माध्यम से काम करने का प्रयत्न करने की अपेक्षा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की उचित कार्यान्वित को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा समस्त क्षेत्रीय आयुक्तों और सहायक आयुक्तों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सभी क्षेत्रों में दौरा करने के लिए निदेश न देने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना भविष्यनिधि प्राधिकारियों द्वारा एकत्र की जा रही है। यह यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 अथवा उसके अन्तर्गत बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन आये हुए प्रतिष्ठानों का निरीक्षण जहां कहीं

सुचारु प्रशासन तथा अधिनियम के उपबन्धों की क्रियान्विति के हित में आवश्यक समझा जाता है। प्रादेशिक सहायक आयुक्तों द्वारा किया जाता है। सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कोई भेदभाव नहीं वर्ता जाता। कोई विशिष्ट निर्देश आवश्यक नहीं समझे जाते हैं।

बिहार के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्लर्कों का अनुपात

1676. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोअर डिविजन क्लर्कों और अपर डिवीजन क्लर्कों के पदों के संशोधित अनुमान, अर्थात् 2:1 से 1:2 हो जाने पर, बिहार क्षेत्र के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर डिवीजन क्लर्कों की संख्या 44 के स्थान पर, जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा स्वीकृत की गई है, 69 होनी चाहिए तथा कुल संख्या 103 में से अपर डिवीजन क्लर्कों की कुल संख्या 69 होनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुपात को उलटा करके अनियमितता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) और (ख). यह एक स्वायत्त संगठन संबंधी प्रशासनिक ब्यौरे का मामला है, जिसके बारे में सरकार के पास सूचना नहीं है।

भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को भूमि और मकानों का आवंटन

1678. **श्री रणबहादुर सिंह** :
श्री पप्पन गोडा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को भूमि और मकानों के आंवटन के बारे में सरकार का विचार क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त को आदेश जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह आदेश कब तक जारी किए जायेंगे ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव इस विभाग के विचाराधीन नहीं है।

Distribution of Steel to Industries in Madhya Pradesh

1679. SHRI DHAN SHAH PRADHAN :
SHRI G. C. DIXIT:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2769 on the 13th April, 1972 regarding distribution of steel to Industries in Madhya Pradesh and state :

(a) whether the requisite information has since been collected; and

(b) if so, the time by which it is expected to be completed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) and (b). Complete information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as the same is received.

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के उत्पादन

1681. **श्री सी. जनार्दन :**

श्री के. मालन्ना :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के संयंत्र की निर्धारित क्षमता क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में इस संयंत्र में विभिन्न प्रकार के इस्पात का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) इस संयंत्र में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) दस लाख टन इस्पात पिण्ड जो 800,000 टन विक्रेय इस्पात प्रतिवर्ष के बराबर है ।

(ख) गत तीन वर्षों का विभिन्न श्रेणियों के इस्पात का उत्पादन निम्नलिखित है : —

श्रेणी	उत्पादन		
	1969-70	1970-71	1971-72 (टन)
1. ब्लूम और बिलेट	103,000	60 000	39,000
2. रेल की पटरी	66,000	60,000	5 ,000
3. छड़	176,000	155,000	182,000
4. संरचनात्मक	117,000	120,000	118,000
5. चादरें	106,000	114,000	10 ,000
योग :	568,000	509,000	500,000

(ग) 14 जुलाई, 1972 से सरकार ने कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है यह कदम उत्पादन में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है । उत्पादन में गिरावट मुख्यतया निम्नलिखित कारणों से हुई थी :—

(क) अप्रभावी प्रबन्ध;

(ख) पतिस्थापन, मरम्मत और संधारण कार्यक्रमों की ओर पूरा ध्यान न देना;

(ग) संयंत्र और उपकरणों के आधुनिकीकरण का पर्याप्त न होना।

कम्पनी का प्रबन्ध संभालने के पश्चात् उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) प्राथमिकता के आधार पर कोक ओवनों की मरम्मत करना;

(ख) माल को उतारने चढ़ाने वाले उपकरणों की प्राप्ति;

(ग) स्टील मेल्टिंग शाप में क्रेनों और दूसरे उपस्करों की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन;

(घ) बाहर से कोलतार तथा कोक मंगवाना।

प्रतिस्थापन कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करने के लिए एक योजना बनाई जा रही है।

भारतीय क्रय मिशन, वाशिंगटन में कर्मचारियों की संख्या में कटौती

1582. **श्री सी. जनार्दन** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से अनाज का आयात बन्द कर दिए जाने के बाद, वाशिंगटन स्थित भारतीय क्रय मिशन के कर्मचारियों की संख्या में कोई कटौती की गई;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारी घटाये गए हैं; और

(ग) इस कार्यवाही के फलस्वरूप कुल कितनी बचत हुई ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी. आर. चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) भारत पूर्ति मिशन, वाशिंगटन में खाद्य और उर्वरकों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने वाला एक सामान्य सैल है। 1970 के मध्य से, इस सैल के स्टाफ में से कुल 15 कर्मचारियों की कटौती की गई।

(ग) लगभग 6,45,000.00 रुपये।

Shopping Centre for E.S.I. Employees near Punjabi Bagh New Delhi

1683. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the residential quarters which have been built near Punjabi Bagh, New Delhi for the benefit of employees of E.S.I. Hospital, had already been allotted last year;

(b) whether in the absence of a shopping centre, these people have to face great inconvenience fcr purchasing the articles of daily use; and

(c) if so, the time by which it would be constructed ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : The E.S.I.C. has furnished the following information :

(a) 289 quarters had been allotted last year and 53 quarters have been allotted this year to the E.S.I.C. employees.

(b) and (c) . There are a number of shops in the village Basaidarapur which is adjacent to the E.S.I. Hospital Residential Complex and from where the employees have been purchasing the articles of daily use without much inconvenience. The question of constructing a shopping centre is not under consideration.

Educated Unemployed Women

1684. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of such educated women in the country at present as wish to get employment; and

(b) the steps taken by Government to provide them employment and the number of women who have been employed as a result thereof as also the steps proposed to be taken by Government in future in this regard ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) Precise information is not available. The available information relates to the number of educated women work-seekers (matriculates and above), all of whom are not necessarily unemployed, who are registered with the Employment Exchanges. Their number was 3,28,380 as on 31.12.1971.

(b) In addition to the employment opportunities generated as a result of implementation of various development programmes included in the Fourth Five Year Plan, increasing number of job opportunities (both for educated males and females) are expected to be created by the Special Employment Oriented Schemes and Programmes being implemented, since the year 1970-71.

Precise estimates of the number of women who would get employment as a result of these measures are not available.

Criteria for granting licences to States for setting up Mini Steel Plants

1685. SHRI M. S. PURTY : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the criteria adopted for granting licences to States for setting up mini steel plants; and

(b) the production target of steel fixed by Government for 1972-73 in respect of these new plants ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) Applications for grant of industrial licences received from State Industrial Development Corporations or private entrepreneurs for setting up scrap-based units for the manufacture of steel ingots/billets in electric furnaces are considered on merits taking into account techno-economic feasibility availability of scrap, and other relevant factors. All applications from State Industrial Development Corporations received so far have been favourably considered.

(b) No target as such has been fixed.

Appointment of non-Biharis in Coking Coal Mines taken over

1686. SHRI SHAKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether after the nationalisation of coking coal Mines, Biharis are being neglected in Bihar and non-Biharis are being appointed on higher posts;

(b) whether the Government of Bihar have sent any memorandum to the Central Government in this regard; and

(c) the number of persons drawing salaries of more than Rs. 1500 appointed after nationalisation of coking coal mines and the number of Biharis and non-Biharis among them separately ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) and (b). No, Sir.

(c) After take over of the coking coal mines only one appointment has been made by the company in a post carrying a salary over Rs. 1500/- and the person appointed is a Bihari. But 54 officers of the taken over collieries and 11 on deputation from the Government and other organisations are also drawing a salary of Rs. 1500/- or more. Among four functional directors of the Bharat Coking Coal, two are Biharis and the others are non-Biharis. Out of a total of 70 officers drawing salaries over Rs. 1500/-, sixteen are Biharis and others are non-Biharis.

Languages used in Treaties with Foreign Countries

1687. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the languages in which the treaties with foreign countries are concluded;

(b) whether all the treaties are concluded in Hindi also as per Government decision; and

(c) the languages in which Simla Agreement was drafted and the languages in which the representatives of both the countries signed ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Treaties are generally signed in English, Hindi and the language of the other party;

(b) A treaty is concluded in Hindi also if the other party desires the signing of the treaty in their language, besides preparing a text in English.

(c) The Simla Agreement was prepared in the English language only. The Prime Minister of India signed the Agreement in Hindi as well as in English and President Bhutto in English only.

Expenditure on Houses built for Refugees from Bangla Desh

1688. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state the total expenditure incurred by Government on the construction of temporary houses at various places to house the refugees from Bangla Desh ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : The total expenditure incurred on construction of temporary houses at various places has been estimated at about Rs. 32.50 crores.

Strike in Coking Coal Mines after Nationalisation

1689. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the total number of coal mines workers in Bihar at the time of nationalisation of coking coal mines;

(b) the increase in the number of workers in Bihar since the nationalisation of Coking Coal Mines;

(c) whether the workers of the nationalised coal mines went on strike since their nationalisation in support of any of their demands; and

(d) if so, their demands and the action taken in this regard ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) 2,05,504.

(b) 2,114.

(c) Yes.

(d) A statement indicating the demands of the workers who struck work in the coal mines taken over by Government under the Coking Coal Mines (Emergency Provision) Ordinance, 1971, and all the action taken on them, is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—3341/72].

एशिया के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था

1690. **श्री हरीसिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने एशिया के लिए "सामूहिक सुरक्षा" की नीति का सूत्रपात किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस नीति को व्यवहारिक रूप देने के लिए सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका में भारतीय

1691. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 में हुए समझौते के अन्तर्गत श्रीलंका सरकार ने वहां बसे हुए भारत मूलक लोगों के देश प्रत्यावर्तन की गति बढ़ाने तथा देश प्रत्यावर्तन करने वालों की संख्या को वार्षिक 50,000 तक बढ़ाने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने उक्त निर्णय से पैदा होने वाली स्थिति का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त उपाय कर लिए हैं; और

(ग) श्रीलंका में रह रहे भारत मूलक लोगों को नागरिकता के अधिकार देने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। इस बारे में भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच विचार-विमर्श हो रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1964 के समझौते के अन्तर्गत 30 जून, 1972 तक भारत ने 1,29,915 व्यक्तियों को, उनकी प्राकृतिक वृद्धि सहित जो 20,657 थी, नागरिकता प्रदान कर दी थी। इसी अवधि में श्रीलंका ने 31,277 व्यक्तियों को, उनकी प्राकृतिक वृद्धि सहित जो 5720 थी, नागरिकता प्रदान की।

युवक वृत्तिक राजनयिकों की राजदूतों के रूप में नियुक्ति

1692. **श्री नरेन्द्र कुमा सांघी** :
श्री बी० वी० नायक :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजदूतों के पदों को भरने में युवक वृत्तिक राजनयिकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने वृत्तिक तथा गैर-वृत्तिक राजनयिक भारत के राजदूत और उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर रहे है और उनके अपने-अपने आयु वर्ग क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने वृत्तिक राजनयिकों की संख्या बढ़ाने की वांछनीयता पर विचार किया है और क्या सरकार इस बात का भी ध्यान रखेगी कि इस सेवा में युवकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो; और

(घ) यदि हां तो, इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है।

विदेश मंत्रालय में **उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) अपेक्षाकृत युवक वृत्तिक राजनयिकों को भी राजदूत या हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फिर भी किसी वृत्तिक राजनयिक को, जब तक कि वह लगभग 13 वर्ष तक की सेवा पूरी न कर लें, इस प्रकार के पद पर नियुक्त नहीं किया जाता। मिशन प्रमुख होने के लिए कुछ अनुभव और परिपक्वता की होना आवश्यक है।

(ख) सूचना इस प्रकार है :

आयु वर्ग	वृत्तिक मिशन प्रमुखों की संख्या	अवृत्तिक मिशन प्रमुखों की संख्या
1. 35 वर्ष से कम आयु	शून्य	शून्य
2. 35 से 40 वर्ष	1	शून्य
3. 41 से 45 वर्ष	8	शून्य
4. 46 से 50 वर्ष	6	1
5. 51 से 55 वर्ष	21	5
6. 56 से 60 वर्ष	17	8
7. 60 वर्ष से अधिक	शून्य	6

(ग) और (घ). उद्देश्य यह है कि इन पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति चुने जायें, चाहे वे वृत्तिक राजनयिक हो या न हो और चाहे वे किसी भी आयु के हों। सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है जिनका उद्देश्य यह हो कि वृत्तिक राजनयिकों या ऐसे पदों पर कार्य कर रहे युवक राजनयिकों की संख्या बढ़ाई जाए।

अफ्रीकी भारतीयों के भारत में प्रवेश पर प्रतिबन्ध

1693. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को आप्रवासियों के कल्याण संबंध संयुक्त परिषद लन्दन, से इस आशय का कोई पत्र प्राप्त हुआ है कि वह ब्रिटिश पारपत्रधारी पूर्वी अफ्रीकी भारतीयों के एक दल को भारत में प्रवेश न करने दे;

(ख) ज्ञापन में दिए गए किन आधारों पर इन अफ्रीकी भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग की गई है; और

(ग) इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त परिषद ने कहा कि इन लोगों ने भारत में प्रवेश नहीं करना चाहा।

(ग) लागू विनियमों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय वाहन किसी विदेशी को उसकी इच्छाओं के विरुद्ध भारत में नहीं ला सकते। जब यह पता चला कि ये ब्रिटिश पासपोर्टधारी भारत नहीं आना चाहते थे, तब उन्हें उसी वाहन से वापस भेज दिया गया।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के संबंध में केन्द्रीय वेतन बोर्ड का प्रतिबेदन

1694. **श्री पीलू मोदी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन और गोदी कर्मचारियों के संबंध में केन्द्रीय वेतन बोर्ड ने अपना प्रतिबेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). मजदूरी बोर्ड की अन्तिम रिपोर्ट सरकार को 29 नवम्बर, 1969 को पेश की गई थी और उस पर सरकार के संकल्प संख्या डब्ल्० बी-21(7)69 तारीख 28 मार्च, 1970 की प्रतियां, जिसमें बोर्ड की सिफारिशों का सार भी दिया गया है, लोक सभा की मेज पर 30 मार्च, 1970 को रखी गई थी।

मजदूरों के कल्याण के लिए अनुसंधान योजनाएं

1695. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजदूरों के कल्याण हेतु आयोजना का मूल आधार मजबूत बनाने के लिए गत कुछ वर्षों में आरम्भ की गई अनुसंधान योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इन अनुसंधान योजनाओं पर कार्य कब आरम्भ किया गया था; और

(ग) उनके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). श्रमिकों के कल्याण

के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान योजनाओं से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना अनुबन्ध [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०3349/72] में दी गई है, अर्थात् :—

(I) श्रम परिस्थितियों का सर्वेक्षण;

(II) ठेका श्रमिक सर्वेक्षण;

(III) औद्योगिक श्रमिकों में परिबार निर्वाह सर्वेक्षण;

(क) 50 केन्द्रों में (32 कारखाना केन्द्र, 8 खनन केन्द्र, और 10 बागान केन्द्र)

(ख) 60 केन्द्रों में श्रम जीवी परिवार की आय तथा व्यय।

(IV) व्यायसायिक मजूरी सर्वेक्षण।

(V) कृषिक/ग्रामीण श्रमिक जांच।

(VI) ग्रामीण श्रमिकों के गहन प्रकार के अध्ययन।

(VII) तदर्थ अध्ययन

(क) लोहा और इस्पात उद्योग से श्रमिकों में कर्जदारी का शीघ्र सर्वेक्षण।

(ख) कोयला खानों में श्रमिकों की आवास परिस्थितियों का सर्वेक्षण।

(ग) भारत में सर्कस उद्योग में कार्य और निर्वाह परिस्थितियों का शीघ्र सर्वेक्षण।

(घ) रेलवे के वाहकों और विक्रेताओं के पारिवारिक बजट की जांच।

(ड.) जांच की जबरी छुट्टी तथा हड़तालों, काम बंदियों और छंटनी से उत्पन्न अस्थायी बेरोजगारी की अवधि के दौरान श्रमिक अपना पालन-पोषण कैसे करते हैं और कर्जदारी से सम्बन्धित आंकड़ों को एकत्र करना।

(च) अवरक खानों में आवास सर्वेक्षण।

(VIII) कमाई जा रही योजनाएं

(क) उद्योगों के असंगठित क्षेत्रों में नियोजित श्रमिकों का सर्वेक्षण।

(ख) शहरी क्षेत्रों में भंगियों और सफाई करने वालों, पिशाचों और चर्मकारों आदि सहित अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के श्रमिकों के निर्वाह और कार्य की स्थितियों का अध्ययन।

रोजगार तथा जनशक्ति के बारे में सूचना संबंधी आधार को मजबूत बनाने के लिए सर्वेक्षण

1696. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार तथा जनशक्ति के बारे में सूचना संबंधी आधार को मजबूत बनाने के लिए सर्वेक्षण किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे सर्वेक्षणों की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय ने रोजगार और जनशक्ति के क्षेत्रों में निम्नलिखित सर्वेक्षण हाल ही में आरम्भ किए हैं :

(1) क्षेत्रीय तकनीकी कला दृष्टिकोण सर्वेक्षण,

(2) औद्योगिक एवं व्यावसायिक सर्वेक्षण,

(3) स्नातक रोजगार नमूना सर्वेक्षण

(4) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नियोजित व्यक्तियों का अनुपात निश्चित करने के बारे में सर्वेक्षण ।

इनके अतिरिक्त, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण भी 27वें राउंड में व्यापक श्रमिक संख्या सर्वेक्षण कर रहा है ।

(ख) उपर्युक्त सर्वेक्षण की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों की मुख्य-मुख्य बातें

(एक) **क्षेत्रीय तकनीकी कला सर्वेक्षण** : इन सर्वेक्षणों से जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार की जनशक्ति की संभावी मांग और सप्लाई, स्वनियोजन का गुंजाइश आदि के संबंध में संकेत प्राप्त होने की आशा है । अपेक्षित सूचना नियोजकों, प्रशिक्षण संस्थाओं, ग्रामीण कर्मचारियों, आदि से एकत्र की जाएगी । सर्व प्रथम ये सर्वेक्षण तीन जिलों अर्थात बंगलौर, लुधियाना और गोरखपुर में शुरू किए गए हैं । इन सर्वेक्षणों का 12 अन्य क्षेत्रों तक विस्तार करने का हाल ही में निर्णय किया गया है ।

(दो) **उद्योग और व्यवसाय दृष्टिकोण सर्वेक्षण** : उद्योग सर्वेक्षणों का उद्देश्य ऐसे उद्योगों में जनशक्ति की स्थिति का अध्ययन करना है जिनका रोजगार सृजन की दृष्टि से

अत्यधिक महत्व है। इसका आशय चुने हुए उद्योगों में विभिन्न प्रकार जनशक्ति की भारी आवश्यकताओं, वर्तमान जनशक्ति की कमियों, नए तथा अपक्षयी व्यवसायों, आदि के संबंध में सूचना प्राप्त करना है।

व्यावसायिक दृष्टिकोण अध्ययनों में उद्देश्य चुने हुए व्यवसायों के संबंध में भावी रोजगार दृष्टिकोण के बारे में सूचना एकत्र करना है। इन अध्यायों से ऐसी आधार सामग्री प्राप्त होने की आशा है जो काम चाहने वालों शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्राधिकारियों आदि के लिए लाभप्रद होगी।

(तीन) **स्नातक रोजगार नमूना सर्वेक्षण**: विभिन्न प्रकार के स्नातकों में बेरोजगारी के परिमाण तथा रोजगार नमूने का अध्ययन करने के उद्देश्य से ऐसे स्नातकों और स्नातकोत्तरों के संबंध में सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जिन्होंने 1968 में विभिन्न विश्वविद्यालयों से परीक्षाएं पास की। इसके अतिरिक्त इंजीनियरी में डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्तियों के संबंध में सर्वेक्षण किए जाने का विचार है। सभी स्नातकोत्तर तथा प्रथम श्रेणी स्नातकों का सर्वेक्षण तो जनगणना आधार पर किया जाएगा, परन्तु शेष स्नातकों का सर्वेक्षण नमूना आधार पर किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्य शीघ्र ही शुरू किए जाने की आशा है।

(चार) **रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नियोजित व्यक्तियों के अनुपात का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण** : बेरोजगारी के सूचक के रूप में रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों की मुख्य कमियों में एक कमी यह है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति पहले से ही नियोजित हैं और वे पहले से अच्छे रोजगार की तलाश करते हैं। तदनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों का नमूना सर्वेक्षण शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य उनके सही रोजगार स्तर के संबंध में सूचना प्राप्त करना है। देश के सभी रोजगार कार्यालयों से नमूने के तौर पर लगभग 80,000 पंजीकृत व्यक्तियों से व्यक्तिगत साक्षात द्वारा सम्पर्क स्थापित करके आवश्यक सूचना प्राप्त की जायगी। क्षेत्रीय कार्य शीघ्र ही शुरू होने की आशा है।

(पांच) **राष्ट्रीय सर्वेक्षण नमूना द्वारा श्रमिक संख्या सर्वेक्षण** : देश के देहाती तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में एक व्यापक श्रमिक संख्या सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 27वें दौर (अक्तूबर, 1972 से सितम्बर 1973 तक) में शुरू किया जाएगा। इस सर्वेक्षण से राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर बेरोजगारी के आंकड़े प्राप्त होने की आशा है।

वर्ष 1971 में विवादों का न्याय निर्णय

1697. **श्री टी. एस. लक्ष्मणन्** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में न्याय निर्णयन के लिए निर्दिष्ट 58 विवादों में से कितने विवादों का न्याय निर्णय किया गया;

(ख) वर्ष 1971 में मध्यस्थ निर्णय के लिए निर्दिष्ट विवाद के 12 मामलों में से कितने मामलों में मध्यस्थ निर्णय किया गया; और

(ग) उन औद्योगिक संस्थानों के नाम क्या हैं जिनके बारे में वर्ष 1971 में समझौता-वार्ता की सफलता के 120 प्रतिवेदन प्राप्त हुए ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) न्याय-निर्णय के लिग भेजे गए 56 विवादों में से, 24 मामलों में पंचाट दे दिए गए हैं।

(ख) नौ।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या, एल०टी० 3350/72].

समझौते की कार्यवाही की असफलता के मामले

1698. **श्री टी. एस. लक्ष्मणन्** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा इस जानकारी के प्राप्त होने पर क्या कार्यवाही की गई कि 1055 मामलों में से, जिनके संबंध में समझौते की कार्यवाही की गई थी, 509 मामले असफल रहे; और

(ख) 509 मामलों में से कितने मामले सरकार तथा सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम से संबंधित थे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) 509 मामलों में से 333 न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित कर दिए गए हैं। 161 में न्यायनिर्णयन के लिए नाहीं कर दी गई है और 15 मामले लम्बित पड़े हैं।

(ख) पचानवे मामले सरकारी क्षेत्र से सम्बन्धित थे।

हिन्द महासागर को बड़ी शक्तियों से मुक्त रखने के बारे में श्री लंका की प्रधानमंत्री से प्राप्त पत्र

1699. **श्री समर गुह** :
श्री पी. गंगादेव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्री लंका के प्रधान मंत्री से एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने हिन्द महासागर को बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से मुक्त रखने के बारे में पेकिंग में चीन सरकार के प्रवक्ता के साथ हुई अपनी बातचीत का उल्लेख किया है; और

(ख) यदि हां, तो श्रीलंका सरकार से प्राप्त इस पत्र का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खनिज उद्योग संघ द्वारा खनन व्यापार सम्मेलन का आयोजन

1700. **श्री सी. टी. दंडपाणि** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज उद्योग संघ खनन उद्योग के सामने आई समस्या का हल खोजने तथा खनिक संसाधनों के उपयोग के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सुझाव देने हेतु खनन व्यापार सम्मेलन का आयोजन कर रहा है;

(ख) क्या संघ के अध्यक्ष ने बताया है कि राज्य के कुछ कानूनों तथा केन्द्रीय सरकार के कुछ नीति संबंधी निर्णयों ने खनन उद्योग में अनिश्चितता पैदा कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) से (ग). कुछ समय पूर्व भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ ने सरकार को खनन व्यापार सम्मेलन आयोजित करने के अपने प्रस्ताव की सूचना दी थी। अब तक उसे इस प्रस्ताव पर सरकार के विचार सूचित नहीं किए गए हैं।

मध्यस्था पर राष्ट्रीय मध्यस्था प्रोत्साहन बोर्ड

1701. **श्री वी० मायावन** :
डा० हरिप्रसाद शर्मा :

क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रोत्साहन बोर्ड इस बात से सहमत हो गया था कि औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए वार्ता तथा समझौते के प्रयासों के विफल हो जाने के पश्चात अगला कदम मध्यस्था का होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इसकी पांचवीं बैठक में अन्य क्या निर्णय किए गए; और

(ग) क्या उसने मध्यस्था लागत को वहन किए जाने का सुझाव दिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) बोर्ड के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय ये थे :—

(I) विवाचकों के लिए मार्गनिर्देशनों की स्मृति-पुस्तक तैयार करना; (II) अर्हता प्राप्त विवाचकों के एक सम्वर्क का परीक्षण और (iii) विवायकों के शुल्कों का निर्धारण आदि। बोर्ड ने 324 विवाचकों की एक नामिका भी निकाली है ताकि पक्ष उनकी सेवाओं का उपभोग कर सके। उक्त निर्णयों के ब्यौरे बोर्ड की समन्त्रणा की कार्य- वाहियों में शामिल किए गए हैं जिनकी प्रतियां ससद के पुस्तकालय को भेज दी गई हैं।

(ग) जी, हा। नियोजकों और श्रमिकों दोनो के ही प्रतिनिधियों ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह विवाचन के खर्च वहन करे ताकि पक्षों को स्वैच्छिक मध्यस्थता का और अधिक सहारा लेने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके। परन्तु जब तक राज्य सरकारें इस मामले की सभी पहलुओं से अच्छी तरह जांच न करले, बोर्ड में रा य सरकारों के प्रतिनिधियों को इस प्रस्ताव का समर्थन कर सकना कठिन महसूस किया। तब यह निर्णय किया गया कि इस मामले की केन्द्रीय सरकार द्वारा तफसील से जांच की जाय और इस विषय पर एक पत्र बोर्ड के समक्ष रखा जाय।

लौह अयस्क का निर्यात

1702. **श्री मानसिंह भौरा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 तक 250 लाख टन लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए अतिरिक्त क्षमता बनाने संबंधी योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री **शाहनवाज** खां) : (क) जी हां। चतुर्थ योजना मध्यावधि-मूल्यांकन में किए गए निर्धारण के अनुसार 1973-74 तक लौह अयस्क का निर्यात 250 टन होगा।

(ख) निर्यात प्रमुखतः हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम मद्रास और मरमुगांव के मुख्य पत्तनों से होगा।

बोकारो इस्पात कारखाने के लिए इस्पात का आयात

1703. **श्री मानसिंह भौरा** :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने बोकारो के कार्य की गति को बढ़ाने हेतु एक उपाय के रूप में तुरन्त ही जापान से 20,000 टन इस्पात सेक्शन तथा रूस और पोलैण्ड से रीफ्रैक्टरीज के आयात का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और प्रस्तावित आयात का मूल्य कितना होगा; और

(ग) बोकारों में कार्य की गति को बढ़ाने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). हाल में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भूतकाल में सरकार ने लगभग 1.5 करोड़ रुपये की कीमत के लगभग 13,000 टन संरचनात्मक इस्पात जापान से आयात करने की अनुमति दी थी। इस आयात की अनुमति सीमित देशीय उपलब्धि को ध्यान में रखकर दी गई थी। इसी तरह भूतकाल में सोवियत रूस और पोलैण्ड से लगभग 5 करोड़ रुपये की कीमत के लगभग 43,700 टन तापसह ईंटों के आयात करने की अनुमति भी दी गई है ? इस तापसह ईंटों के आयाल की अनुमति इसलिए दी गई थी क्योंकि या तो देश में इनका निर्माण नहीं हो रहा था अथवा जिन देशीय सम्भारकों को बोकारो स्टील लि० ने आर्डर दे रखे थे उन्होंने सप्लाई मे गम्भीर व्यतिक्रम किया था जिससे परियोजना पूरी होने के काम को खतरा हो गया था।

(ग) बोकारो में पहले ही एक सुसम्पन्न और सक्षम संगठन कार्य•कर रहा है जिसका काम देशीय स्रोतो तथा आयात द्वारा आपूर्ति की प्रगति पर बड़ी नजर रखना है। माल की शीघ्र प्राप्ति के लिए जहां कहीं आवश्यक होता है सरकारी स्तर पर सहायता दी जाती है। विभिन्न गतिविधियों में प्रभावी ढंग से समन्वय स्थापित करने हेतु प्रायोजना एक नेटवर्क विश्लेषण और प्रायोजना नियंत्रण पद्धति अपनाई गई है। मन्त्रालय बोकारो स्टील लि० और साज सामान के बड़े-बड़े सम्भारकों के साथ नियमित रूप से समन्वय बैठकों की नियमित व्यवस्था का अनुसरण भी कर रहा है। बैठकों की कार्यवाही तथा बोकारो स्टील लि० को साज सामान की प्रगति की भी मन्त्रालय में समीक्षा की जाती है ताकि समय-समय पर ऐसी सहायता जिसकी आवश्यकता हो दी जा सके।

अयस्क से टिटानियम धातु निकालना

1704. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टिटानियम धातु के सम्पन्न संसाधनों के होते हुए सरकार टिटानियम धातु के आयात पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अयस्क से टिटानियम धातु निकालने वाला संयंत्र लगाने में क्या कठिनाइयां हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग). इस समय टिटानियम धातु का कोई स्वदेशीय उत्पादन नहीं है और समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है जो कि अधिक नहीं है। एक औद्योगिक एकक को हाल ही में टिटानियम धातु स्पंज और अन्य धातु मदों के विनिर्माण के लिए आशय पत्र दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में कच्चे लोहे का संयंत्र स्थापित किया जाना

1705. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने खाम्मम में कच्चे लोहे का एक संयंत्र स्थापित करने के बारे में सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). यदि खाम्मम में 30,000 टन स्पंज आयरन प्रतिवर्ष के उत्पादन के लिए एक प्रदर्शन संयंत्र स्थापित करने हेतु आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा भेजे गए प्रस्ताव से अभिप्राय है तो प्रस्ताव विचाराधीन है।

महिलाओं में बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगारी

1706. **श्री बी० वी० नायक** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्य करने योग्य आयु-वर्ग की भारतीय स्वस्थ महिला जनसंख्या में कितनी बेरोजगारी तथा अल्प-बेरोजगारी है; और

(ख) सरकार का विचार समाज के इस वर्ग को लाभपूर्ण रोजगार देने के सम्बन्ध में क्या उपाय करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) यथार्थ जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, 21वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (जुलाई, 1966 से जून, 1967) के अनुसार शहरी क्षेत्रों की महिला जनसंख्या का 0.20% भाग के बेरोजगार होने की सूचना मिली थी। ग्रामीण क्षेत्रों की महिला जनसंख्या में बेरोजगारी के सम्बन्ध में नवीनतम उपलब्ध जानकारी 17वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (सितम्बर, 1961 से जुलाई 1962) से सम्बन्धित है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की महिला जनसंख्या का 1.80% भाग बेरोजगार था। अपूर्ण-बेरोजगारी के बारे में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों की कार्यान्विति के के फलस्वरूप सृजित रोजगार अवसरों के अतिरिक्त, वर्ष 1970-71 से कार्यान्वित की जा रही विशेष बेरोजगारोन्मुख परियोजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा अधिकाधिक संख्या में रोजगार अवसर (शिक्षित पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए) सृजित होने की आशा है।

बेरोजगारी बीमा योजना

1707. **श्री बालतण्डायुतम** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री 18 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न प्रश्न संख्या 6607 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी बीमा योजना आरम्भ करने सम्बन्धी प्रश्न पर सरकार द्वारा इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर. के. खडिलकर) (क) : जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा बेची गयी कतरनें

1708 **श्री के. बालतन्डायुतम** : क्या इस्पात और खान मंत्री भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा बेची गयी कतरनों के बारे में 11 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5774 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या भिलाई नगर के निकट कर्सापुर स्थित मैसर्स स्टील ट्रेडिंग कम्पनी के गोदाम से बरामद हुए 200 टन फैरो-मैगनीज और फैरो सिलीकन के बारे में जांच कार्यवाही इस बीच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं । पुलिस ने अभी जांच पूरी नहीं की है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भविष्य निधि का दुरुपयोग

1709. **श्री वीरेन्द्रसिंह राव** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 20 मई, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार देखा है जिसमें बताया गया है कि देश में नियोजक भविष्य निधि का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने दोषी नियोजक सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; यदि हां, तो क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). फिर भी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1972 को 8046 प्रतिष्ठान ऐसे थे जिन पर भविष्य निधि की देय राशियां का बकाया था । छूट न प्राप्त जो प्रतिष्ठान देय राशियों की अदायगी और/या विवरणियां भेजने में चूक करते हैं, उनके

विरुद्ध सामान्यत: निम्नलिखित कार्यवाहियां की जाती हैं :—

(I) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन अभियोजन चलाया जाता है।

(II) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली कार्यवाहियां शुरू की जाती हैं।

(III) उपयुक्त मामलों में, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन पुलिस/न्यायालयों में शिकयतें दाखिल की जाती हैं।

(IV) चूक को मालिकों और मजदूरों के संगठनों, जिन में मजदूर संघ शामिल हैं, ध्यान में लहाया जाता ।

(V) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14-ख के अधीन दंड हरजाने लगाए जाते हैं।

(VI) कुछ मामलों में, पर्याप्त गारंटी, जमानत आदि के दिए जाने पर प्रतिष्ठानों को देय राशियां किश्तों में अदा करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

(VII) ऐसी मिलों की अवस्था में, जो दिवालिया हो चुकी हों, पुनर्निर्माण योजनाओं की जांच गुण-अवगुण के आधार पर की जाती है।

शिमला समझौते के बाद पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थी

1710. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला समझौते के बाद पश्चिम पाकिस्तान से भारत को बहुत से शरणार्थी आए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में कितने शरणार्थी आये हैं; और

(ग) सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शिमला समझौते के बाद लगभग 41,000 शरणार्थी भारत आए हैं।

(ग) इन शरणार्थियों के भारत में पुनर्वास का प्रश्न नहीं उठता।

भारत में विदेशी दूतावासों द्वारा अपने विमान का रखा जाना

1711. **श्री वीरेन्द्रसिंह राव :**
श्री मुख्तियारसिंह मलिक :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी दूतावासों को देश में उड़ान करने के लिए दूतावास के अध्यक्ष अथवा अन्य कर्मचारियों के लिए अपना विमान रखने की अनुमति देने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह) : (क) और (ख). भारत स्थित उन विदेशी मिशनों को, जो अपने इस्तेमाल के लिए विमान रख रहे थे, भारत सरकार के इस निर्णय की सूचना पहले ही दी जा चुकी है कि सरकार यह सुविधा अब नहीं देगी।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के विभागों का कलकत्ता से स्थानान्तरण

1712. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के कलकत्ता स्थित कई विभागों को वहां से स्थानांतरित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के किसी विभाग का कलकत्ता से स्थानान्तरण का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। विगत कुछ समय से सरकार भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि वह अपने कर्तव्य-निर्वाह में अधिक दक्ष बन सके। वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन के बारे में की समिति (वै. अ. स. स.) ने भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्य-कलापों, कर्तव्यों और संगठनात्मक संरचना का परीक्षण किया है और इस बारे में कतिपय सिफारिशें की। यह सिफारशें, जिन पर बाद में विज्ञान और प्रौद्योग पर की समिति ने विचार किया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूतल-जल स्कंध के कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय भूतल जल बोर्ड में विलयन और विस्तृत समन्वेषण करने तथा देश के खनिज संसाधनों को न्यूनतम सम्भाव्य समय में प्रमाणित करने के लिए पब्लिक सेक्टर में खनिज समन्वेषण निगम स्थापित करने के विनिश्चिय का आधार बनी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूतल-जल स्कंध का केन्द्रीय भूतल-जल बोर्ड के साथ विलयन। अगस्त 1972 से प्रवृत्त हुआ है। खनिज समन्वेषण निगम, जिसे नागपुर में अवस्थापित किया जाएगा, के शीघ्र ही स्थापित किए जाने की आशा है।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा नीलेश्वर में बाक्साइट का पता लगाया जाना

1713. **क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के नीलेश्वर में बाक्साइट का पता लगाने का जो कार्य भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग द्वारा आरम्भ किया गया था, उसे सरकार ने बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उस क्षेत्र से लिए गए नमूनों का सम्पूर्ण विश्लेषण ब्यौरा राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं। केरल के नीलेश्वर में बाक्साइट अन्वेषण प्रगति पर है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) चूंकि अन्वेषण अभी प्रगति पर है अतः सरकार को आधार सामग्री दिए जाने का इस समय प्रश्न नहीं उठता है।

कर्मचारी भविष्य निधि जमा न करवाने संबंधी दर्ज किए गए मामले

1714. **श्री बयालार रवि** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में और वर्ष 1972-73 के पूर्वार्ध में भविष्य निधि की राशि न जमा करवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कुल कितने मामले दर्ज किए गए; और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा कुल कितनी राशि जमा नहीं करवाई गई; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और राशि बसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार से सूचना भेजी है :—

(क) 1971-72 के दौरान छूट-न-प्राप्त दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध चलाए गग अभियोजनों की संख्या और जमा कराई गई कुल राशि, क्षेत्र वार नीचे दी जाती है।

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	1971-72 के दौरान चलाए गए अभियोजनाओं की संख्या	जमा कराई गई नराशि (रुपए लाखों में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	168	1.03
2.	आसाम	149	0.62
3.	बिहार	83	2.55
4.	दिल्ली	225	8.15
5.	गुजरात	210	5.48
6.	केरल	50	6.07
7.	मध्य प्रदेश	343	1.70
8.	महाराष्ट्र	491	15.42
9.	मैसूर	169	4.11
10.	उड़ीसा	18	1.41
11.	पंजाब	342	1.07
12.	राजस्थान	49	0.87
13.	तामिलनाडु	449	24.76
14.	उत्तर प्रदेश	59	0.55
15.	पश्चिम बंगाल	1599	46.39
		कुल 4404	120.24

उन्नीस सौ बहत्तर-तिहत्तर के पहले छः महीनों जो कि अभी समाप्त नहीं हुए हैं के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) छूट न प्राप्त जो प्रतिष्ठान देय राशियों की अदायगी और/या विवरणियां भेजने में चूक करते हैं, उनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाहियां की जाती हैं :—

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन अभियोजन चलाया जाता है ।

(II) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली कार्यवाहियां शुरू की जाती हैं।

(III) उपयुक्त मामलों में, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन पुलिस न्यायालयों में शिकायतें दाखिल की जाती हैं।

(IV) चूक को मालिक और मजदूरों के संगठनों, जिनमें मजदूर संघ शामिल हैं, ध्यान में लाया जाता है।

(V) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14-ख के अधीन दण्ड हरजाने लगाए जाते हैं।

(VI) कुछ मामलों में, पर्याप्त गारंटी, जमानत आदि के दिए जाने पर प्रतिष्ठानों को देय राशियां किश्तों में अदा करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

(VII) ऐसी मिलों की अवस्था में, जो दिवालिया हो चुकी हों, पुनर्निर्माण योजनाओं की जांच गुण-अवगुण के आधार पर की जाती है।

विदेश मंत्री का अफ्रीकी और योरुपीय देशों का दौरा

1715. **श्री वयालार रवि :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाज ही में कुछ अफ्रीकी और योरुपीय देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन देशों के साथ आर्थिक एवं राजनीतिक सम्बन्धों में घनिष्ठता लाने में यह बातचीत कहां तक सिद्ध हुई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस यात्रा से इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों, उप राष्ट्रपतियों तथा विदेश मंत्रियों से विचारों के घनिष्ठ तथा बहुमूल्य आदान प्रदान का अवसर प्राप्त हुआ। इस बातचीत में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के नानाविधि विषयों पर, इस उप महाद्वीप की घटनाओं पर, अफ्रीका की स्थिति तथा भारत के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों से संबद्ध प्रश्नों पर विचार विनिमय हुआ।

(ग) विचार विमर्श से ज्ञात हुआ कि इन देशों में भारत के प्रति अत्याधिक सद्भावना केवल भारत की ऐतिहासिक परम्परा अथवा हाल की उसकी उपनिवेशवाद समाप्त करने की भूमिका के कारण ही नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा अपनाए गए उद्देश्यों और नीतियों के कारण भी विद्यमान

है। शांति के लिए भारत की पहल और शिमला समझौते की भावना तथा उसके परिणामों का मूल्यांकन ठोस घटनाओं के रूप में किया गया। औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में भारत की प्रगति से इन देशों में भारत के प्रति गहरी अभिरुचि उत्पन्न हुई है, जो स्वयं अपने प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों की अपार सम्पत्ति को उपयोगी बनाने तथा बिकसित करने में संलग्न हैं। बातचीत में आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में सहकारिता तथा सहयोग के कई सुझाव उपस्थित हुए, और इनका ठोस रूप में अनुपालन राजनयिक सूत्रों तथा तकनीकी प्रतिनिधिमंडलों की विस्तार से की गई बातचीत द्वारा किया जाएगा। खनिज संसाधनो के विकास, कृषि उद्योगों सम्मिलित उद्यमों तथा तकनीकी प्रशिक्षण में विशेष महत्व की गुंजाइश दिखाई पड़ती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विलय

1716. **श्री बयालार रवि** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ विलय करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम से काफी देर बाद स्थापित हुआ, के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) से (ग). सामाजिक सुरक्षा की एक समाकलित योजना तैयार करने हेतु, राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश के बारे में किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए दिसम्बर, 1969 में एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया जिसने एक अंतिम उद्देश्य के रूप में सभी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं के समाकलन का सुझाव दिया। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के व्यापक ढंग से समाकलन से सम्बन्धित कानूनी, प्रशासनिक और संगठनात्मक मामलों की जांच करने और समाकलन का एक खाका तैयार करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए। इस समय तक उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और उसे भारतीय श्रम सम्मेलन के अगले स्तर के समक्ष रखने का निर्णय किया है। भारतीय श्रम सम्मेलन के विचारों को ध्यान में रखकर मामले की आगे जांच की जाएगी।

विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय तथा भारत में कार्य कर रहे विदेशी

1717. **श्री बयालार रवि** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितने भारतीय विदेशों में कार्य कर रहे हैं और इन योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने विदेशी भारत में कार्य कर रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और पूरी सूचना प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

एशियाई देशों के साथ सम्बन्ध बढ़ाने के लिए आर्थिक प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान

1718. **श्री सी. के. जाफर शरीफ** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने एशियाई देशों के साथ अपने सम्बन्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए गत दो वर्षों में उन देशों को कितने प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में भारत में आये विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). चूंकि प्रश्न में पूछा गया विषय बहुत व्यापक है, इसलिए इसके उत्तर की सामग्री इकट्ठी की जा रही है।

इस्पात के मूल्य में स्थिरता लाना

1719. **श्री सी. के. जाफर शरीफ** :
श्री डी. के पंडा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस्पात के मूल्यों में स्थरता लाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : विभिन्न श्रेणियों के इस्पात के मूल्य संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं। ये मूल्य मुख्य उत्पादकों द्वारा की गई सप्लाई पर लागू होते हैं। मुख्य उत्पादकों द्वारा सप्लाई किए गए बिलेटों से बिलेट पुनर्वेलकों द्वारा उत्पादित श्रेणियों के मूल्य बिलेट रीरोलर समिति द्वारा पुनः विनियमित किए जाते हैं।

(2) इस प्रकार जैसा कि ऊपर बताया गया है देश में इस्पात के कुल उत्पादन का लगभग 95 प्रतिशत विनियमित मूल्यो पर वास्तविक उपभोक्ताओं को सीधा सप्लाई कर दिया जाता है। मूल्यों को स्थिर रखने का यह एक बड़ा तरीका है। उत्पादन की बहुत थोड़ी मात्रा लगभग 3 से 5 प्रतिशत व्यापारियों को निर्बाध बिक्री के लिए दी जाती है।

(3) कुछ तथाकथित वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा माल को खुले बाजार में भेजने को रोकने के लिए लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश में उचित संशोधन किया गया है। जिसमें यह व्यवस्था है कि जिस प्रयोजन के लिए इस्पात की सप्लाई अथवा आवंटन किया गया हो उससे अन्य प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग आदेश का उल्लंघन होगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन दंडनीय होगा। देश के विभिन्न भागों में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के 6 क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं। इनका एक कार्य, इस्पात के दुरुपयोग को रोकना भी है।

खेतड़ी तांबा परियोजना के कर्मचारियों तथा प्रबंधकों के बीच विवाद

1720. **श्री वेकारिया:**
श्री बी० के० दास चौधरी:

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने खेतड़ी तांबा परियोजना के कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच विवाद में मध्यस्थता करना स्वीकार नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

विदेश सचिव द्वारा नेपाल का दौरा

1721. **श्री वेकारिया:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश सचिव, श्री टी. एन. कौल ने हाल ही में नेपाल का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत तथा नेपाल के बीच मैत्रीपुर्ण संबंधों को दृढ़ बनाने के लिये दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों क्या विस्तार करने के सम्बन्ध में क्या चर्चा हुई ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) जी हां। 17 जुलाई से 18 जुलाई 1972 तक विदेश सचिव ने नेपाल की यात्रा की।

(ख) द्विपक्षीय हितों से सम्बद्ध मामलों पर विचार मिवर्श हुआ जिसमें राजनीतिक एवं आर्थिक मामले और साथ ही इस समूचे क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर भी विचार किया गया; जिससे कि दोनों देशों के बीच आपसी समझ-बूझ और सहयोग को बढ़ाया जा सके।

सर्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में उत्पादन

1722. **श्री नरेन्द्र सिंह:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्वजनिक क्षेत्र के तीनों उपक्रमों, अर्थात् भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तथा रूरकेला इस्पात संयंत्र में गत तीन महीनों में प्रत्येक महीने में कुल कितना-कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) अप्रैल से जून 1972 के महीनों में भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के इस्पात कारखानों में इस्पात का उत्पादन इस प्रकार रहा:—

(हज़ार टन)

कारखाना		इस्पात पिंड	विक्रेय इस्पात
भिलाई	अप्रैल, 1972	168.3	125.2
	मई, 1972	153.0	135.0
	जून, 1972	145.0	130.9
	योग	466.3	391.1
दुर्गापुर	अप्रैल, 1972	63.6	34.1
	मई, 1972	54.8	42.9
	जून, 1972	49.5	25.4
	योग	167.9	102.4
राउरकेला	अप्रैल, 1972	74.0	42.4
	मई, 1972	80.3	44.7
	जून 1972	85.5	46.3
	योग	239.8	133.4

(ख) मालिक-मजदूर सम्बन्धों, विशेषतया दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मालिक-मजदूर सम्बन्धों की कठिनाइयों के बावजूद भी हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धक उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे है। इन प्रयत्नों में कोक भट्टियों की विशिष्ट मरम्मत, गैस की उपलब्धि बढ़ाने के लिए वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग ईंधन के साधनों में वृद्धि करने के लिए कुछ भट्टियों में आयल फायरिंग, उपकरणों की अच्छी उपलब्धि के उद्देश्य से रख-रखाव में सुधार, उत्पादन सुविधाओं में असंतुलन को ठीक करने के लिए आवश्यक पूंजीगत कार्यक्रमों को पूरा करने में तेजी लाना, फालतू पुर्जो, ऊष्मसह तथा अन्य आवश्यक माल की योजना बद्ध ढंग से प्राप्ति शामिल है। श्रमिकों के झगड़ों और उनकी शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने और उत्पादन को अधिकाधिक करने में मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने हेतु दुर्गापुर में हाल में एक त्रिपक्षीय सलाहकार मशीनरी स्थापित की गई है। उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के

लिए राउरकेला इस्पात कारखाने में एक नई पुरस्कार योजना शुरु की गई है। सरकार भी टास्क फोर्स की सावधिक बैठकों तथा समीक्षाओं के द्वारा इकाइयों तथा कम्पनी के कार्यकरण पर सतत नज़र रखती है तथा सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती है।

Strike by Employees of Khetri Copper Project

1723. SHRI RAMAVATAR SHASTRI :
SHRI RAMSAHAI PANDEY :

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the employees working in Khetri Copper Project in Rajasthan have gone on an indefinite strike with effect from the 11th July;

(b) if so, the causes of their strike; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Goverment to remove their causes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISRTY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAHNAWAZ KHAN) : (a) Yes, Sir.

(b) The Tamba Mazdoor Sangathan, a recently registered un-recognised Union at the Khetri Copper Project served a strike notice on Hindustan Copper Limited on 9th June, 1972 making certain allegations that the Management had been hostile and vindictive towards the office bearers of their organition and also alleging that their General Secretary Shri R. N. L. Srivastava and Secretary, Shri B. L. Bhat had been illegally suspended. The notice also added that the services of Shri Y. K. Gaur Secretary of their Kolihan Branch had been terminated in December, 1971. The notice demanded that the alleged illegal suspension and termination orders on the office bearers must be revoked and went on to say that in view of all the Union proposed to call a strike with effect from 11th July, 1972.

(c) The cases of S Shri Srivastava, Bhat and Gaur have been referred to the Industrial Tribunal, Jaipur for adjudication.

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, पंजाब में कर्मचारियों को छुट्टी दिए जाने से इंकार

1724. श्री रामावतार शास्त्री: क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों को बीमारी के आधार पर छुट्टी नहीं दी जाती है;

(ख) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस की कार्यवाही के परिणामस्वरूप उसके कर्मचरियों के मन में बड़ा रोष पैदा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है:—

(क) क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा डाक्टरी आधार पर छुट्टी इनकार किए जाने के बारे में कोई सामान्य शिकायतें प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की फैडरेशन

1725. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(घ) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों की दो फेडरेशन हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक फेडरेशन से कितनी-कितनी यूनिटें सम्बद्ध हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) भविष्य निधि प्राधिकारीयों ने इस प्रकार सूचित किया है:—

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों का कोई मान्यता प्राप्त महा संघ नहीं है । तो भी, मान्यता न प्राप्त दो महा संघ विद्यमान हैं जो अपने आपको अखिल भारत कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ महासंघ के नाम से पुकारते हैं ।

(ख) इन महासंघों के मान्यता न प्राप्त स्वरूप के कारण, प्रत्येक से समबद्ध घटक एककों के बारे में सूचना मालूम नहीं है ।

गैर-सरकारी कोयला खानों द्वारा कोयला संसाधनों का विकास तथा संरक्षण

1726. श्री **रामावतार शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयले के संसाधनों को वैज्ञानिक ढंग से विकसित करने तथा उन्हें वैज्ञनिक ढंग से सुरक्षित रखने के विचार से गैर सरकारी कोयला खानों, कोयला खानों में अतिरिक्त पूंजी निवेष करने में असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन कोयला खानों का समुचित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार का विचार उन्हें अपने अधिकार में लेने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). यद्यपि विनिधान को रोकने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली, तथापि विकास कार्य की गति में शिथिलता रही

है। सरकार इस पर सतर्कतापूर्ण निगरानी रखे हुए हैं। सरकार अकोकर कोयला खानों के प्रबन्ध ग्रहण करने के प्रश्न पर इस समय विचार नही कर रहीं है।

बंगला देश में इस्पात संयंत्र का निर्माण

1727. श्री **अरविन्द नेताम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में सरकार का विचार बंगला देश में एक इस्पात संयंत्र का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

बिद्युत सप्लाई की कमी के कारण भिलाई इस्पात कारखाने के उत्पादन पर प्रभाव

1728. श्री **अरविन्द नेताम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत सप्लाई की कमी के कारण भिलाई इस्पात कारखाने के उत्पादन में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

केन्द्रीय सरकार में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों के संबंध में सर्वेक्षण

1729. श्री **अरविन्द नेताम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों के संबंध में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके अन्तिम निष्कर्ष क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) और (ख). सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने का कार्य अन्तिम अवस्था में है।

सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक संबध

1730. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वित्तीय वर्ष में सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक संबंध और श्रम स्थिति काफी खराब रही है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कायवाही करने का बिचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). जी हां। पिछले दो वित्तीय वर्षों की तुलना में औद्योगिक सम्बन्ध अपेक्षित रूप से अच्छे थे।

इस्पात के उत्पादन के लिए चरणबद्ध कार्य क्रम

1731. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1982 के अन्त तक इस्पात के उत्पादन को बढ़ाकर 2 करोड़ टन करने के लिए एक चरण बद्ध कार्यक्रम बना रही हैं;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में बनाए जा रहे कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस्पात संयंत्रों का उत्पादन बत्राने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1982 के अन्त तक इस्पात के उत्पादन को बढ़ाकर लगभग 2 करोड़ टन पिण्ड करने के लिए सरकार ने एक प्रावस्था भाजित कार्यक्रम बनाया है।

(ख) और (ग). पांच सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में परिचालन कुशलता के स्तर को बढ़ाकर, बेहतर संधारण तथा मालिक-मजदूर संबन्धों में सुधार करके इनकी 89 लाख टन पिण्ड की वर्तमान क्षमता से इष्टतम उत्पादन प्राप्त करने का विचार है। उत्पादत में आनेवाली बाधाओं को दूर करने के लिए अनुपूरक सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही हैं। उपर्युक्त क्षमता के अतिरिक्त भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता को 25 लाख टन से लगभग 40 लाख टन पिण्ड तक बढ़ाने, बोकारो का 40 लाख टन पिण्ड के चरण तक बिस्तार करने तथा विजय नगर (मैसूर) और विशखापतनम (आन्ध्र प्रदेश) में 20-20 लाख टन पिण्ड की क्षमता के दो नये सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने स्थापित करने का विचार है। इस प्रकार 1978-79 अथवा उसके एक वर्ष वाद तक लगभग 184 लाख टन की क्षमता हो जएगी। इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की क्षमता में वृद्धि करने का बिचार है। छठी योजना के दौरान प्रतिबर्ष लगभग 20 लाख टन की दर से अतिरिक्त क्षमता की आयोजन करना आवश्यक होगा। यह काम वर्तमान इस्पात कारखानों की बर्तमान क्षमता में और अधिक वृद्धि/ग्रीनफील्ड स्थलों पर नई क्षमता के

सृजन द्वारा किया जाएगा और वर्ष 1932 तक स्थापित क्षमता 200 लाख टन पिण्ड से अधिक हो जाने की संभावना है। कुछ अतिरिक्त क्षमता विद्युत भट्टियों से भी उपलब्ध हो जाएगी।

इस कार्यक्रम को प्रबस्थाभाजित ढंग से कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत अध्ययन किए जा रहे हैं।

मद्रास में सिम्पसन कारखाने में हिंसात्मक घटनायें

1732. **श्री रामकंवर :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में सिम्पसन कारखाने में हिंसात्मक घटनाएं हुई; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या विभिन्न ग्रुपों में मुठभेड़ों के दौरान कुछ श्रमिक मारे भी गये थे; और

(ग) क्या भारत सरकार को राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन मिला हैं, यदि हां, तो उसकी मुख्य बाते क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिकर) : (क) और (ख). मद्रास में सिम्पसन प्लांट में हुई हिंसात्मक घटनाओं के बारे में रिपोर्ट मिली है, परन्तु यह मामला राज्य क्षेत्राधिकार में आता हैं।

(ग) जी नहीं।

ब्रिटेन में जातिपात भेदभाव

1733. **डा रानेन सेन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जून, 1972 के कलकत्ता से प्रकाशित 'स्टेटसमैन' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटेन में गये भारतीयों सहितत काले लोगोंके साथ ब्रिटेनमें जातिपात भेदभाव बरते जाने की निरन्तर घटनाएं होती रहती है; और

(ख) यदि हां तो भारत सरकार ने इसे समाप्त करने के लिए क्या कार्यबाहीं की है ?

विदेश मंत्रालय में उप मत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) युनाइटेड किंगडम में रहने बाले भारतीयों की कोई भेदभाव की शिकातत इस समय सरकार को नही प्राप्त हुइ हैं। ऐसी सभी शिकायतें संबंधित प्रधिकारियों के समक्ष अबिलंब रखी जाती है। 26 जून 1972 के 'स्टेटसमैन' की रिपोर्ट में भेदभाव के जिन मामलों का उल्लेख हैं वे ऐसे हैं। जिन्हें दूर करने का प्रयास प्रायः लोग व्यक्तिगत रूप से 'जाति संबन्ध बोर्ड' तथा समुदाय संबन्ध आयोग' आदि संगठनो द्वारा करते हैं।

पश्चिम बंगाल के कोयला उद्योग के संबन्ध में दिल्ली में हुई त्रिपक्षीय बैठक

1734. **डा० रानेन सेन** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विल्ली में पश्चिम बंगाल के कोयला उद्योग के सम्बन्ध में हाल ही में एक त्रिपक्षिय बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक के क्या परिणाम निकले ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खडिलकर) : (क) जी हां

(ख) इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय श्रम मंत्री श्रमिकों को अन्य देय राशियों के शीघ्र ही भुगतान के लिए किए जाने वाले प्रबन्धों पर विचार करेंगे । मालिकों ने भी यह स्वीकार किया कि भविष्य में श्रमिकों को वेतन और अन्य देय राशियां का समय पर और शीघ्र भुगतान कियां जाएगा ।

मानव पर्यावरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र समिति का मुख्यालय

1735. **डा. रानन सेन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से यह प्रस्ताव किया है कि मानव पर्यावस्व के संयुक्त राष्ट्र के केन्द्रीय में संपठन का मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाय; और

(ख) यदि हां तो इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह): (क) भारत सरकार ने अपना यह अनुरोध प्रस्तुत कर दिया है कि मानव पयबरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का सचिबालय नई दिल्ली में क्थापित किया जाए ।

(ख) अन्य देशों से अभी अनुरोध पहुंच रहे है लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने अपनी प्रतिक्रिया अभी नहीं बताई हैं ।

इस्पात उद्योग के बिकास के लिए एक अध्ययन दल का बंगला देश का दौरा

1736. **डा० रानेन सेन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग विकास की संभावना का पता लगाने के लिएबंग ला देल को एक अध्ययन दल भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री शाह निवाज खां) : (क) जी नहीं/फिर भी बंगला देश सरकर को लोहे तथा इस्पात के माल की अत्याबश्यक सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए हिल्दुस्तान स्टील लि० की एक टीम ने बंगला देश का दौरा किया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रायलटी दर भाड़े की दरों और पत्तशुल्क बढ़ाने के सम्बन्ध में भारती खनिज उद्योग संघ से अभ्यावेदन

1737. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या इस्पात और खान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय खनिज उद्योग से कोई ऐसा अभ्यावेदन मिला है जिसमें अनुरोध किया गया है कि भविष्य में रायल्टी दर, रेल भाड़ा तथा पत्तन शुल्क न बढ़ाया जाये;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या खनिजों की ढुलाई में कठिनाइ हुई है जिसके परिणामस्वरूप उसभोक्ता उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई में रुकावट आई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री शाह निवाज खां**): (क) से (ग) . जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी ।

तामिलनाडु में एक छोटे इस्पात संयंत्र की स्थापना

1739. **श्री बी० के० दास चौधरी** :
श्री एम० एम० जोसफ :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में तामिलनाडु में एक छोटा इस्पात संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी थ्योरा क्या है तथा यह कब तक स्थापित हो जायगा और कार्य करने लगेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री शाह निवाज खां**) : (क) और (ख). तामिलनाडु औद्योगिक विकास निगम द्वारा आर्कोनम के स्थान पर पहिले से स्थापित किये गये लगातार ढलाई के 50 लाख टन इस्पात बिलेट प्रतिवर्ष की आरंभिक क्षमता के एक कारखाने जिसने अप्रेल1972 में उत्पादन करना आरम्भ कर दिया था के अलावा तामिलनाडु में एक और कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इस समय बिचाराधीन नहीं है ।

इस्पात और खान मंत्रालय के अंतर्गत स्केप निगम की स्थापना

1740. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिदेश व्यापार मंत्रालय की अपेक्षा उनके मंत्रायल के शन्तर्गत स्क्रेप निगम स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री शाह नवाज खां) (क) सरकार ने मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन लि० के प्रशासनिक नियंण को जो 1964 से लेकर विदेश व्यापार मन्त्रालय के अधीन था इस्पात और खान मंत्रालय इस्पात विभाग को हस्तांतरित करने का फैसला किया है।

(ख) इस कारपोरेशन के पुनर्गठन की मुख्य बातें निम्नलिखित है —

(1) मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन में खनिज और धातु व्यापार निगम के इस समय 2 लाख रूपये के जो शेयर हैं उन्हें भारत के राष्ट्रपति को हस्तांरित कर दिया जाएगा।

(2) कारपोरेशन की गतिविधियों का विशेषतय अधिकधिक मात्रा में स्क्रेप प्राप्त करने के लिए और विस्तार किया जाएगा।

रेलवे में पंजीकृत मजदूर संघ

1741. **श्री राजदेव सिंह** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मज़दूर संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत केवल रेल कार्यों से ही सम्बंधित कितते मजदूर संघों को पंजीकृत किया गया है ;

(ख) वर्ष 1960, 1965 तथा 1970 में आल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के कुल कितने-कितने सदस्य थे और इसने अपने पंजीकरण का पिछली बार नवीकरण किस तिथि को कराया है ; और

(ग) वर्ष 1960, 1965 तथा 1970 में अखिल भारतीय रेलवे मैन्स फैडरेशन के कुल कितने-कितने सदस्य थे और इसने अपने पंचीकरण का पिछली बार नवीकरण किस तिथि को कराया ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत, दिसम्बर, 1970 तक 175 श्रमिक संघ पंजीकृत किये गये।

(ख) और (ग). आल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की सत्यापित सदस्या-संख्या 1.3.1960 को 35,467 और 31.12.1968 को 1,98,941 थी। वर्ष 1965 और शढठण के लिए कोई जांच नहीं की गई। आल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के बारे में ऐसी कोई जांच नहीं की गई क्योंकि यह चार केंद्रीय श्रमिक संगठनों में किसी से भी सम्बद्ध नहीं है। दो फेडरेशनों के पंजीकरण से संबन्धित सूचना एकत्र की जा रही है।

वियतनाम समस्य पर बातचीत

1742. **श्री पम्पन गौडा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा उत्तर वियतनाम की बन्दरगाहों की नाकाबन्दी किये जाने पर ब्रिटेन सरकार ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि वियतनाम समस्या पर प्रभावकारी बातचीत आरम्भ कराने के लिये भारत अपने प्रभाव का उपयोग करे ; और

(ख) यदि हा, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिह) : (क) जी हां । ब्रिटिश सरकार ने सुझाव दिया है कि सोवियत संघ को सही ढंग से सलाहमशविरा देकर भारत वियतनाम पर भी जेनेवा की तरह का सम्मेलन बुलाने में मदद कर सकता है ।

(ख) भारत सरकार यह महसूस करती है कि वियतनाम में पहले लड़ाई बंद हो जाए तभी शांतिपूर्ण उपाय द्वारा इसे सुलझलने के किसी प्रस्ताव के स्वीकार किए जाने की सम्भावना हो सकती है ।

Rehabilitation of Evacuated Families in Border Areas

1743. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether some of the families evacuated from border areas at the time of the last INDO-PAK war have not been rehabilitated so far ; and

(b) the steps proposed to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) & (b). In this connection the Government of Gujarat have reported that families were not evacuated.

The Government of Rajasthan have informed that the families who were evacuated from border village have been settled in their own villages. The state Government have paid compensation for the loss of crop to the affected persons in Barmer district while such Payment is in progress in Ganganagar district.

The Punjab Government have reported that 4,30,340 personns had been displaced from the border areas, out of whom 3,57,687 have gone back to their villages. The remaining 72,653 persons were mostly staying with their relatives and friends while tents have been provided to the needy. The State (overnment have given them cash doles and grants for fodder, blankets/quilts and clothing, etc. at the approved scales.

Information from the Jammu and Kashmir State is awaited and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it becomes available.

औद्योगिक प्रतिष्ठानों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

2744. **श्री समर मुखर्जी** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुल कितने औद्योगिक प्रतिष्ठानों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की राशि बकाया है ;

(ख) मई, 1972 तक इसकी कुल बकाया राशि और इस बारे में राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियय, 1952 औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक पर भी लागू होता है । 31.5.1972 को चूककर्त्ता औद्योगिक प्रतिष्ठानों की कुल संख्या के बारे में आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं । तो भी, 31 मार्च, 1972 को चूककर्त्ता छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों की कुल संख्या, जिनकी ओर भविष्य निधि के देय राशियां बकाया थीं, 8046 थी ।

(ख) छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के बारे में मार्च, 1972 के अन्त पर भविष्य निधि अंशदानों की बकाया राशि दर्शाने वाला एक क्षेत्र-वार विवरण संलग्न है ।

(ग) छूट न प्राप्त जो प्रतिष्ठान देय राशियों की अदायगी और या विवरणयां भेजने में चूक करते हो, उनके विरुद्ध सामान्यत: निम्नलिखित कार्यवाहियां की जाती हैं :

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन अभियोजन चलाया जाता है ।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली कार्यवाहियां शुरू को जाती हैं ।

(iii) उपयुक्त मामलों में, भारतीय दण्ड सहिता की धारा 406/409 के अधीन पुलिस न्यायालयों में शिकायतें दाखिल की जाती हैं ।

(iv) चूक को मालिकों और मजदूरों के संगठनों, जिनमें तजदूर संघ शामिल हैं, ध्यान में लाया जाता है ।

(v) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14ख के अधीन दण्ड हरजाने लगाए जाते हैं।

(vi) कुछ मामलों में, पर्याप्त गारंटी, अमानत आदि के दिए जाने पर प्रतिष्ठानों को दय राशियां किस्तों में अदा करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

(vii) ऐसी मिलों की अवस्था में, जो दीवालिया हो चुकी हों, पुनिर्नमार्ण योजनाओं की जांच गुण-अवगुण के आधार पर की जाती है।

क्षेत्र	बकाया राशि (रुपये लाखों में)
(1)	(2)
1. आन्ध्र प्रदेश	65.24
2. असम	20.29
3. विहार	51.94
4. दिल्ली	16.77
5. गुजरात	60.60
6. केरल	62.00
7. मध्य प्रदेश	234.41
8. महाराष्ट्र	658.51
9. मैसूर	26.45
10. उड़ीसा	19.45
11. पंजाब	20.58
12. राजस्थान	49.74
13. तमिलनाडु	191.59
14. उत्तर प्रदेश	201.77
15. पश्चिम बंगाल	386.64
योग	2065.57

Tracing out of Historic Cage in which Guru Teg Bahadur was kept by Mughal Emperor

1745. SHRI ONKARR LAL BERWA :
SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have asked their High Commission in Britain to trace out that historic cage of the 17th century in which Guru Tegh Bahadur was kept by the Mughal Emperor Aurangzeb before passing death sentence on the Guru; and

(b) if so, the progress made in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRAPAL SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) Enquiries made by the British Government have failed to reveal the whereabouts of the relics in U. K. Nor has evidence come to light during their enquiries to suggest that the relics were ever taken to Britain.

Foreign Tours of Central Ministers and Government Officers

1746. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIS be pleased to state :

(a) the number of Central Ministers and Government officers who visited foreign countries during the last five months; and

(b) the amount of Indian and foreign currency spent by Government thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b) The information is being collected, and will be submitted as soon as it is compiled.

केरल के कोजीकोड़े जिले में पारे के निक्षेप

1748. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू गर्भीय सर्वेक्षण ने सरकार को केरल के कोजीकोड जिले में वड़ागरा के निकट पारे के निक्षेपों की मात्रा के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से उस क्षेत्र में तापीय सर्वेक्षण करने का विचार कर रहा ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक

सर्वेक्षण द्वारा केरल के कोजीकोड जिले में बाडागाड़ा क्षेत्र के समीप पारे के लिए प्रारम्भिक अन्वेषण सम्पूरित किए गए हैं और रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ख) और (ग). इस क्षेत्र में पारा निक्षेपों के लिए तापीय सर्वेक्षण का सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

कालीकट में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना

1749. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन्** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कालीकट के निकट चेरुपा, एलिमोहमला, नानमिंदा, द्रवन्नूरनर और पेरुवन्नामुझी में लोह अयस्क के निक्षेपों की मात्रा के सम्बन्ध में अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गए हैं; यदि हां, तो निक्षेपों की मात्रा कितनी है तथा उनकी किस्म क्या है;

(ख) क्य भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण आस पास के अन्य क्षेत्रों में भी लोह अयस्क के बारे में अनुसंधान कर रहा है; और

(ग) क्या सरकार इन अयस्क निक्षेपों के आधार पर कालीकट में एक इस्पात संयंत्र स्थापित किये जाने की सम्भावनाओं का पता लगा रही ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चूरेप्पा, एलोवेटीमाला, नांमिदा और नान्नबल्लूर में लौह अयस्क के लिए विस्तृत अन्वेषण संपूरित किए हैं। चूरेप्पा, एलीयेटीमाला और नांनमिंदा लौह अयस्क निक्षेपों की रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया गया है लेकिन नाड्वल्लूर निक्षेप की रिपोर्ट अभी पूर्ण नहीं है। अन्तिम रूप दी गई रिपोर्टों में से, चेरूप्पा के बारे में की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है। पेरूवनांमझी (आलमपारा निक्षेप) में लौह अयस्क के लिए समन्वेषण प्रगति पर है और उसके 1972-73 के कार्य सत्र के दौरान जारी रहने की आशा है। चेरूप्पा, ऐलीयेटीमाला, नांनमिंदा और नाडुवल्लूर क्षेत्र में कुल 31 और 40 प्रतिशत के मध्य की भिन्न लोहांस वाली आस्वीकृत और अनास्वीकृत अयस्क की उपलब्ध राशियों का अनुमान लगभग 440 लाख टन है।

(ख) लोह अयस्क के लिए प्रारभिक अन्वेषण को मालापुरम् जिले के कराट्टीमाला क्षेत्र में लोह अयस्क के प्राप्ति-स्थलों को सम्मिलित करने तक विस्तारित किया गया है।

(ग) लौह अयस्क के समस्त सम्भाव्य निक्षेपों में अन्वेषण संपूरित होने और क्षेत्र में कुल उपलब्ध राशियों के ज्ञात होने के पश्चात् ही कालीकट में इस्पात संयंत्र स्थापिन करने के प्रश्न का परीक्षण किया जा सकता है।

उर्वरकों का आयात करने के बारे में कृषि मन्त्रालय के प्रस्ताव

1750. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका बिभाग मिश्रित उर्वरकों के आयात के बारे में कृषि मंत्रालय के प्रस्तावों की जांच करके विदेशी मुद्रा बचाने के दृष्टिकोण से उन प्रस्तावों की उपेक्षा कर रहा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उनका मंत्रालय पोटाशिक उर्वरक की, गैर-सरकारी व्यापार के प्रभुत्व वाले इण्डियन पोटाश लि. के माध्यम से, सप्लाई का समर्थन करता है ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी. आर चव्हाण) : (क) तथा (ख). उर्वरकों के आयात के लिए कार्यक्रम निश्चिय करना अर्थात आयात किये जाने वाले उर्वरकों की मात्रा और किस्म तथा उक्त आयात के लिए परिदान कार्यक्रम तैयार करना कृषि-विभाग की जिम्मेदारी है। पूर्ति विभाग की जिम्मेवारी कृषि-विभाग द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार उर्वरकों का आयात करने तक ही सीमित है। इसलिए पूर्ति बिभाग द्वारा कृषि विभाग के प्रस्तावों की जांच करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) पूर्वी यूरोपीय देशों से पोटाशिक उर्वरकों का आयात खनिज-धातु आपार निगम के माध्यम से किया जाता है, तथा अन्य स्रोतों से आयात पूर्ति विभाग के माध्यम से किया जाता है । यह उर्वरक भारतीय पोटाश लिमिटेड के माध्यत से आयात नहीं किया जा रहा है।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन

1751. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण के प्रशासन और प्रगति सम्बन्धी वार्षिक प्रतिबेदन सभा पटल पर रखें जायेंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही दण्डकारण्य विकास योजना की प्रगति पुनर्वास विभाग की वार्षिक रिपोर्टों के अध्याय 'दण्डकारण्य परियोजना' में दिखाई जाती है जो कि प्रति वर्ष बजट सत्र में संसद सदस्यों को दी जाती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा अर्जित लाभ

1752. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्र अनुमानत: कब तक लाभ अर्जित करना आरम्भ कर देंगे; और

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में, जिसमें नवीनतम मशीनें तथा उपकरण लगे हुये है, घाटा होने के क्या कारण है जबकि टाटा बन्धुओं द्वारा लगभग 50 बर्ष पहले लगाई गई पुरानी मशीनें लाभ अर्जित कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). लाभदायकता लागत, उत्पादन परिमाण और मूल्यों पर निर्भर है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अनुमान लगाया है कि बर्तमान कीमतों और उत्पादन लागतों के आधार पर उसके अधीन तीन सर्वोत्मुखी इस्पात कारखाने लाभ कमा सकते है यदि उनका उत्पादन स्तर भिलाई दुर्गापुर और राउकेला इस्पात कारखानों की स्थापित क्षमता के क्रमश: से 84 प्रतिशत, 81प्रतिशत और 63 प्रतिशत से बढ़ जाय तदनुसार प्रबंधकवर्ग उत्पादन को यथा शीघ्र बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है और इस दिशा में कई कदम उठाए गये है। पिछले सालों में कम्पनी को अनेक कारणों से घाटा हुआ है जिसमें क्षमता का अपर्याप्त प्रयोग, पूंजी सम्बन्धी खर्चों का अधिक होना, कुछ कारखानों में मालिक मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होना और मूल्य वृद्धि आदि शामिल हैं। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की पूंजीगत सम्बन्धी खर्चे बहुत कम है और उनका क्षमता का उपयोग अधिक है।

इस्पात के मूल्य में वृद्धि

1753. **श्री डी. के. पंडा:**
श्री ज्योतिर्मय बसु:

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अभी हाल में इस्पात की कीमतों में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) और (ख). 22-7-1972 से सरकार ने इस्पात की निम्नलिखत तीन श्रेणियों के मूल्यों में उनके सामने दी गई राशि की वृद्धि करने की अनुमति दी है:—

1) बिलेट	80 रुपये प्रति टन
2) छड़ तथा गोल छड़ तथा तार छड़	85 रुपये प्रति टन
3) ढांचे और रेल की पटरी	50 रुपये प्रति टन

(ग) इस्पात के तीन मुख्य उत्पादकों अर्थात हिन्दुस्तान स्टील लि०, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए अप्रैल-मई, 1972 में सरकार को अभ्यावेदन दिया था। अपने अभ्यावेदन में मुख्य

उत्पादकों ने उन विभिन्न मदों की लागत में वृद्धि का उल्लेख किया था जिनको सरकार ने 30 दिसम्बर, 1969 को इस्पात की कीमतों में वृद्धि की अनुमति देते समय शामिल नहीं किया था तथा उन्होंने तब से लेकर लागत में और वृद्धि हो जाने के कारणों का भी उल्लेख किया था। इन वृद्धियों का कुल प्रभाव 100 रुपये प्रति टन से अधिक बैठता था। इसमें मजदूरी (महंगई भत्ता भी शामिल है) में वृद्धि से 30 रुपये प्रतिटन से अधिक, कच्चे माल से 20 रुपये से अधिक, ऊष्मसह, रोल तथा ईधन तेल से 25 रुपये से अधिक तथा अन्य कारणों जैसे रेल भाड़े उपभोग्य सामग्री, बिजली आदि से 32 रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया था कि उपयुक्त मूल्य वृद्धि के बिना उनके कार्य-परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर ध्याननपूर्वक विचार किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस समय इस्पात के मूल्यों में सामान्य बृद्धि करना उचित न होगा। फिर भी यह समझा गया कि कुछ चुनी हुई श्रेणियों के मूल्यों में बृद्धि करना तर्कसंगत हैं।

Enhancement of Wages of Labourer Engaged in Construction of Buildings

1754. DR. SANKATA PRASAD : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government have decided to enhance the wages of the labourers engaged in construction of buildings from Rs. 4.50 to Rs. 5.00;

(b) if so, whether it has since been implemented; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) to (c). Draft proposals for revision of minimum wagges under the Minimum Wages Act, 1948, for employees employed in employments in—

(i) construction or maintenance of roads or in building operations,

(ii) stone breaking and stone crushing,

(iii) maintenance of buildings and

(iv) construction and maintenance of runways, have been published in the Gazette of India Extraordinary dated 20th May, 1972, inviting objections/suggestions, if any, within 3 months. The proposals shall be finalised after this period in the light of comments that may be received.

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों पूंजी निवेश

1756. **श्री अचल सिंह:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने 31 मार्च, 1972 तक भिलाई, रूडकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में कुल कितनी पूंजी लगाई थी;

(ख) गत तीन वर्षों में इन संयंत्रों में कितना-कितना लाभ अथवा घाटा हुआ; और

(ग) संयंत्रों में घाटा होने के क्या करण है?

इस्पात और खान भंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में जिसके भिलाई, राउकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखाने तीन एक्क है, 31-3-72 को भारत सरकार की कुल 1011.07 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी जिसमें इक्विटी 598.37 करोड़ रुपये और ऋण 416.70 करोड़ रुपये थे।

(ख) वर्ष 1968-69 से 1970-71 तक के वर्षों में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात का कारखानों के कार्य-परिणाम इस प्रकार थे:—

(करोड़ रुपये में)

कारखाना	शुद्ध लाभ (+) । हानि (—)		
	1968-69	1969-70	1970-71
राउरकेला	(—) 3.97	(+) 7.83	(+) 10.20
भिलाई	(—) 11.35	(+) 3.65	(+] 11.04
दुर्गापुर	(—) 17.37	(—) 15.50	(—) 20.40

वर्ष 1971-72 का वार्षिक हिसाब-किताब अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुआ है और इसे अभी कम्पनी द्वारा अनुमोदित किया जाना है। परन्तु वर्तमान संकेतों के अनुसार इस वर्ष मी सभी कारखांने घाटे में है।

(ग) जैसा कि उपरोक्त विवरण से पता चलता है राउरकेला और भिलाई इस्पात कारखानों ने वर्ष 1969-70 और 1970-71 में लाभ कमाया है। इन कारखानों द्वारा 1968-69 में और दुर्गापुर इस्पात कारखाने का सभी तीनों वर्षों में घाटे में रहने का मुख्य कारण वास्तविक उत्पादन का इनकी स्थापित क्षमता से बहुत कम होना है। यही बात वर्ष 1971-72 पर भी लागू होती है जबकि बेतन समझौते के पूर्ण प्रभाव, संयंत्रों के पुराने हो जाने के कारण, रख रखाब की अधिक आवश्यकताओं पर स्टोर और फालतू पुर्जों की अधिक खपत, आपतकालीन जोखिम बीमा, मार्क के मूल्य में वृद्धि, बिजली कर की दर में वृद्धि और इस कारण से बकाया राशि और राउकेला में रुटील मेल्टिंग शाप का गिरना लागत में वृद्धि होने का एक अतिरिक्त कारण है।

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिए लोह पिंडों का आयात

1757. **श्री अचलसिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1972 के अन्त तक गत तीन वर्षों के दौरान भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों के लिए कितने लौह पिण्ड का आयात किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों द्वारा कच्चा लोहा आयात नहीं किया गया।

भारत और बंगला देश के बीच संयुक्त आर्थिक विकास के क्षेत्र

1759. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त उत्पादन और खोज एवं अन्य देशों में निर्यात व्यापार के लिए मण्डियों को खोजने की दृष्टि से भारत और बंगला देश के बीच किन-किन क्षेत्रों का संयुक्त आर्थिक विकास के लिए पता लगाया गया है; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). कलकत्ता में 8 फरवरी, 1972 को भारत तथा बंगला देश के प्रधान मंत्रियों के सम्मिलित वक्तव्य के अनुसार, दोनों देशों के बीच निकट आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं और भावी आर्थिक सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने का अध्ययन आरम्भ कर दिया गया है । इस अध्ययन में उन क्षेत्रों का पता लगाना भी शामिल किया जा रहा है जहां तीसरे देशों के साथ व्यापार सम्मुन्नत करने के प्रयासों को समन्वित करना संभव हो सके ।

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा लद्दाख क्षेत्र का सर्वेक्षण

1760. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने जम्मू और कश्मीर के किस्तवार लद्दाख क्षेत्र में एक दस-सदस्यीय वैज्ञानिक तथा पर्वतारोहण अभियान दल भेजा है;

(ख) क्या यह अभियान दल ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों का भूगर्भीय सर्वेक्षण करेगा और 23,000 फुट नुन्कुन चोटी पर चढ़ने का भी प्रयास करेगा; और

(ग) क्या यह दल कोई अन्य काम भी करेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). जी, हां । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जून के प्रथम सप्ताह में लद्दाख जिले के नुनकुन में एक दस सदस्यीय अभियान दल भेजा है जिसमें सात भूवैज्ञानिक, एक डाक्टर और दो संकेतक सम्मिलित हैं । इस अभियान की व्यवस्था, नुनकुन चोटी और आस-पास के क्षेत्रों का भूवैज्ञानिक मानचित्रण का कार्य आरम्भ करने के लिए की गई है । इसके अतिरिक्त अभियान दल अधिक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भूवैज्ञानिक, भूआकृतिक और हिमवैज्ञानिक अध्ययन कार्य आरम्भ करेगा और 7135 मीटर (लगभग 23000 फुट) ऊंची नुन चोटी पर आरोहण करने का भी प्रयत्न करेगा ।

खेतड़ी तांबा परियोजना के आसपास ताँबा अयस्क के निक्षेप

1761. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी और तांबा परियोजना के आस-पास पाये गये तांब्र अयस्क के निक्षेप, संयंत्र के 45 दिन से अनधिक की अवधि के लिए चालू हो जाने की दशा में उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे;

(ख) यदि नहीं, तो खोज सम्बन्धी कार्य में धीमी प्रगति के क्या कारण है; और

(ग) क्षेत्र के आसपास तांब्र अयस्क के निक्षेपों की खोज करने और उनका विदोहन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) जी, नहीं। वास्तविक स्थिति यह है कि खेतड़ी और कोलिहान खानों में अयस्क की अब तक प्रमाणित उपलब्ध राशियां 590 लाख टन, जो संयंत्रों को पूर्ण क्षमता पर 20-25 वर्षों के लिए, जो किसी खान का सामान्य जीवन काल है, पोषित करने के लिए पर्याप्त होगी। आगे अन्वेषण से अयस्क की उपलब्ध राशिया की स्थिति में सुधार होने की प्रत्येक संभावना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड, जो खेतड़ी और कोलिहान खानों में ताम्र अयस्क निक्षेपों के समुपयोजन के लिए उत्तरदायी है, अयस्क की अतिरिक्त उपलब्ध राशियों के लिए इन निक्षेपों का समन्वेषण भी कर रहा है। कम्पनी ने राजस्थान के अलवर जिले में दरीबा ताम्र निक्षेपों का समुपयोजन भी प्रारम्भ किया है। इसके अतिरिक्त, हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड द्वारा खेतड़ी ताम्र प्रायोजना के समीप चान्दमारी ताम्र निक्षेप का समुपयोजन शीघ्र ही प्रारम्भ किये जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अतिरिक्त ताम्र अयस्क निक्षेपों की प्राप्ति के लिए, खेतड़ी ताम्र प्रायोजना के इर्द-गिर्द अन्य क्षेत्रों का समन्वेषण भी किया जा रहा है।

खेतड़ी तांबा परियोजना के लिए स्टोपों का निर्माण

1762. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना के क्रियान्वयन के 11 से अधिक वर्षों के दौरान परियोजना के अनेक स्टोपों में से अब तक केवल दो स्टोपों का निर्माण किया गया है;

(ख) परियोजना, लक्ष्य से कितनी पीछे है और अमरीकी परामर्शदाताओं एवं प्रबंधकों के बीच सांठगांठ इस विलम्ब के लिए कहां तक उत्तरदायी है;

(ग) क्या परियोजना की लागत में पहले ही वृद्धि हो चुकी है अथवा सैकड़ों करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि होने की सम्भावना है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उक्त परियोजना के कार्यों की जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अथवा किसी अन्य प्रकार की जांच कराने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्री श हनवाज खां) : (क) खेतड़ी खान के ऊपरी स्तरों पर निकासन तैयार करने का कार्य 1967 में आरम्भ किया गया था। 1970 तक 5 संकुचन निखनन और 2 उपस्तर निखानन तैयार किए गए। जुलाई 1971 में पुनरीक्षित खनन परियोजना बनाई गई और संकुचित निखाननों को उपस्तर निधानों में संपरिवर्तित करने और प्रति निखानन उच्चतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए अयस्क निकालने की पद्धति को परिवर्तित करने का विनिश्चय किया गया। इसमें समस्त निखाननों में पर्याप्त अतिरिक्त कार्य अन्तर्वहित था। इस समय 7 में से एक निखानन से उत्पादन हो रहा है और शेष 6 के बारे में 85 प्रतिशत संपूरित हो गया है। चालू वर्ष की समाप्ति से पूर्व यह समस्त निखानन संपूरित हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, खेतड़ी खान में 6 और निखानन तैयार करने का कार्य आरम्भ किया गया है।

जहां तक कोलिहान खान का संबंध है, निखानन तैयार करने का कार्य 1968 के अन्त में, आरम्भ किया गया था। 1971 में, उपरोक्त निर्देशित पुनरीक्षित खनन परियोजना के अनुकरण में, प्रति निखानन उच्चतर उत्पादन टन सुनिश्चित करने के लिए, निखानन डिजायनों में कतिपय उपान्तरण किए गए। कोलिहान खान में दो निखानन उत्पादन के लिए तैयार हैं और दो अन्य निखाननों को तैयार करने का कार्य आरम्भ किया गया है।

(ख) 1968 में तैयार की गई पहली समय-सारिणी के अनुसार, प्रायोजना को 1971-72 में संपूरित होना था। तथापि, प्रारम्भिक अवस्थाओं में विभिन्न घटकों के कारण प्रायोजना के कार्यान्वयन की प्रगति धीमी रही और 1970 में प्रायोजना के लिए पुनरीक्षित समय-सारिणी तैयार की गई। इसके अनुसार प्रायोजना के उत्पादन 1973-74 की अन्तिम तिमाही से आरम्भ होना निर्धारित है।

1961 के आरम्भ में अमरीका की मैसर्स वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कम्पनी को खेतड़ी ताम्र प्रायोजना पर साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने दिसम्बर 1961 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। तत्पश्चात् खेतड़ी ताम्र प्रायोजना के प्रक्रिया संयंत्रों के लिए उन्हें परामर्शदाता के रूप में प्रतिधारित किया गया। तथापि, प्रायोजना के कार्यान्वयन के लिए वह प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है।

प्रायोजना के कार्य में हुई देरी का मुख्य कारण, प्रायोजना के लिए अपेक्षित उपस्कर और संयंत्र की कतिपय विशिष्ट मदों के डिजायन विनिर्देशों आदि को अन्तिम रूप देने में अप्रत्याक्षित देरी है। देशीय उपस्कर की उपाप्ति में हुई देरी संकेन्द्रक संयंत्र के लिए सिविल संनिर्माण कार्यों के सपूरण में मंद प्रगति और धातुमय खनन एवं धातुविज्ञान के क्षेत्र में अनुभवी और अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की कमी भी प्रायोजना के सपूरण में हुई देरी के लिए उत्तरदायी है। ताम्र खनन और धातुविज्ञान में अभियंताओं के प्रशिक्षण को त्वरित किया गया है लेकिन कम्पनी में पर्याप्त विशेषज्ञता जनित होने में कुछ समय लगेगा। पुनरीक्षित समय-सारिणी के अनुसार प्रायोजना के सम्पूरण को सुनिश्चित करने के लिए यथा-समय प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रायोजना के लिए विस्तृत पूंजीगत लागत प्राक्कलन 1968 में बनाए गए। इसके अनुसार, प्रायोजना की लागत का अनुमान लगभग

93 करोड़ रुपए था। हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड द्वारा प्रायोजना की लागत का हाल ही में पुर्नमुल्यांकन किया गया। और अब परियोजना की लागत का अनुमान लगभग 115 करोड़ रुपए है। यह पुनरीक्षित प्राक्कलन सरकार के परीक्षणाधीन है। लागत प्राक्कलनों के आरोही पुनरीक्षण के मुख्यतः निम्नलिखित कारण हैं :—

(I) यह सुनिश्चित करने के लिए कि समय-सारिणी के अनुसार निर्धारित दरों पर खान से उत्पादन प्राप्त हो सके, पहली आनन परियोजना का पुनरीक्षण आवश्यक था। इससे अतिरिक्त खान-द्वारा और यंत्रीकृत खाननार्थ अतिरिक्त खानन उपस्कर की आवश्यकता पड़ी।

(II) जहां तक संयंत्रों का संबंध है, पूर्व के प्राक्कलन प्रारम्भिक प्रकिया डिजायनों, विशिष्टता प्रद्धावक और परिकरणशाला के मामलों में, पर आधारित थे। विस्तृत डिजायनिंग के संपूरित होने पर, प्रक्रिया अपेक्षाओं की पूर्ति करने हेतु पूर्व के प्राक्कलनों में असम्मिलित अतिरिक्त उपस्कर की व्यवस्था करनी पड़ी।

(III) बुद्धि का आंशिक कारण विगत 4 वर्षों में उपस्कर सामग्री और सेवाओं की कीमतों में साधारण बुद्धि है।

(IV) प्रायोजना के संपूरण में लगभग 2 वर्ष की देरी के परिणामस्वरूप पर्यवेक्षण आदि पर भी अतिरिक्त व्यय हुआ है।

(V) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान में तांबा निक्षेपों सम्बन्धी अनुमानों के बारे में भारतीत भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में मतभेद

1763. **डा. हरीप्रसाद शर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के अलवर जिले के खोह दरीबा में तथा आस पास के इलाके में तांबा निक्षेपों की उपलब्धता के अनुमानों के बारे में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था और इस्पात तथा खान मंत्रालय के बीच तीव्र मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में इन निक्षेपों की विद्यमानता के बारे में दोनों प्राधिकारियों का अनुमान क्या है; और

(ग) क्या खेतड़ी तांबा उद्योग समूह की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस क्षेत्र तथा राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में तांबा निक्षेपों की विद्यमानता के बारे में अग्रेतर खोज कार्य करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजस्थान के अलवर जिले के खो-दरीबा क्षेत्र में औसतन श्रेणी के 2.46 प्रतिशत ताम्र वाली 5.6 लाख टन उपलभ्य राशियों का अनुमान किया है ।

(ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में ताम्र के लिए समन्वेषण कार्य करने में व्यस्त है :—

भारत पर से होकर पाकिस्तानी विमानों की उड़ानों पर लगी रोक के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चुनौती

1764. **श्री रणबहादुरसिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि उसको पाकिस्तान द्वारा की गई इस शिकायत पर निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है कि पाकिस्तान को भारतीय आकाश में उड़ान करने की अनुमति दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन की परिषद के 29 जुलाई 1971 के निर्णय के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अदालत में अपील की है । इसने परिषद के क्षेत्राधिकार से संबद्ध भारत की प्रारम्भिक आपत्तियों को रद्द किया था जिसके अनुसार यह परिषद के क्षेत्राधिकार से बाहर है कि वह भारत द्वारा अपने क्षेत्र से पाकिस्तानी वायुयानों की उड़ान पर लगाए प्रतिबध पर विचार करे । भारत का विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन की परिषद पाकिस्तान के आवेदन और शिकायत पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं थी ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा है ।

Setting up of Godowns for Iron and Steel in Madhya Pradesh by Hindustan Steel Ltd.

1765. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the Hindustan Steel Limited propose to set up godowns for iron and steel in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the names of places where these godowns would be set up and the time by which these godowns would be set up ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) and (b). Hindustan Steel Limited have at present two branches cum stockyards in Madhya Pradesh at Indore and Bhilai. They have no proposal at present to open any futher stockyard in that State.

Production of Steel in Bhilai Steel Plant

1766. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the various kinds of steel being produced in the Bhilai Steel Plant in Madhya Pradesh ;

(b) the various kinds of steel being generally exported by the plant ; and

(c) the amount of foreign exchange earned by the Plant by exporting steel during the last year ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) The Bhilai Steel Plant produces Billets, Blooms, Beams, Joists, Channels, Rounds, Ribbeds, Tor Steel Angles, Flats, Rails, Shell bars, square, wire rods etc.

(b) The Plant generally exports rails, structurals and bars in different specification as required by the customers in foreign countries.

(c) The Plant earned a foreign exchange of Rs. 14.35 crores by export of steel during 1971-72.

कारखाने में कार्य के घटों के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारश

1767. **श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1946 के बड़े कारखानों और कपड़ा उद्योगों में काम करने के घंटों में कमी की गई थी;

(ख) क्या इस बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा की गई सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए सरकार तैयार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) कारखाना अधिनियम, 1934 के अधीन बयस्कों के साप्ताहिक कार्य घटे मूलतः 54 (मौसमी कारखानों के लिए 60 घंटे) थे। कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन सभी कारखानों के लिए एकरूप से कम कर के ये 48 घंटे कर दिए गए।

(ख) और (ग). अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कार्य-घंटों में तुरन्त कमी करने का प्रस्ताव नहीं किया है। तो भी, आयोग ने दो चरणों में पूरे किए जाने वाले लक्ष्य के रूप में कार्य घंटों को कम करके 40 घंटे करने की सिफारिश की है। सरकार ने यह निर्णय किया था कि कार्य घंटों में कमी करने के प्रश्न पर समुचित समय पर विचार किया जाए जब हालात ऐसी कमी की जाने की इजाजत दें। आयोग ने यह भी सुझाव

दिया है कि ऐसे उद्योगों में जहां हानिकारक प्रक्रियाओं की देखभाल की जानी होती है और जहां श्रमिकों को गन्धमय धुएं और गैसों का सामना करना पड़ता है, कार्य घंटों में तुरन्त कमी की जाए। इस मामले की जांच की जा रही है।

छावनी बोर्ड कर्मचारियों के न्यूनतम मजूरी

1768. श्री **अमर नाथ विद्यालंकार** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 5 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7128 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि छावनी बोर्ड कर्मचारियों के वेतन-मान क्या हैं और वे कब निर्धारित किए गए थे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : छावनी बोर्ड और उनके कर्मचारियों के बीच 13-5-1969 के किए गए समझौते के फलस्वरूप छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते जिला स्तर पर राज्य सरकारों के अनुरूपी वर्गों के कर्मचारियों के सम दर पर लाए गए है। इसलिए विभिन्न वर्गों के कर्मचारी वर्ग के लिए वास्तविक वेतन मानों की जिन संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है, एक राज्य से दूसरे राज्य में विभिन्न होने की संभावना है।

न्यूनतम बोनस में वृद्धि का विरोध

1769. **श्री के. मालन्ना** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नियोजक संघ (एम्प्लायर्स फैडरेशन आफ इंडिया) द्वारा गठित भारतीय नियोजक परिषद ने इस आधार पर न्यूनतम बोनस में वृद्धि करने का विरोध किया है कि इससे सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के उद्योगों पर सम्पूर्ण देश में रोजगार के अवसर की सम्भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर. के. खडिलकर) : (क) यह बताया गया है कि भारतीय नियोजक परिषद ने न्यूनतम बोनस बढ़ाने की मांग का विरोध करते हुए बोनस का पुनरीक्षा समिति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

(ख) इस मामले पर पहले बोनस पुनरीक्षा समिति द्वारा विचार किया जाना है।

यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की न्यूनतम बोनस की मांग

1770. **श्री के. मालन्ना** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने इस बात की मांग की है कि देश के कर्मचारियों को उनकी कुल वार्षिक आय का 8.13 अथवा 150 रुपए प्रति व्यक्ति न्यूनतम बोनस के रूप में दिया जाये;

(ख) क्या बोनस पुनरीक्षण समिति को प्रस्तुत किए गए एक ज्ञापन में युनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने यह कहा है कि बोनस सभी नोकरी-पेशा व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए और बोनस

अदायगी अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों को प्राप्त छूट को वापस लिया जाना चाहिए; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) और (ख). सूचित किया गया है कि संयुक्त मजदूर संघ कांग्रेस ने, न्यूनतम बोनस की बढ़ोत्तरी और सभी नियोजित व्यक्तियों को बोनस के भुगतान पर जोर देते हुए एक ज्ञापन बोनस पुनरीक्षा समिति को प्रस्तुत कर दिया है।

(ग) मामले पर पहले बोनस पुनरीक्षा समिति द्वारा विचार किया जाना है।

इस्पात की नियंत्रक कम्पनी द्वारा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने संबंधी योजनायें

1771. **श्री एस. आर. दामाशिनि :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों में क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने के लिए इस्पात की नियंत्रक कम्पनी ने क्या योजनायें तैयार की हैं;

(ख) क्या इन कारखानों की प्रबन्ध कुशलता में सुधार करने और उत्पादन-लागतों को कम करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) इस्पात और सम्बद्ध आदान उद्योगों के लिए होल्डिंग कम्पनी की स्थापना अभी की जानी है। फिर भी मालिक-मजदूर सम्बन्धों, विशेषतया दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मालिक-मजदूर सम्बन्धों की कठिनाइयों के बावजूद भी हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धक उत्पादन को यथा शीघ्र बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। इन प्रयत्नों में कोक भट्टियों की विशिष्ट मरम्मत, गैस की उपलब्धि बढ़ाने के लिए वैकल्पिक अनुपूरक ईंधनों का उपयोग, ईंधन के साधनों में वृद्धि करने के लिए कुछ भट्टियों में आयल फायरिंग राउरकेला इस्पात कारखाने में आधी अतिरिक्त और भिलाई इस्पात कारखाने में एक पूरी अतिरिक्त कोक ओवन बैटरी की स्थापना, उपकरणों की अच्छी उपलब्धि के उद्देश्य से रख-रखाव में सुधार, उत्पादन सुविधाओं में असंतुलन को ठीक करने के लिए आवश्यक पूंजीगत कार्यक्रमों को पूरा करने में तेजी लाना, फालतू पुर्जों, ऊष्मसह तथा अन्य आवश्यक माल की योजनाबद्ध ढंग से प्राप्ति शामिल है। श्रमिकों के झगड़ों और उनकी शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने और उत्पादन को अधिकाधिक करने में मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने हेतु दुर्गापुर में हाल में एक त्रिपक्षीय सलाहकार मशीनरी स्थापित की गई है। उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने में एक नई पुरस्कार योजना शुरू की गई है।

(ख) और (ग). प्रबन्धों की कार्यकुशलता में सुधार करना और उत्पादन लागत पर नियत्रण रखना और लाजमी तौर पर प्रबन्धकों का कार्य है और हिन्दुस्तान स्टील लि० के प्रबन्धक इन आवश्यकताओं के प्रति जागरूप है। प्रबन्धकों की कार्यकुशलता को सुधारने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाये जा रहे हैं तथा परिचालन एककों को पर्याप्त शक्तियों का सौंपना प्रशासनिक विकास के लिए लगातार कार्यक्रम बनाना कार्य-उन्मुख मूल्यांकन की नई व्यवस्था करना आदि।

उत्पादन लागत पर नियन्त्रण मानक मूल्यन पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा उत्पादन वृद्धि भी उत्पादन लागत को बढ़ाने से रोकने में सहायक होगी।

पश्चिम बंगाल में बिजली संकट का रोजगार की स्थिति पर प्रभाव

1772. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में अभी हाल के गम्भीर बिजली संकट का पश्चिमी बंगाल स्थिति के कारखानों में रोजगार की पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) और (ख). यह मामला राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

कलकत्ता पत्तन पर लोह अयस्क चढ़ाने-उतारने वाले कर्मचारियों की छंटनी

1773. **श्री इंद्रजीत गुप्त** :

श्री एस. सी. सामन्त :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 20 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7848 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन से खनिज और खान व्यापार निगम द्वारा लोह अयस्क और इस्पात के निर्यात में अनुचित कमी के विरुद्ध कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर इस बीच विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) क्या कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर विचार होने तक अयस्क को उतारने चढ़ाने वाले 800 से अधिक कर्मचारियों की सम्बद्ध ठेकेदारों द्वारा छंटनी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) से (ग). कलकत्ता पत्तन से लौह अयस्क तथा इस्पात के निर्यात में कमी के विरुद्ध किये गये अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा विचार किया गया। यद्यपि कई कारणों से इस प्रश्न में इन जिन्सों के निर्यात कर पिछला स्तर बढ़ाना

अथवा बनाये रखना व्यावहारिक नहीं पाया गया, तथापि कलकत्ता में लौह अयस्क श्रमिकों को रोजगार देने के लिए एक व्यायहारिक फार्मूला तैयार किया गया है । इस फार्मूले के अधीन, श्रमिकों की एक सहकारी समिति पंजीकृत की गई है । उपयोगकर्ता इसकी सदस्यता प्राप्त करने के भी अधिकारी होंगे । इस समिति ने विभिन्न उपयोगकर्त्ताओं, जिनमें खनिक तथा धातु व्यापार निगम सम्मिलित हैं, से उन्हें काम दिलाने के लिए सम्पर्क स्थापित किया है और इस सम्बन्ध में खनिक तथा धातु व्यापार निगम व समिति के बीच बातचीत चल रही हैं ।

Visit of Pak President's daughter to India

1774. SHRI HUKUM CHAND KACHWAI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state whether the daughter of the President of Pakistan who came to India along with the delegation of Pakistan which came here to take part in Summit Conference held in June/July, 1972 between India and Pakistan was the personal guest of Government of India or was simply a member of Pakistani delegation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : Miss Benazir Bhutto was a member of the Pakistani delegation.

विदेशों में भारत मूलक लोग

1775. **श्री सी. के. जाफर शरीफ** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशों में, विशेषकर, श्रीलंका में ऐसे भारत मूलक लोगों की संख्या कितनी है जो वहां की नागरिकता प्राप्त किये बिना वहां रह रहे हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या अन्य देशों में भी भारत मूलक लोगों को इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत मूलक लोग कई देशों में रहते हैं । ऐसे लोगों की कुल संख्या का और उन लोगों की संख्या का ब्यौरा जिन्हें स्थानीय नागरिकता नहीं मिली है, सदन की मेज पर रख दिया है ।

(ख) भारत सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीयों से बराबर यह कहती रही है कि वे उन देशों के निवासी लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप अपने आपको ढाल लें और स्थानीय नागरिकता प्राप्त कर लें । इस सुझाव की अलग-अलग प्रतिक्रिया हुई है । खासतौर से श्रीलंका के मामले में ऐसा है कि भारत—श्रीलंका करार 1964 में भारतीय मूल के बड़ी संख्या में राज्य विहीन लोगों की नागरिकता का दर्जा सुनिश्चित करने की व्यवस्था है ।

(ग) और (घ). भारत मूलक लोगों की कठिनाइयां एक से दूसरे देश में भिन्न हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है, राजनयिक सूत्रों के जरिये कोशिशें की जाती हैं कि वे विदेशी सरकारों से जोर देकर कहें कि इस समस्या को मानवीय ढंग से सुलझाने की आवश्यकता है।

विवरण

उन देशों में भारत मूलक लोगों की अनुमानित संख्या जहां कुछ समस्यायें हैं अथवा समस्यायें उठने की सम्भावना है।

	अनुमानित कुल संख्या	उन लोगों की अनुमानित संख्या जिन्हें स्थानीय नागरिकता नहीं मिली है
कीनिया	1,39,000	78,000
उगांडा	73,000	43,000
तन्ज़ानिया	1,02,000	67,000
मलावी	11,800	11,700
जम्बिया	12,000	11,700
मलयेशिया	9,50,000	2,00,000
श्रीलंका	12,00,000*	10,28,727**
बर्मा	2,68,000	2,61,000
सिंगापुर	1,30,000***	50,000
दक्षिण अफ्रीका	6,00,00	नगण्य@

* 1071 में श्रीलंका की जनगणना के अस्थायी आंकड़े।

** 30-6-72 तक प्राप्त ताजे आंकड़ों के अनुसार, 1,71,273 व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता दी गई हैं। भारत श्रीलंका करार 1964 के अंतर्गत 3,00,000 व्यक्तियों को 1979 तक श्रीलंका की नागरिकता दिए जाने की आशा है।

*** इनमें से 80,000 जिन व्यक्तियों ने सिंगापुर की राष्ट्रीयता प्राप्त कर ली है, उनमें सिंगापुर, मलयेशिया और यूनाइटेड किंगडम के नागरिक शामिल हैं।

@ यह सूचना अभी सुलभ नहीं है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची के कारीगरों द्वारा हड़ताल

1776. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के कारीगरों द्वारा की

गई हड़ताल के सम्बन्ध में 3 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 684 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मई में कारीगरों द्वारा की गई हड़ताल के परिणामस्वरूप हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को अनुमानत: कितनी हानि हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : अस्थायी तौर पर अनुमान लगाया गया है कि अप्रैल-जून 1972 की अवधि में भारी इंजीनियरी निगम को 4.97 करोड़ रुपये की वास्तविक हानि हुई है। यह हानि कई कारणों से हुई है जिनमें मई-जून, 1972 के दौरान शिल्पियों की हड़ताल भी शामिल है। शिल्पियों की हड़ताल के कारण हुई हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

Shifting of Headquarters of Khotri Copper Project to Calcutta

1777. SHRI ISHWAR CHAUDHRY & DR. H. P. SHARMA : Will the Minister of STEEL & MINES be pleased to state :

(a) whether shifting of Khetri Copper Project to Calcutta from Rajasthan was opposed in Rajasthan Vidhan Sabha ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL & MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) Yes, Sir.

The shifting of the Office of the Chairman from Khetri to Calcutta was opposed in Rajasthan vidhan Sabha.

(b) Apart from Khetri Copper Project and other small deposits in Rajasthan such as Dariba and Chandmari Copper Deposit, Hindustan Copper Ltd. have under them, the Rakha Copper Project in Bihar ; Agnigundala Copper Lead Project in Andhra Pradesh ; Malanjkhand Copper Deposit in District Balaghat in Madhya Pradesh. In March, 1972, the Company has also taken over the Management of Undertaking of Indian Copper Corporation, Ghatsila, Bihar. Considering the fact the work of the Hindustan Copper Limited will thus be spread over a wide area of the country and the related commercial and administrative aspects of the matters, the Board of Directors of the Company made a recommendation to the Government that the Head Quarters of the Company may be shifted to Delhi or alternatively to Calcutta. Government took the decision to shift the Headquarters of the Company to Calcutta as it is centrally located and is also a large commercial centre for selling the rolled products of brass, copper and for buying spare parts, mining machinery etc.

रूस और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से रुपयों में भुगतान के आधार पर कम्प्यूटरों की खरीद

1778. **श्री एस. ए. मुरुगनन्तम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से कम्प्यूटर रुपयों में भुगतान के आधार पर खरीदे जा सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा आई. बी. एम. से 'बिजनेस मशीनों' को किराये पर लिए जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारी इंजीनियरी निगम के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार रूस केवल 1972 से कंप्यूटर सप्लाई करने की स्थिति में था। जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य से कम्प्यूटरों की उपलब्धि के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) भारी इंजीनियरी निगम का कम्प्यूटर किराये पर लेने का निर्णय इन बातों पर आधारित था कि बिना किसी अधिक लागत के इनके बदले में आधुनिकतम मशीनें ली जा सकती हैं तथा अप्रचलित मशीनें बेचने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आई. बी. एम. बर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन उच्च स्तर की सिस्टम सपोर्ट तथा संधारण सेवाएं प्रदान करती है। भारी इन्जीनियरी निगम के पास 1965 से आई. बी. एम. की मशीनें हैं अतः किसी अन्य स्रोत से कंप्यूटर किराये पर लेने से वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं तथा कार्य के तरीकों का पुनः अभिमुखीकरण करना पड़ता।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
Papers Laid on the Table
राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा): मैं श्री आर. के. खाडिलकर की ओर से राष्ट्रीय श्रम आयोग, 1969, के प्रतिवेदन के हिन्दी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

उद्योग [विकास तथा विनियमन] अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए. बी जार्ज): मैं (उद्योग विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951, की धारा 18क की उपधारा 2 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं

(एक) हीरा मिल्स लिमिटेड, उज्जैन, के प्रबन्ध के बारे में सां० आ० 365 ड. जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 मई, 1972, में प्रकाशित हुआ था।

(दो) न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, भोपाल, के प्रबन्ध के बारे में सां०आ०366 ड जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 मई, 1972 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) माडल मिल्स नागपुर, लिमिटेड, नागपुर, के प्रबन्ध के बारे में सां. आ. 432 ड. जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 जून, 1972 में प्रकाशित हुआ था [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी** 3334/72]

केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वित्तीय लेखे

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश): मैं श्रीमती सुशीला रोहतगी की ओर से केंद्रीय सरकार के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वित्तीय लेखे की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल टी-3335/72]

कोयला खान [दूसरा संशोधन] विनियम

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) मैं खान अधिनियम, 1952 की धारा 56 की उपधारा 7 के अन्तर्गत कोयला खान दूसरा संशोधन विनियम 1972, (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या सं. सां. नि. 877 में प्रकाशित हुए थे; सभापटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखी गई ।देखिए संख्या एल टी-3336/72]

राज्य सभा से संदेश

Message from Rajya Sabha

सचिव: मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि लोक सभा द्वारा 3 अगस्त 1972 को पास किये गये उपदान संदाय विधेयक, 1972, से राज्य सभा 7 अगस्त, 1972 की अपनी बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है ।

याचिका समिति

Committee on Petition

छठा प्रतिवेदन

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा): श्रीमान् मैं यचिका समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

नागालैंड के मुख्य मंत्री की हत्या करने के प्रयास के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *Re.* ATTEMPT ON THE LIFE OF THE MINISTER OF NAGALAND

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): श्रीमान्, 8 अगस्त, 1972 को अपराहन लगभग 12.30 बजे जिस रक्षक दल कन्वाई के साथ नागालैंड के मुख्यमंत्री दीमापुर से कोहीमा की यात्रा कर रहे थे, उस पर कोहिमा से लगभग 5 मील दूर एक स्थान पर घात लगा कर आक्रमण किया गया । सौभाग्य से मुख्य मंत्री को कोई चोट नहीं आई । किन्तु दो पुलिस कांस्टेबलों तथा एक ड्राइवर की बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई । मुख्य मंत्री की लड़की को, जो उनके साथ यात्रा कर रही थी, चोटे आई । बताया जाता है कि वह अब अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रही है तथा खतरे से बाहर है । बदमाश घटना के बाद भाग निकलने में सफल हो गये ।

2. मुझे विश्वास है कि इस गम्भीर घटना पर दुःख तथा वेदना प्रकट करने में सदन मेरे साथ है। राज्य सरकार अवेध गतिविधियों को कुचलने तथा शान्ति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए भरसक तथा प्रभावी कदम उठाती रही है। दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। बदमाशों का पता लगाने के लिए राज्य तथा सैनिक अधिकारियों द्वारा उन्हें ढूंढने की एक जोरदार कार्यवाही आरम्भ की गई है। केन्द्रीय सरकार नागालैंड सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है तथा उसने राज्य सरकार को न केवल दोषी व्यक्तियों को पकड़ने में बल्कि नागालैंड में शान्ति तथा कानून के प्रशासन को दृढ़ता से बनाये रखने में भी आवश्यक सहायता देने का आश्वासन दिया है।

पंजाब नाई राजधानी (परिवृत्ति) नियंत्रण (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक

Punjab New Capital (Periphery) Control (Chandigarh Amendment) Bill

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री डी. पी. चट्टोपाध्याय को उस विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दे दी है, जो श्री उमा शंकर दीक्षित के नाम में है।

स्वास्थ और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. पी. चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में (यथाप्रवृत्ति) पंजाब नई राजधनी परिवृत्ति नियंत्रण अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है 'कि चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में (यथाप्रवृत्त) पंजाब नई राजधानी (परिवृत्ति) नियंत्रण अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले बिधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री डी. पी. चट्टोपाध्याय : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्दों में हुई अभूत पूर्व वृद्धि के बारे में प्रस्ताव

Motion Re unprecendented Rise Prices of Essential Commodities

अध्यक्ष महोदय : अब हम आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बारे में जो प्रस्ताव है उसे लेगें।

श्री एस. एम. बनर्जी (कानपुर) : इस प्रस्ताव के संदर्भ में मेरा यह निवेदन है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अभूनपूर्व वृद्धि हुई है। अतः केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की दूसरी किश्त मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय सदस्य से यह अनुरोध है कि वह प्रतिदिन ऐसे प्रस्ताव न लाएं।

श्री एस. एम. बनर्जी : चूंकि मूल्य में वृद्धि हुई है और सूचकांक 238 पहले ही हो चुका है। अतः केन्द्रीय सरकारी के कर्मचार अन्तरिम सहायता की दूसरी किश्त पाने के हकदार हैं। आप श्री के. आर. गणेश को निदेश दें कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह चाहें तो ऐसा कर सकते हैं।

इस प्रस्ताव पर विचार के लिए 5 घन्टे का समय नियत किया गया है। यदि माननीय सदस्य अधिक समय चाहते हैं तो आज के मध्याह्न भोजन काल में बैठ सकते हैं। इससे सभा की बैठक का समय आगे नहीं बढ़ाना पड़ेगा।

संसदीय कार्य तथा नौवाहन और परिवाहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : हम आज मध्याह्न भोजन काल में बैठ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आज मध्याह्न भोजन के समय मे भी बैठक की कार्यवाही चलती रहेगी। निर्धारित समय को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक इतना ही किया जा सकता है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि तथा कीमतों की बढ़ती हुई प्रबृत्ति को रोकने में सरकार की असमर्थता पर विचार करती है।"

सरकार बार बार यह घोषणा करती रही है कि मूल्यों पर नियंत्रण किया जायेगा किन्तु मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सरकार मूल्यों को नियंत्रित करने में असफल रही है। इससे जनसाधारण का जीवन दूभर हो गया है। दिन प्रतिदिन की आवश्यक्ताओं को पूरा करना भी उस के लिए असम्भव हो गया है। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि अनाज के मूल्यों में 11·9 अंक, खाद्य-पदार्थों के मूल्यों में 15 अंक, दाल के मूल्यों में 25·3 अंक और चीनी के मूल्यों में 28·4 अंक की वृद्धि हुई है। मूल्यों में हुई इस अभूत पूर्व वृद्धि का सीधा प्रभाव बेतन भोगी वर्ग पर पड़ा है, जिससे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय आदि के कर्मचारी और कारखानों में काय करने वालों निम्न-आय वर्ग वाले श्रमिक आदि तथा माध्यम आय वर्ग वाले छोटे व्यापारी आदि आ जाते हैं।

सरकार मूल्यों में वृद्धि के लिए मौसम को जिम्मेदार ठहरा रही है। किन्तु वस्तुस्थिति यह नहीं है। ऐसा कहकर सरकार अपनी गलतियों पर स्वयं पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से पता चलता है कि सरकार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति की दर तथा कृषि उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रही है। सरकार उपलब्ध संसाधनों का और औद्योगिक क्षेत्र में अधिष्ठापित क्षमता पूर्ण उपयोग नहीं कर पायी हैं यह भी कहा जा रहा है कि मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति न केवल हमारे देश में हो है बालेक पम्पूर्ण विश्व में है। ऐसे तर्क देने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि इस सब के लिए स्वयं सरकार जिम्मेदार है।

सरकार की गलत नीति के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। अत्यावाश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का एक कारण घाटे की अर्थ व्यवस्था भी है। सरकार चोर

बाजार करने वालों को दण्ड देने में असफल रही है। इस स्थिति का एक कारण औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन का कम होना तथा विकास प्रणाली का असंतोषजनक होना है।

सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए उचित परिस्थितियां उपान्न करने में भी असफल रही है। सरकार मूल्यों को स्थिर करने में असफल रही है। सरकार ने राजनीतिक लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए घटिया तरीके अपनाये है। रूपये का मूल्य गिर कर लगभग आधा रह गया है। इस प्रकार लोगों की आय भी आधी रह गई है। अत्यावश्यक वस्तुओं के मुल्य बढ़ाने के साथ अनेक अन्य वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ जाते है। स्कूल की फीस में वृद्धि हो जाती है। बसों आदि के किराये भी बढ़ जाते हैं। अतः आजकल परिबारिक बजट बनाना कठिन हो जाता है। अतः मूल्यों को कम करने तथा स्थिर करने के लिए सरकार को कठोर उपाय करने चाहिए।

सरकार ने मूल्यों में वृद्धि को सामयिक बताया है। यह ठीक नहीं है। वास्तव में बात यह है कि चौथी पंच वर्षीय योजना अपने उद्देश्य में असफल रही है। स्थिति चिन्ताजनक है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब स्थापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हारबर) : मैं स्थापन्न प्रस्ताव संख्या एक प्रस्तुत करता हूं।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या को प्रस्तुत करता हूं।

श्री आर. डी. भंडारे (बम्बई-मध्य) : मेरे विचार में औद्योगिक तथा कृषि दोनों क्षेत्रों में उत्पादन में अत्यधिक कमी हुई है। सरकारी क्षेत्र में हम संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहे हैं। सभी सरकारी उद्योगों में उत्पादन उन की क्षमता से कम हो रहा है। संयुक्त क्षेत्र भी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहा है।

यद्यपि हम एकाधिकार के विरुद्ध बोलते जा रहे है तथापि हम एकाधिकार को कमजोर नहीं कर सके है। परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के बजाये कम हो गया है।

जहां तक हरित क्रान्ति का प्रश्न है इससे बड़े किसानों तथा भू-स्वामियों को ही लाभ पहुंचा है। प्रश्न यह है कि जनसाधारण की आवश्यकतायें क्या है। कृषि मंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि चावल और गेहूं आदि का उत्पादन कम हुआ है। ज्वार और बाजरे का उत्पादन काफी कम हुआ है। यही कारण है कि खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि हुई है। ज्वार के मूल्यों में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दालों के मूल्यों में 26.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चीनी के मूल्य में 29.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हम जनसाधारण के हितों के अनुसार योजना बनाने तथा इनको क्रियान्वित करने में असफल रहे हैं। 1949 में जीवन निर्वाह सूचकांक 101 था जो 1972 में बढ़कर 236 हो गया है।

मैं जानना चाहता हूं कि इस का क्या कारण है कि हम जैसे जैसे योजनां बनाते है और उनको क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं तैसे तैसे जीवन निर्वाह सूचकांक बढ़ता जाता है। औसतन

मजदूर की दैनिक आय आन्ध्र प्रदेश में न्यूनतम 1.50 रूपये और महाराष्ट्र में यह केवल 62 पैसे है।

भारत में कृषि मजदूरों की संख्या लगभग 12,60,12,000 है। यह कुल जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत है। इस प्रकार इनकी दैनिक आय मध्य क्षेत्र में 84 पैसे है। उत्तरी क्षेत्र में यह कुछ अधिक है। परन्तु देखना यह है कि रुपये का वास्तविक मूल्य कितना है ? रुपये का वास्तविक मूल्य बहुत कम रह गया है। 1962 के बाद में कृषि मजदूरों के रहने की स्थितियों के अध्ययन के लिए कोई आयोग स्थापित नहीं किया गया है। 1972 में रुपये का वास्तविक मूल्य गिर कर केवल 42 पैसे रह गया है। इन आंकड़ों को स्वयं वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है।

सरकार की ओर से अब यह कहा गया है कि उसने मूल्य कम करने के लिये उचित मूल्य की दुकाने खोल दी हैं। परन्तु मेरे विचार में प्रति वर्ष इनकी संख्या कम होती जा रही है। दूसरे इनकी संख्या देश में गांव की जनसंख्या से भी बहुत कम है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि गरीबों की सहायता किस प्रकार की जा रही।

योजना को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए जिससे कि मजदूरों तथा जनसाधारण के हितों की रक्षा हो सके। अतः हमें दीर्घावधि तथा अल्पावधि उपाय करने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जनसाधारण का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं बढ़ते हुए मूल्यों के प्रति चिन्ता व्यक्त करता हुं।

श्री **एस०एम० बनर्जी** (कानपुर) : सरकार मूल्यों को बढ़ने से रोकने में पूरी तरह असफल रही है। यह बड़े दुख की बात है कि इस समय जब हम देश में स्वतंत्रता की रजत जयन्ती मनाने जा रहे हैं लाखों लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार को इस बात को खुले आम स्वीकार करनी चाहिए और उसे सभी राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए तथा उनसे सुझाव मांगने चाहिए। स्वयं वित्त मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि मूल्य बढ़ रहे हैं और जीवन निर्वाह सूचकांक 239 तक पहुंच गया है। कांग्रेस सदस्यों ने भी मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए कठोर कार्यवाही करने का सुझाव दिया है। देश में 5 लाख से अधिक गांव है परन्तु उनमें उचित मूल्य की केवल 1,30,000 दुकाने ही है। कई बार यह सुझाव दिया गया है कि खाद्यान्नों के व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये। परन्तु माननीय मन्त्री ने कहा है कि हम सिद्धान्त रूप में यह मानते है कि खाद्यान्नों के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है।

इस सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने भी अपने अपनी विधान सभाओं में इसी प्रकार के आश्वासन दिये थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक विधेयक का प्रस्ताव भेजा था। परन्तु सरकार ने इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं चाहता हूं कि सरकार आश्वासन देने के अतिरिक्त

कुछ अधिक कार्य करे। मैं चाहता हूं कि इस महत्व पूर्ण विषय पर चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्रि यहां पर उपस्थित रहे।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के आर. गणेश) . राज्य सभा में भी इस बिषय पर चर्चा हुई थी। प्रधान मन्त्री ने विधी दलों के नेताओं के साथ एक भेंट में इस विषय पर चर्चा की थी। हमने इस बारे में कुछ कार्यवाही की है। वित्त मंत्री यहां पर उपस्थित है और वह वाद-बिबाद को सुन रहे हैं।

श्री एस. एम. बनर्जी : मैं चाहता था कि हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के दौरान स्वयं प्रधान मंत्री कुछ समय के लिए सभा में उपस्थित रहती। जब विरोधी दलों के सदस्य प्रधान मंत्री से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि घबराने की कोई बात नहीं है। प्रश्न केवल अत्यावश्यक वस्तुओं के उचित मूल्य पर न मिलने का है। दालों, घी आदि सभी अत्यावश्यक वस्तुएं के मूल्य बढ़ गए है।

यह ठीक है कि कुछ गोदामों की तलाशी ली गई है और उनसे कुछ सामान भी बरामद हुआ है? परन्तु प्रश्न यह है कि क्या उनको दंड दिया गया है जिनसे यह सामान बरामद हुआ है? जमाखोरों का तंत्र सरकारी तंत्र से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ है। हमने अपने दल की ओर से इस बारे में कुछ सुझाब दिये थे। हमने इस सदन में तथा इससे बाहर खाद्यान्नों के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण की कई बार मांग की है।

मूल्यों में वर्तमान वृद्धि का मुख्य कारण एकाधिकार को कुचलने के लिए सरकार का इन्कार है। सरकार ने इनको कुचलने से इन्कार कर दिया है।

एक मोटे अनुमान के अनुसार देश में इस समय लगभग 4,000 करोड़ रुपये का काला धन है। अतः सरकार द्वारा इस काले धन को समाप्त करने के लिए मुद्रा का विमुद्रीकरण करने के क्या कारण है। 100 रुपये और इससे उपर सभी नोटों का विमुद्रीकरण किया जाना चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है कि गुड़ में बायदा बाजार बन्द कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि ऐसी सभी वस्तुओं तथा सस्ते कपड़े का वितरण भी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जाना चाहिये। उचित मूल्य की दुकानों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए।

सूखाग्रस्थ क्षेत्रों के किसानों को करों तथा ऋणों की वसूली स्थगित की जानी चाहिए। गरीबों तथा कृषि मजदूरों को रोजगार देने के लिए उत्पादन-प्रधान कार्य आरम्भ किये जाने चाहिए। सूखे को सदा के लिए समाप्त करने हेतु दीर्घावधि कृषि परीयोजनाएं बनाई जानी चाहिए।

रिजर्व बैंक को परियोजना प्रधान तथा गैर-सटे वाली ऋण नीति अपनानी चाहिए। कालाबाजार करने बालों तथा जमाखोरों को ऐसा दण्ड दिया जाना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को भी सबक हासिल हो। यदि इन बातों को नहीं रोका गया तो देश के युवक देश में क्रान्ति ले आयेंगे और यह सभी के लिए एक बुरा दिन होगा और लोग दुकाने लूटने पर बाध्य हो जायेंगे।

मेरी मांग है कि मध्यम आय वर्ग के लोगों की मांग पर भी विचार किया जाये क्योंकि मूल्यों के बढ़ने का अधिक प्रभाव इन्हीं लोगों पर तथा नियत वेतन लेने बालों पर अधिक पड़ता है।

सरकारी कर्मचारियों को अन्तरीम सहायता दी जानी चाहिए । रुपये की क्रय शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है ।

यदि योजना मंत्री समझते है कि स्थिति को सुधारने के लिये योजना में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो उनको ऐसा करना चाहिए । मैं जानना चाहता हू कि मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए उनकी क्या योजनाएं है ? उनको इस बारे में सदन में एक वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री बी. आर. भगत (शाहबाद) : गत तीन वर्षों में कीमतों में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, उससे इस सदन और देश का चिन्तित होना स्वाभाविक ही है । यदि हम दस्तुवार जीवन निर्वाह सूचकांक की ओर देखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि कीमतों में सभी ओर से वृद्धि हुई है । समग्र वृद्धि 13.6 प्रतिशत है । यह एक अभूतपूर्व बात है ।

यह कहा जाता है कि मुद्रा-स्फीति एक विश्व व्यापी प्रवृत्ति है । यह ठीक है । विश्व में मुद्रा और धन की स्थिति में संकट उत्पन्न हो गया है । किन्तु अन्य देशों में कीमतों में केवल 3 या 4 अथवा 6 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है, जबकि हमारे देश में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यह अभूतपूर्व बात है । यही कारण है कि हमें सभी ओर से हानि हो रही है । जब डालर में उतार-चढ़ाव हुआ था, तो हमें करोड़ों रुपए की हानि हुई थी और अब पौंड में उतार-चढ़ाव आया है, तो हम पुनः हानि उठा रहे हैं । लेकिन इसके बावजूद भी रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय चुपचाप बैठा है ।

जहां तक आन्तरिक कार्य-व्यवस्था का संबंध है, यह कहा जाता है कि मानसून में विलम्ब के कारण समूची अर्थ-व्यवस्था चरमरा गई है । इस बात पर हमें ध्यान देना चहिए । स्वाधीनता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद और चार पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी, जिसमें सिचाई परियोजनायें और अन्य कार्यक्रम भी शामिल थे, क्या हमारी अर्थ व्यवस्था इतनी नाजुक और दोषपूर्ण थी कि कुछ सप्ताह मानसून में विलम्ब हो जाने पर ही यह संकट खड़ा हो गया है ? यद्यपि इस कारण पर जोर दिया गया है, लेकिन इसके अन्य कारण भी हैं ।

एक ऐसा कारण वित्तीय और धन संबंधी नीति भी है । वित्त मंत्री द्वारा यह दावा करने के बावजूद भी वह घाटे की अर्थ-व्यवस्था और कागजी मुद्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है । 1969-70 की घाटे की कार्य-व्यवस्था 58 करोड़ रुपए थी । 1970-71 में यह बढ़कर 365 करोड़ रुपए हो गई थी और 1970-71 में घाटे की अर्थ व्यवस्था 380 करोड़ रुपए हो गई । चालू वर्ष के लिए ठोस आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु मेरा अनुमान यह है कि यह 900 करोड़ रुपए तक हो सकती है । इस घाटे की अर्थ-व्यवस्था के अतिरिक्त राज्यों के ओवर ड्राफ्टों की राशि 498 करोड़ रुपए हो गई है । इन सबसे स्थिति पर कुप्रभाव पड़ना निश्चित है ।

सरकार ने यह सही निर्णय किया है कि सभी बिक्री उचित दर की दुकानों से की जाए । न केवल खाद्य सामग्री, बल्कि जन उपयोग की अन्य वस्तुओं उदाहरणार्थ कपड़ा, तेल और चीनी आदि की बिक्री के लिए भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली होनी चाहिए । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत इन सभी मदों को लाने से हम कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा कर सकेंगे ।

किन्तु इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अल्पकालीन उपाय के रूप में नहीं अपनाया जाना चाहिए। यह एक स्थायी व्यवस्था के रूप में लागू की जानी चाहिए ताकि जन उपयोग की वस्तुएं सार्वजनिक वितरण एजेंसी के माध्यम से सारे देश में उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें।

यदि हम अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, आत्म निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने और विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रयत्न करते हैं तो यह आवश्यक है कि योजना की प्राथमिकताओं में परिवर्तन किया जाये। सार्वजनिक न्याय और विकास को प्राप्त किया जाये। सार्वजनिक वितरण एजेंसी से और योजना की प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने से हम इस स्थिति से निपटने में समर्थ हो सकेंगे।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : इस विषय पर चर्चा सुनने के लिए यहां वित्त मंत्री, प्रधान मंत्री और योजना मंत्री को उपस्थित होना चाहिए था।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

हम प्रत्येक सत्र में और प्रति वर्ष कीमतों की वृद्धि के बारे में चर्चा करते हैं। यह एक ऐसी गम्भीर बीमारी है जो हमारे आर्थिक ढांचे और देश के समाज के आर्थिक कल्याण को विनाश की ओर अग्रसर कर रही है। सरकार भी बढ़ती हुई कीमतों की प्रवृत्ति से अनभिज्ञ रहीं है।

सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के लिए यह कहा जा सकता है कि वे अपने वक्तव्य और दृष्टिकोण में भी काफी स्पष्ट रहे हैं। वर्ष 1952 में ही कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में खुले तौर पर कहा था कि कीमतों को बढ़ने से रोकना अत्यधिक महत्व की बात है। फरवरी, 1971 में मध्यावधि चुनाव के घोषणा-पत्र में कांग्रेस दल ने बड़े साहस से कहा था कि वे कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए जनता को अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट जनमत प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें इस बात की ओर अधिक जागरूकता तब होती है, जब चुनाव आते हैं और उन्हें जनता के समक्ष जाना होता है। सरकार ने यह तर्क दिया है कि मानसूस के आने में विलम्ब हुआ है और इस कारण उत्पादन कम हुआ है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में मौसम संबंधी स्थिति के इन उतार चढ़ावों को ध्यान में रखना चाहिए। गत पांच बर्षों से हमारे यहां अच्छी फसल हुई है और मानसून आने में थोड़ी देर का विलम्ब होने से हमारे देश के समूचे कार्यक्रम को आर्थिक ढांचे को अस्त-व्यस्त नहीं होना चाहिए।

कीमतों में जो वृद्धि हुई है, वह केन्द्रीय सरकार की कार्यवाही के कारण हुई है। राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की कृपा पर आश्रित हैं। जब कभी कीमतें बढ़ती हैं, तो वह सरकार की त्रुटिपूर्ण योजना, योजना के अपूर्ण लक्ष्यों, अपव्यय, अनियन्त्रित मुद्रा-स्फीति, अप्रत्यक्ष करों के बढ़ते हुए बोझ, काले बाजार की समानान्तर अर्थ-व्यवस्था और दोषपूर्ण वितरण प्रणाली आदि के कारण बढ़ती हैं।

एक और तर्क दिया गया है कि मुद्रा-स्फीति हुई है और मुद्रा स्फीति का प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है, क्योंकि बंगला देश के शरणार्थियों और अन्य बातों के कारण मुद्रास्फीति जनक व्यय बढ़ गया है। सरकार ने पूरी तरह विश्लेषण करने के पश्चात् सितम्बर, 1971 में स्वयं यह कहा था कि उसने देश में मुद्रास्फिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण पा लिया है।

जब कीमतें बढ़ती है, तो इसका कुप्रभाव अधिकांशतः कम आय तथा निर्धारित आय वाले वर्गों पर पड़ता है। प्रधान मंत्री ने एक प्रेस सम्मेलन में बताया है कि अधिक वेतन तथा कम कीमतों वाली बात सम्भव नहीं हो सकती। सच तो यह है कि कीमतों में वृद्धि होने के कारण ही लोग अधिक वेतन की मांग करते हैं।

राष्ट्रीय श्रम आयोग ने 1969 में पेश किए गए अपने प्रतिवेदन में कहा था कि 200 रुपये से कम वेतन पाने वाले कारखाने के श्रमिक की वास्तविक आय 1951 से 1964 के बीच केवल 4.6 प्रतिशत ही बढ़ी है। वास्तविक आय कम होती जा रही है। उपभोग स्तर गिर रहा है। सरकार यह तर्क नहीं दे सकती कि वेतन कम होने चाहिए।

एक ठोस तर्क यह है कि उत्पादन कम हो रहा है और इसीलिए लागत बढ़ गई है। किन्तु भारतीय अर्थ-व्यवस्था में, जब उत्पादन में वृद्धि भी होती है, तो भी कीमतें कम नहीं होतीं, अपितु बढ़ती ही हैं। 1970 में बहुत अच्छी फसल हुई थी। उस समय पहली बार 1000 लाख टन से भी अधिक खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। नवम्बर 1969 में खाद्य वस्तुओं का सूचकांक 192 था, किन्तु नवम्बर, 1970 अर्थात एक वर्ष की अवधि में जबकि बहुत अच्छी फसल हुई थी और उत्पादन 1000 लाख टन को पार करके 2110 लाख टन हो गया था, इस सूचकांक में 19 अंकों की वृद्धि रिकार्ड की गई। अतः यह तर्क कि कम उत्पादन के कारण कीमतें बढ़ी हैं, निराधार है।

अभी अभी यह बताया गया था कि कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य सरकारों के पास पर्याप्त अधिकार हैं। किन्तु परोक्ष कराधान के कारण कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। कपड़ा, चीनी, सीमेंट आदि जैसी उपभोक्ता वस्तुओं पर सदैव भारी मात्रा में परोक्ष कर लगाए गए हैं। जब हम प्रत्यक्ष कराधान की बात करते हैं तो देखते हैं कि केवल आयकर के रूप में ही 500 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। किन्तु परोक्ष कराधान के मामले में ऐसी कोई राशि बकाया रह ही नहीं सकती।

वितरण के प्रणाली के बारे में अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है। सरकार केवल बचन देती रही है कि अधिकाधिक संख्या में उपभोक्ता सहकारी समितियां खोली जायेंगी।

सुपर बाजारों में लगभग सभी वस्तुओं की कीमतें बाहर के बाजारों की तुलना में अधिक हैं। लोक लेखा समिति ने सेमूचे प्रश्न का अध्ययन किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अन्य बाजारों का नेतृत्व करने की बजाय सुपर बाजारों का नेतृत्व अन्य बाजार कर रहे हैं। इन बाजारों में 42 लाख रुपए की पूंजी लगाई गई है, भारी कीमतें लेने के बावजूद सुपर बाजार को 66 लाख रुपए का घाटा हुआ है।

प्रधान मंत्री जी ने कम चीनी का उपयोग करने की सलाह दी है। मुझे आशा है कि वह इस प्रकार की सलाह गेहूं तथा अन्य वस्तुओं के बारे में नहीं देगी। वास्तव में प्रति व्यक्ति उपभोक्ता

स्तर पर गिर रहा है। 3500 करोड़ रुपए अथवा 5000 करोड़ रुपए अथवा 8000 करोड़ रुपये का काला धन रखने वाले व्यक्तियों के साथ सरकार कठोर कार्यवाही करेगी। कीमतों में हो रही वृद्धि के लिए मैं केन्द्रीय सरकार को ही दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि उनकी वित्तीय नीति के कारण देश को आज इतनी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY (Gorakhpur) : The main factor for rising prices is not only the policies of the Government, but there are certain other factors such as over investment, overdrafts, deficit financing and forward trading etc. In the present economy, the prices would continue to rise in spite of investment. According to Wanchoo Committee Report, 7,000 crores of black money is in circulation.

When there is green revolution in the country, the prices of foodgrains must go down. The prices cannot rise due to bad weather when the Government has buffer stock of foodgrains to the tune of 95 lakhs of tons in their godowns. The Government should take effective steps to check price rise.

Increase in production would have no meaning if there is no proper distribution system in the country. Before decontrol of sugar, it was said that there was 14 lakhs of tons of sugar in buffer stock and current years production of sugar was stated to be 35 lakhs tons. Forty lakh tons of sugar was estimated to be our consumption. It was also stated that foreign exchange to the tune of five crores of rupees would be earned by export of sugar. But the Sugar Mills Owners Association issued a statement that if two lakh tons of sugar is not imported the prices of sugar could not be controlled. They have also asked for exemption in exciee duty so that production of sugar could increase. There is no link between production and ditribution. We have not so far fixed any price any policy. The economic policy of 40 to 50 per cent of our population is very weak. The consumer index is daily on increase. The production target of sugar was declined from 40 lac tons to 35 lac tons. Next year it may not be possible to achieve the production target of 30 lac ton of suger in case no incentive is given to the cane-growers. The sugar is selling at Rs. 4.00 per K. G. which may rise up to Rs. 5.00 per k.g. We can attain sel-sufficiency in sugar only if the sugar mills are nationalised.

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमन् मूल्यों का संकट हमारे सामान्य आर्थिक संकट का एक भाग है। सरकार वस्तुओं का निर्यात करके अपनी खपत में कमी कर रही है जिसके फलस्वरूप कीमतें बढ़ रही हैं।

चने की दाल के मूल्य 1.12 रुपये से 1.80 रुपये, दाल मूंग साबुत के मूल्य 2.10 रुपये से 3.20 रुपये, उड़द की दाल के मूल्य 2.50 रुपये से 4.10 रुपये बढ़ गये हैं। बासमती चावल 4 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। जब चीनी के मूल्य बढ़े तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि चीनी खाना छोड़ दो। इसी प्रकार कोयले के मूल्य भी 2.50 प्रतिशत बढ़ गए हैं।

प्रधानमंत्री ने विकासशील अर्थ-व्यवस्था की बात की चर्चा करते हुए मूल्य वृद्धि की बात कही है। उन्हें स्वयं यह पता नहीं है कि वे क्या कह रही हैं। क्या यह सच नहीं है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय विश्व भर में सबसे कम है। इस देश में मूल्य बढ़ने का अर्थ यह होता है कि सर्वसाधारण की सारी आय, व्यय से जाती है और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है।

हर योजना के बारे में सरकार बहुत शोर मचाती है। महंगाई बढ़ने पर ये चुप रहते हैं और जब थोक मूल्य थोड़े गिर जाते हैं तो ये ढोल बजाना शुरू कर देते हैं।

1960-61 और 1970-71 के बीच मुद्रा में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि इस बीच राष्ट्रीय आय में केवल 4-1/2 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। इस बीच थोक मूल्यों में भी 81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अप्रत्यक्ष कर प्रति वर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं। 1952 से अप्रत्यक्ष कर हर वर्ष धीरे-धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं।

चीनी का निर्यात 94 पैसे प्रति किलो की दर से किया गया है जबकि यहां लोगों को, जिनकी प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, 4 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदनी पड़ती है।

रुपये के अवमूल्यन के बारे में यह कहा जाना जरूरी है कि आज भारतीय रुपये का मूल्य 10 पैसे से अधिक नहीं रह गया है। पिछले 25 वर्षों के दौरान आपने यही कुछ किया है।

आज देश भर में 7,500 करोड़ रुपए का काला धन है। वांचु समिति ने 12 नवम्बर, 1970 अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश की थी। मेरे पास मूल रिपोर्ट की प्रतिलिपि है जिसे मैं सभा-पटल पर रखना चाहता हूं जिसके लिये मैंने लिखित सूचना दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे केवल मेरी अनुमति द्वारा ही सभा-पटल पर रखा जा सकेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु: इस अन्तरिम रिपोर्ट मे विमुद्रीकरण, नकद राशि की सीमाबन्दी तथा अंचल सम्पत्ति के अधिग्रहण आदि-आदि की सिफारिश की गयी थी। नवम्बर, 1970 से श्रीमती गांधी ने दो चुनाव लड़े लेकिन इस रिपोर्ट की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आपकी अनुमति से मैं इस अन्तरिम रिपोर्ट की प्रति सभा-पटल पर रख रहा हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-** 3411/72]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे निरीक्षण के लिए मुझे दे दें। इसे सभा-पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आपको नियम 369 के अधीन सूचना दी है। माननीय सदस्य इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसे सभा-पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जरा ठहरिए, मैं आपकी बात मानूंगा।

रिपोर्ट को पढ़ना और सभा-पटल पर रखना दो भिन्न बातें हैं। अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 118 के अनुसार इन्होंने कुछ समय पहले यह रिपोर्ट मुझे नहीं दी और मुझे पढ़ने का अवसर नहीं मिला। अतः में आपको अनुमति नहीं दे सकता। आप इसे निरीक्षण के लिए मुझे दे दें जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष के निदेश नियम 369 से आगे नहीं बढ़ सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम 389 भी पढ़ें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है ।

श्री **ज्योतिर्मय बसु** : मैंने इसे सभा-पटल पर रख दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 389 में स्पष्ट उल्लेख है कि सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र अध्यक्ष के निदेशानुसार ही रखे जा सकते हैं ।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमति सुशीला रोहतगी) : समिति की अन्तरिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है । जहां तक वांचू रिपोर्ट का प्रश्न है यह पहले ही सरकार के विचाराधीन है और सरकार को आशा है कि वर्ष के अंत तक इसके बारे में विस्तृत विधेयक प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

श्री **ज्योतिर्मय बसु** : आपने अन्तिम रिपोर्ट को तो शीघ्र प्रकाशित कर दिया परन्तु अंतरिम रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया है । क्या अन्तरिम रिपोर्ट इसलिए प्रकाशित नहीं की गई कि उस में दी गई कुछ बातें आपके प्रतिकूल थीं ।

श्रीमती **सुशील रोहतगी** : अंतरिम रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया है ।

श्री **ज्योतिर्मय बसु** : सरकार ने वित्त मंत्रालय के तीन अधिकारियों को वांचू समिति के पास इसलिए भेजा ताकि अन्तरिम रिपोर्ट को अन्तिम रिपोर्ट में सम्मिलित न किया जाए । यह सरकार काला बाजार करने वालों, जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध समिति द्वारा लगाए गए आरोपों को छिपाना चाहती है । इसलिए मैं सरकार की स्पष्ट शब्दों में निन्दा करता हूं ।

श्री अमृत महाटा (बाड़मेर) : देश में बढ़ते हुए मूल्यों से उत्पन्न समस्याएं चिन्ता का विषय बन गई हैं ।

कहा गया है कि कुछ बड़े व्यवसाइयों ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें सरकार से उन नीतियों को बदलने को कहा गया है जिनके लिए सरकार बचनबद्ध है । यह लोग बड़े एकाधिकार गृहों पर लगे प्रतिबन्ध हटाना चाहते हैं ।

परन्तु यदि सरकार की आधारभूत नीतियों में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन में और भी कमी आएगी । साबुन, टूथ पेस्ट और कपड़े की बहुत अधिक किस्में चली हुई हैं । दिल्ली का कपड़ा बंबई में और बंबई का कपड़ा दिल्ली में बिकता है । जिससे कीमते बढ़ती हैं उत्पादनों में कमी आने पर भी उनके लाभ बढ़े हैं ।

बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए उपभोग्य वस्तुओं का मानकीकरण किया जाना चाहिए तथा उनका उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए । अनावश्वक वस्तुओं के उत्पादन को भी कम किया जाना चाहिए और मुद्रास्फीति पर रोक लगाई जानी चाहिए ।

बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए एक तो विमुद्रीकरण किया जाना चाहिए और दूसरे एक हजार चोर बाजार करने वालों को कम से कम जेल में तो डाला ही जाना चाहिए ।

श्री पीलू मोदी : सरकार दस व्यक्तियों को ही जेल में डाल दे ।

श्री अमृत नहटा : श्री चव्हाण नें स्वीकार किया है कि क्षेत्र में होने वाले अपराध अत्यन्त निन्दनीय है उन्हें दबाने के लिऐ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए ।

टैरिफ आयोग को जब कोई निर्माता मूल्यों में 5 प्रतिशत बृद्धि के लिये कहता हैं तो उक्त आयोग 10 प्रतिशत वृद्धि का औचित्य सिद्ध कर देती है। अवश्य ही इस आयोग का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इसमें ऐसे व्यक्ति लिये जाने चाहिए जिनमें आम लोगों के लिये सहानुभूति हो।

मुझे विश्वास है कि इन उपायों द्वारा इस संकट पर काबू पाया जा सकेगा ।

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI (Shejpur) : We have been saying that prices would fall after the current Five year Plan. Nehruji declared in 1946 that blackmarketeer would be hanged by the nearest tree. Is there any blackmarketeer or sumgglar who has ever been hanged by the nearest tree ?

श्री के० आर० गणेश : मैं उन्हें बंदी नहीं बना सकता वे उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्ययालय पहुंचते हैं ।

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI : The problom of prices depend upon demand and supply. Have we the capacity to manufacture or procure the articles of need ? The prices of commodities in control of the Government also rise. The two kind of remedies to check the prices, both of temporary and permanent nature ought to be implemented.

A committee to find out how the rise in total net income has been distributed was constituted and it submitted its report. Has it been implemented ?

Our railways are running in loss since 1966, in spite of fact that 84 persons have to travel in a compartment with capacity of 42 persons. We ought to examine how deficit financing can be checked avoiding any rise in fares and freights.

The debt on country was Rs. 32 crores prio to planning whereas it has now risen to Rs. Ten thousand crores National savings are on the decline wheras taxation, deficit financing are on the increase. We have always been saying that we would check all of them but these things go on increasing. The price of rupee has fallen but the incomes have not risen. Even today 70 per cent of our people depend on agriculture.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करें

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI : Please give me some time. We have been praying for timely rains. We should have given priority to irrigation schemes.

My friends here were advocating that everything should come under the contral of the Government. The Super Bazar is under central government and is known not only for its super profits but for its super losses.

Steel is a basic industry under government control, can the government say that they have tried to reduce steel economically ? There is ever widening trade gap and loss, does the Government prepare to meet it ? Japan is able to compete with us in international markets even after purchasing raw material from us.

We talk too much about welfare of the farmers. Farmers deseive to get Rs. 18 to Rs. 20/- per quintal for their sugar cane whereas we pay them @ Rs. 7.37 per quintal. How can farmers go on under these losses.

There are one lakh villages in our country where drinking water is not available. So long as, you do not prepare your plans for village oriented, this country cannot make progress. The rate of growth of cereals is higher than the rate of growth of our population. In these circumstances the blame is put on the administrative mechinery. You are the party in Power. If you are not in position to administer all these things, then better go and give chance to some other party.

The Government ought to adopt a realistic approach towards this problem. The government has to built such machinery where all essential commodities are made available through fair price shops at lowest cost to the consumers The government ought to take steps to prevent the possibility of starvation.

श्री के० आर० गणेश : बढ़ते हुए मूल्यों के बारे में चिन्ता उस ओर के सदस्यों ने व्यक्त की है हम भी उसे अनुभव करते हैं। हमने मूल्यों को स्थिर बनाये रखने का वचन लिया है। कीमतों की वृद्धि से निस्संदेह आप लोग परेशान हैं और हम उस समस्या को समझते हैं।

जो आंकड़े माननीय सदस्यो ने यहां प्रस्तुत किये है वे सरकारी रिपोर्टों से ही दिये गये हैं। मूल्यों में पिछले 2-3 महीने से वृद्धि हुई है।

ऐसे वाद विवाद किन्हीं उद्देश्यों से लाये जाते हैं।

श्रीमती गयत्री देवी (जयपुर): मैं नहीं समझ सकती कि इस बाद-विवाद में सोहरयता का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता है प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्री मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में आश्वासन देते आए हैं। मूल्यों के बढ़ने पर ही इस वाद-विवाद की मांग की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह विपक्ष का कार्य है कि संसद के सामने मामले लाएं और यह सरकार का कर्त्तव्य है कि उनका उत्तर दे। प्रजातंत्र के तथा संसदीय प्रणाली के प्रचलन का यही ढंग है।

श्री के० आर० गणेश : सरकार ने स्वीकार किया है कि यह समस्या अत्यन्त गम्भीर है।

आर्थिक मामले अत्यन्त महत्व पूर्ण हैं। आर्थिक परिस्थितिओं के लिए बहुत से कारण उत्तर दायी होते हैं। बंगला देश के संकट, सूखे और बाढ़ के कारण हमें घाटे की अर्थ-व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ा है।

माननीय श्री ज्योतिर्मय बसु ने प्रधान मंत्री के इस व्यक्तव्य का उहपास उड़ाया है कि "यदि चीनी की कमी हुई है तो उसकी खपत घटाई जाये।"

वास्तव में देश में चीनी की स्थिति ऐसी है कि या तो इसकी खपत घटाई जाये अथवा उसके लिये मूल्यवान विदेशी मुद्रा व्यय की जाये। प्रधान मंत्री का यह अभिप्राय नहीं है कि चीनी का उत्पादन न बढ़ाया जाये अथवा गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन न दिया जाये। समाजवादी देशों में जब भी मूल कच्चे माल की कमी होती है हे तो यह मामला सत्तारुढ़ दल की जिम्मेदारी बन जाता है।

इस देश की अर्थव्यवस्था ने बंगला देश का संकट, 500 अथवा 650 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था 100 लाख शरणार्थियों का भार वहन किया है तो कैसे कहा जा सकता है कि यह तीन महीनों में धाराशायी हो गई है ? निश्चय ही हमारे समक्ष इस समय तात्कालिक समस्याएं उपास्थित हुई हैं। सरकार ने इनको सुलझाने के लिए सार्वजानिक विवरण व्यवस्था लागू की है तथा 6 से 7 लाख मीट्रिक टन खाद्यान वितरण हेतु देश में दिया गया है

हमने जो निर्णय किये हैं, वे इन तात्कालिक समस्याओं के निराकरण सहायक सिद्ध होंगे। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश की भयंकर निर्धनता में एकमात्र उपाय सक्षम सार्वजानिक विवरण व्यवस्था है ** इस समय लगभग 1 लाख उचित मूल्य की ऐसी दुकानें हमने खोली हैं जिनकी संख्या अब बढ़ाकर 10 लाख कर दी जायेगी जिससे आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित रूप से किया जा सके।

उचित दर की दुकानों, सुपर बाजार तथा सार्वजानिक वितरण व्वस्था की सदस्यों ने आलोचना की है। मुझें इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। यह भी कहा गया हैं कि सरकारी उपक्रमों के पास अप्रयुक्त क्षमता है तथा संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमें ऐसी नितियां अपनानी हैं जिससे इस प्रकार की बातें न हों। समुचित वसूली तथा वितरण व्यवस्था के बिना इन नीतियों को कार्यान्वित करना नितान्त कठिन है।

खाद्यानों की जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया है, इसको लागू करने का काम राज्य सरकारों पर है। अभी दिल्ली प्रशासन ने इस अधिनियम के अंतर्गत अतिपय व्यापरियों को गिरफ्तार किया है। वैसे इस प्रकार की गिरफ्तारियां लोकतंत्र में संभव नहीं क्योंकि वे अगले दिन न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि देश में इस समय कितने जवाहिरात हैं ? मैं ऐसे कानून का समर्थक हूँ जिसने ऐसे जवाहिरातों को सरकार अपने कब्जे में ले सके।

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI (Shajapur) I have a point of order. Is it proper to mention about jewellery here ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि जवाहरात की बात से उनको क्यों कष्ट हुआ। क्या उन्होंने जवाहरात जमा कर रखे हैं।

श्री के. आर. गणेश : मैं सभा को यह बताना चहाता हूं कि दिल्ली प्रशासन के सिविल सप्लाई विभाग के कार्यकारी पार्षद श्री वी. पी. बाल ने मुझे यह सूचित किया है कि चीनी, गेहुं,

**अध्यक्षपीठ के अदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

Expugned as ordered by the chair.

चना, खांड सारी आदि वस्तुओं के मूल्यों में कमी हुई है, यदि इस प्रकार अधिक छापे डाले जायें तथा घाटे की अर्थव्यवस्था उचित रूप से अपनाई जाये और वायदे के व्यापार के लिए बैंकों से धन तथा ऋण निकालने पर रोक लगाई जाये तो हम अपने अधारभूत उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

भारत की अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ है जिसने बंगला देश के संकट को झेल लिया है। मेरा इस वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने का उद्देश्य स्थिति की वास्तविकता आपके समक्ष रखना है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा में ऐसे निश्चित नियम हैं जिनके अनुसार हमें मित्र देश के प्रति अशोभनीय ढंग से उल्लेख नहीं करना चाहिए। मेरे विचार में मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में इस प्रकार की टिप्पणी की है। इसको कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा।

श्री के. आर. गणेश : मैं इसे स्वीकार करता हूं। मेरा ऐसा तात्पर्य कदापि नहीं था।

श्री सुरेन्द्र महंती (केन्द्रपाड़ा) : मंत्री महोदय ने बढ़ते हुए मूल्यों के अतिरिक्त अन्य विषयों के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं, मंत्री महोदय को पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना के साथ उस विषय पर बोलना चाहिए जिसके कारण देश की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई है।

मंत्री महोदय ने बंगला देश के बारे में बहुत कुछ कहा है। उन्हें इस बात का दुख है कि बंगला देश का संकट तथा उससे अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले दबाव का पूर्वानुमान नहीं लग सका है। क्या मैं उनका ध्यान 1971-72 की आर्थिक समीक्षा के पृष्ठ 5 की ओर दिला सकता हूं जिसमें स्पष्ट रूप से सरकार को चेतावनी दी गई है कि बंगला देश के संकट के परिणामस्वरूप हमारी अर्थ-व्यवस्था पर भार पड़ेगा। इसमें सरकार को समय रहते उपाय करने को कहा गया था, इसलिए मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि उसकी लापरवाही से ही देश की अर्थ-व्यवस्था बिगड़ी है।

जब मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो प्रधानमंत्री ने 12 जुलाई, 1972 के संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मूल्यों में गिरावट आ रही है और ये और भी गिरेंगे। जबकि मूल्य सूचकांक 230 अंकों को पार कर गया है, प्रधानमंत्री के सलाहकार उनसे कह रहे हैं कि मूल्य गिर रहे हैं। आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार न जाने किस दुनिया में रह रहे हैं। जब प्रधानमंत्री से किसी पत्रकार ने 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में कार्यक्रमों को लागू किया जा चुका है और उसके परिणाम आ रहे हैं, क्या इसके परिणाम यह हैं कि मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है और रुपए का मूल्य घटकर 40 पैसे हो गया है। सरकार यह बहाना नहीं कर सकती है कि मूल्यों की यह वृद्धि अचानक ही हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण निरन्तर सरकार को मंहगाई रोकने के लिए निर्बन्धकारी उपाय अपनाने के लिए आगाह करता रहा है। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो छापे दिल्ली में मारे हैं वे सब स्पष्टमात्र हैं। क्या देश के अन्य भागों में भी छापे मारे गए हैं? सरकार के आर्थिक कार्यों में कोई भी समन्वय दिखाई नहीं देता है। बढ़ते हुए मूल्यों के सम्बन्ध में हुए मंत्रिमंडलीय वाद-विवाद में वित्त मंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया था और वहां उत्तरदायित्व को एक दूसरे पर डालने का प्रयास किया गया है।

कृषि मंत्री श्री शिंदे ने यहां कहा था कि देश में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप इतना अधिक उत्पादन हुआ है कि उसको अब जमा करने की समस्या बन गई है परन्तु वित्त मन्त्री महोदय ने अगले दिन कहा कि गत वर्ष उत्पादन 20 लाख मीट्रिक टन कम हुआ है अब आप बताइए कि किस पर विश्वास किया जाए ? भारतीय खाद्य निगम समझता है कि उसका कार्य किसानों को समर्थन मूल्य देना है, परन्तु वह यह भूल जाता है कि उसका प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना भी है, यदि निगम अपने भंडार में 95 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न में से 50 प्रतिशत भी उचित मूल्य की दुकानों को वितरित करे तो आज खाद्यान्नों के मूल्य काफी गिर जाते, मैं कृषि मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे क्यों नहीं भंडार में से खाद्यानों को वितरित करना चाहते हैं ?

मेरे विचार में इस स्थिति के लिए तीन कारण उत्तरदायी हैं, एक बंगला देश है, दूसरा मुद्रा का प्रसार है, मेरा कहने का आशय यह कदापि नहीं है कि हमें बंगला देश की सहायता नहीं करनी चाहिए थी। परन्तु हमें अपने राष्ट्रीय हित तथा अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करना था। आपने बैंकों से 850 करोड़ रुपये से अधिक ऋण के रूप में धन निकाला है। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने सरकार को आगाह कर दिया है कि इतना अधिक धन बैंक से निकालने के परिणामस्वरूप क्या धन का प्रसार होगा जिसे अर्थव्यवस्था वहन नहीं कर पायेगी।

अन्त में मेरा यह कहना है कि वास्तविक समस्याओं के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं है। वह देश को नारों पर ही आगे चलाना चाहती है। क्यों नहीं सरकार 10 लाख उचित दर की दुकानों को तुरन्त खोलती है ? सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि कीमतों को और आगे नही बढ़ने दिया जायेगा।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मैं इस सभा में काफी समय से हूं, यहां कितनी ही बार मूल्यों में होने वाली वृद्धि पर चर्चा हुई है और सरकार ने इस विषय पर अपनी चिन्ता भी व्यक्त की है। यह सभी जानते हैं कि बिना महंगाई रोके हमारे जैसे कृषि प्रधान देश के लिए आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना अत्यन्त कठिन कार्य है, इस दिशा में प्रयास किये गये हैं परन्तु उनका कोई लाभ अभी तक नहीं निकला है।

वर्ष 1971-72 बजट में हमने संपत्ति को कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में आने से रोकने, आय में असमानता कम करने तथा समाज के सभी वर्गों को उचित न्याय देने का वचन दिया था, दुर्भाग्य-वश इस बार उन वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है जिन पर कर नहीं लगा था। अन्य माननीय सदस्यों के साथ हम भी वस्तुओं की मंहगाई से चिन्तित हैं परन्तु जब वे इसमें राजनीति को समाविष्ट करते हैं तो उनके कथन पर हमें संदेह उत्पन्न हो जाता है, खाद्यान्न के अभाव के होते हुए भी हमें बंगला देश की सहायता करनी ही थी।

मंहगाई रोकने के लिए सरकार के प्रयास असफल सिद्ध हुए हैं। कतिपय माननीय सदस्यों का कहना है कि कृषि प्रधान तथा विकासशील देश में मूल्यों में वृद्धि अपेक्षित है, परन्तु प्रश्न है कि यह वृद्धि कितनी अपेक्षित है। वर्ष 1952 और वर्ष 1962 के बीच मूल्यों में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसे भारत की अर्थ-व्यवस्था ने झेल लिया है, परन्तु वर्ष 1962 के बाद मूल्यों में भारी

वृद्धि हुई है। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 1969-70 में देशों का जो सर्वेक्षण किया गया था उसमें भारत का स्थान जीवन निर्वाह लागत में सर्वप्रथम था अर्थात यहां जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि 79.1 प्रतिशत हुई थी, कई विकाशशील देशों में मूल्य वृद्धि बहुत ही कम हुई है। अतएव अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों का यह कहना औचित्यपूर्ण नहीं है कि कृषि प्रधान तथा विकासशील देश में मूल्यों में वृद्धि होना अपेक्षित है।

मूल्यों में वृद्धि से 38 .3 प्रतिशत ग्रामीण जनता प्रभावित हुई है जिनकी आय 50 पैसे प्रतिदिन है। प्रश्न यह है कि मूल्यों में ऐसी असाधारण वृद्धि क्यों हुई है ? इसका एकमात्र कारण यह है कि हम दीर्घकालीन और अल्प कालीन उपायों को क्रियान्वित नहीं कर पाए हैं, हरित क्रांति और 90 लाख टन का भंडार होते हुए भी आज मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। चीनी का उत्पादन 42 लाख टन से घट कर 31 लाख टन हो गया है। परन्तु क्या इससे मूल्यों में तात्कालिक वृद्धि होनी चाहिए थी जबकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पूर्वविशिष्ट (चीनी) विद्यमान थी ? सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम और एकाधिकार और निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत जब पर्याप्त अधिकार मिले हुए हैं तो उनका उपयोग क्यों नहीं किया जाता है ? हमारे पास पर्याप्त मात्रा से अधिक चीनी है तो फिर भी चीनी के मूल्यों में वृद्धि हुई है, चीनी का अभाव व्यापारियों, जमाखोरों आदि ने किया हुआ है जिनके विरुद्ध सरकार इन अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकती है।

सरकार मूल्य वृद्धि को तब तक नहीं रोक सकती है जब तक कि समानान्तर चल रही अर्थ-व्यवस्था पर प्रहार नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि समानान्तर चल रही अर्थ-व्यवस्था का अर्थ काले धन से है जिसको समाप्त करना अत्यावश्यक है।

मांग तथा पूर्ति का संबंध भी मंहगाई से है, जब तक फसल अच्छी होती है तो हम उचित मूल्य की दुकानों को बन्द करके मांग और पूर्ति को मूल्य निर्धारण में भाग लेने देते हैं, परन्तु अगली बार जब मानसून नहीं आता है तो हम अपने इस कार्य में असफल हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि होती है, अतएव उचित मूल्यों की दुकानों को बने रहने देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त सरकार को आवश्यक उपभोग्य वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों को भी अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इन उद्योगों में उत्पादन घट रहा है। हम कपास का आयात करके उसे नियंत्रित मूल्यों पर मिलों को सप्लाई करते हैं परन्तु कपड़े के मूल्यों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। जब हम अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुओं का निर्माण करने वाले कारखानों को अपने नियंत्रण में लेते हैं तो उसमें वस्तुओं की न्यूनतम किस्मों का उत्पादन करना चाहिए। गौण योजनाओं पर होने वाले व्यय को कम किया जाना चाहिए। हमारा पूंजी निवेश अत्यावश्यक वस्तुओं के निर्माण में ही होना चाहिए।

मंहगाई को तत्काल रोकने हेतु उपभोग्य वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों को अपने नियंत्रण में लेने तथा उचित मूल्य की दुकानों को खोलने के लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाने चाहिए कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए दीर्घकालीन उपाय अपनाने चाहिए तथा खाद्यान्नों की सप्ला

खंड विकास अधिकारी के माध्यम से की जानी चाहिए। अब भी समय है कि हम दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उपायों को अपनाकर अर्थव्यवस्था को बिगड़ने न दें।

[श्री के. एन. तिवारी पीठासीन हुए
SHRI K.N. TIWARY *in the Chair*]

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : यहां माननीय सदस्यों ने मूल्यों में भारी वृद्धि के लिए विभिन्न कारण बताए हैं तथा उनका समाधान भी बताया है, मैं कहना चाहूंगी कि इस समस्या को युद्ध स्तर पर हल किया जाना चाहिये।

मूल्य वृद्धि के लिए बहुत से कारण बताए गए हैं, इसका एक कारण उत्पादन में कमी है और दूसरा उत्पादित वस्तुओं की गलत वितरण प्रणाली है। हमें बताया गया है कि देश में न केवल हरित क्रान्ति आई है अपितु हम खाद्यान्न का निर्यात करने की स्थिति में भी आ गए हैं, परन्तु जब मानसून समय पर न आया तो हमारे समक्ष खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी की समस्या उत्पन्न हो गई है।

इस स्थिति के लिए बंगला देश, घाटे की अर्थ-व्यवस्था तथा अन्य कारण बताए गए हैं, सरकार ने इस मूल्य वृद्धि के लिए प्रकृति पर दोष थोपा है, परन्तु हमारे देश में सूखा, बाढ़ तथा अन्य बातें होती रहती हैं, परन्तु क्या सरकार ने स्थायी तौर पर इसका निवारण करने हेतु कोई कार्यवाही की है। पाली के संसद सदस्य ने मंत्री महोदय से यह सुसंगत प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार ने कभी देखा है कि राज्यों को दिये गये धन का किस प्रकार उपयोग किया जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में व्यय किये जाने वाले धन का उपयोग अन्यान्य क्षेत्रों में किया जाता है। मैंने स्वयं राजस्थान में राहत कार्यों को देखा है जो नितांत अस्थायी हैं। यदि हम प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना चाहते हैं तो हमें आधुनिक साधनों यथा ग्राम्य सिंचाई तथा ग्राम्य विद्युतीकरण आदि को अपनाना पड़ेगा। पर यहां इनका अभाव है। कम से कम कृषि तरीकों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।

सरकार को स्थिति की आवश्यकता के प्रति सजग होना चाहिए। उदाहरण के लिए राजस्थान की नहर का निर्माण बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। यदि राजस्थान नहर बन जाती है और वहां रेलों तथा सड़कों का जाल बिछ जाता है तो राजस्थान की समूची तस्वीर बदल सकती है। यदि देश के 80,000 बेरोजगार इन्जीनियरों को समूचे देश में सड़कों का निर्माण करने के कार्य में लगाया जाये तो इससे पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की जांच कराई जानी चाहिए क्योंकि वहां भारी भ्रष्टाचार है, निष्पक्ष जाच कराने के लिए यह अपेक्षित है कि उसके अध्यक्ष को हटाया जाना चाहिए।

सरकार को चाहिए कि वह अपने ऊपर लगाये गये आरोपों का निवारण करे। सरकार इस बात को सिद्ध करे कि वह काले धन को बढ़ावा नहीं दे रही है। देश में लगभग 7500 करोड़ रुपये काले धन के रूप में है। मूल्य वृद्धि के लिए ऐसा धन भी

उत्तरदायी है। खाद्यान्नों आदि के मूल्यों को कम करने के लिए सरकार को अपनी कृषि सम्बंधी नीतियों का पुनरावलोकन करना होगा। क्या सरकार ने भूमि की सीमा निर्धारित करने के प्रभाव का अनुमान लगाया है। जनता के ट्रैक्टर और अन्य मशीनों की मांग इसी के कारण कम हो रही है और इस भूमि सीमा से उत्पादन बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति भी अभी नहीं होने वाली है।

खाद्यानों के मूल्यों की इस वृद्धि का सामना सम्बद्ध मंत्रियों को मिलकर करना चाहिए तथा देश भर में उचित दर की दुकाने खोली जानी चाहिए। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उचित स्थानों पर कम से कम 20 उचित दर की दुकानें होदी चाहिए।

दूसरे बचत वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान भेजने और उसका वितरण करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। तीसरे जमाखोरों और चोर बाजारियों के साथ कड़ा व्यवहार किया जानी चाहिए। चौथे और सबसे अधिक आवश्यक बात यह है कि केन्द्रीय सरकार के राज्य सरकारों पर किसानों द्वारा लिए गये तकाबी ऋणों के भुगतान को स्थागित करने के लिए जोर डाला जाना चाहिये।

मैं सरकार से अपने साधनों से सिंचित भूमि की सीमा निर्धारण करने सम्बन्धी नीति की पुनः जांच करने का अनुरोध करती हूं क्योंकि कई स्थानों पर इस संबन्ध में लोग अत्याधिक कठिनाईयों का अनुभव कर रहे हैं।

श्री जी० डी० देसाई : (कैरा) मूल्य वृद्धि उत्पादन, वितरण और उपभोग से सम्बद्ध हैं। उत्पादन, के सम्बन्ध में हम गलती पर रहे हैं, पर किस सीमा तक ? यह कहा गया है कि 1962-63 तक मूल्य लगभग स्थिर रहे हैं, पर कतिपय नीतियों के कारण 1968-69 से मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि हुई हैं यह वृद्धि कुछ सीमा तक उत्पादन करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ने के कारण भी हुई है।

वितरण में यह सावधानी रखनी चाहिए कि उसमें कम से कम माल खराब हो तथा उत्पादन मूल्य और उपभोक्ता मूल्य में अधिक अन्तर न हो उचित दर की दुकानें खोल कर हम कुछ सीमा तक इसमें सफल हो सकते। पर वितरण के लिए उपलब्ध मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता है क्योंकि वह पूंजी निवेश से सम्बद्ध है। अब हमें देखना यह है कि क्या उत्पादक को उत्पादन में लगाया गया मूल्य मिलता है अथवा नहीं। यदि उसे अपनी लगाई गई पूंजी का उचित मूल्य मिल जाये तो उत्पादन में वृद्धि भी हो सकती है और उत्पादन लागत भी कम हो सकती है।

उपभोग में भी जनसंख्या की वृद्धि के कारण वृद्धि हुई है और इसका भार हमें वहन करना ही होगा।

यह सुझाव भी दिया गया है कि कुछ उद्योगों को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। सरकार की यह नीति भी है। खद्यान्न का 87 प्रतिशत गैर सरकारी क्षेत्र के उत्पादन से प्राप्त होता है। यदि इस सबको सरकार अपने हाथ में ले ले तो इस पर निश्चय ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हमें कुछ सहकारी फार्मों और सरकारी फार्मों का पूरा अनुभव है।

मूल्यों की वृद्धि का एक बड़ा कारण घाटे की अर्थव्यवस्था और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली मुद्रास्फीति है।

सभा में मार्क्सवादी सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि सब कुछ सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। परन्तु उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि रूस सबसे अधिक खाद्यान्न का आयात करता है और उसको खाद्यान्न निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश भारत है। अतः हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या रूस में यहां से जाने वाली वस्तुओं के मूल्य भारत से कम हैं ?

यदि अच्छा कार्य करने के लिए इनाम देने और गलत काम करने पर दण्ड की व्यवस्था हो जाये तो निश्चय ही उत्पादन बढ़ेगा।

गलत वितरण अथवा वितरण व्यवस्था की कमी के कारण भी ऐसा हुआ है। वेतन के सम्बन्ध में भी अन्तर रखा गया हैं। कुछ क्षेत्रों में यह निर्वाह व्यय से संम्बद्ध है जबकि अन्य क्षेत्रों में नही। अतः यदि हम मूल्य स्थिरता की बात करते हैं तो वेतन भी स्थिर होने चाहिए। यदि हम मूल्य बढ़ने पर मजदूरी बढ़ाते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि हम इस मूल्य वृद्धि को स्वीकार कर रहें हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहब पी० शिन्दे) : कुछ सदस्यों ने हमारी कृषि सम्बन्धी नीति और हरित क्रांति के सम्बन्ध में सभा में प्रश्न उठाया है और अपना सन्देह प्रकट किया है। हम सदैव खाद्यान का आयात करते रहे हैं। यहां तक कि 1958 के बाद से यह सिलसिला जारी है। पर पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ हुआ है उससे पता चलता है कि भारतीय राजनीतिज्ञ, भारतीय प्रबन्धक और भारतीय किसान कृषि के मोर्चे पर भी विजय पाने में सामर्थ हो गये हैं।

यह कहा गया है कि पिछला वर्ष सामान्य वर्ष था। पर माननीय सदस्यों को पता होना चाहिए कि यह बात नहीं थी। पिछले वर्ष हमें 2 करोड़ रुपये बंगला देश के शरणार्थियों को खिलाने ही नहीं पड़े वरन आन्ध्र में भयंकर सूखा पड़ा तथा बिहार पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप रहा। इस सबके बावजूद हमारा उत्पादन उल्लेखनीय रूप में नहीं गिरा यद्यपि यह आशा के अनुरूप नहीं हुआ था यदि उत्पादन में अधिक गिरावट आती तो हमारी अर्थ-व्यवस्था में अत्याधिक कठिनाइयां पैदा हो सकती थी।

यह कहा गया है कि इस सब के लिए पहले से अनुमान क्यों नहीं लगाया गया था ऐसी बात नहीं है। आन्ध्र से चावल की बहुत कम वसूली होने पर भी हमारी चावल की वसूली में कमी नहीं आई; वास्तव में वह गत वर्ष की अपेक्षा अधिक थी। हमारे पास 65 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 25 लाख मीट्रिक टन चावल तथा 5 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज का बफर स्टाक इस समय भी है। वर्ष 1974-75 तक हम 50 लाख मीट्रिक टन बफर स्टाक बनाना चाहते हैं। अतः यह कहना सर्वथा गलत तथा असंगत होगा कि हम इसके लिये तैयार नही थे। हम पूरी तरह तैयार इसी कारण हमने बफर स्टाक को इतना बढ़ाया है और हमारा आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है अनेको थी कठिनाइयों और उड़ीसा के तूफान और सूखा तथा दक्षिण की बाढ़ और वर्षा के बावजूद हमनें उत्पादन बढ़ाने के अनेक उपाय किए हैं।

यह कहना नितान्त गलत है कि ऊष्णकटिबन्ध के देशों में भी वर्षा के न होने पर खेती के उत्पादन में कमी नहीं आ सकती। ऐसा लगता है माननीय सदस्य को खेती का कतई ज्ञान नहीं है ऐसे देशों में 40 प्रतिशत तक का उतार चढ़ाव आ जाता है। भारत के लिए यह असाधारारण बात नहीं है। अत्यन्त विकसित देशों में भी यह होता है। इस बार सबसे भंयकर स्थिति हुई है। इससे पहले 1906 में ही ऐसी स्थिति हुई थी। हम केवल इसलिए अन्य देशों से भीख नही मांगना चाहते क्योंकि हम कठिनाइयों में पड़े हैं। इसके विपरीत हमने इस संकट का सामना करने के लिए एक विशाल उत्पादन कार्यक्रम भी बनाया है और हमें आशा है कि अन्ततः हम इस स्थिति का समाधान करने में समर्थ हो जाएगें।

मैं सुरीक्षत भंडारों का उल्लेख कर रहा था। इनभंडारों का निर्माण संकट की स्थिति का सामना करने के लिए किया जाता है. मैं यह स्वीकार करता हूं कि कुछ राज्यों में वितरण प्रणाली उचित नहीं है और न ही वितरण, पर्याप्त तथा प्रभाव शाली है। हमने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया या तथा उन से सरकारी वितरण प्रणाली को जल्द से जल्द सुदृढ़ तथा सूचरु करने का अनुरोध किया था,। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि सभी राज्यों में यह वितरण प्रणाली ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र में यह प्रणाली बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही है किन्तु देश के बाकी हिस्सों में यह वितरण प्रणाली संतोष-जनक नहीं रही है और यही कारण है कि सुरक्षित भंडार के होते हुए भी अर्थव्वस्था में कुछ विकृतियां आ गई हैं। मानसून की असफलता तथा कईस्थानों पर बाढ़ आ जाने के कारण आवश्यक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में कमी आई इसी कारण सामान्य कीमत स्तर बढ़ा है।

देश में 1.25 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे डेढ़ या दो महीनों के अन्दर उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 20,000 या 25,000 या जितनी भी आवश्यकता हो कर दें। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम उचित मूल्य की दुकानों को खाद्यान्नों की समुचित सप्लाई करते जायेंगे। जनता में ऐसी धारणा है कि ऐसी अधिकांश दुकानें केवल शहर में ही हैं पर यह बात सही नहीं है। एक लाख 25 हज़ार दुकानों में से लगभग 80.000 दुकानें ग्रम्य क्षेत्र में हैं।

हमारे मंत्रालय ने स्थिति का सामना करने के लिए काफी उपाय किए हैं पहले भारतीत्र खाद्य निगम खाद्यान्नों को खुले बाज़ार में बेच रहा था किन्तु जब कीमतों में वृद्धि होने लगी और समाज द्विरोधी तत्व इसका लाभ उठाने लगे तो हमने खाद्यन्नों की खुली बिक्री को रोकने के लिए कड़े आदेश जारी कर दिए और कहा कि अनाज का एक एक दाना लोक वितरण प्रणाली के आधार पर जनता को वितरित किया जाए। दूसरे 50 या 60 लाख टन खाद्यान्न जो लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया गया उसमें से आधा खाद्यान्न आटा मिलों को पहुँचाया गया क्योंकि देश में कई स्थानों पर गेहूं की जगह आटे का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए हमें 20 से 25 करोड़ रुपये की भारी सहायता देनी पड़ी। हमारे ध्यान में यह भी बात लाई गई कि कुछ मिलें इस गेंहूं को उपयोगी बनाने के बजाए उसे खुले बाज़ार में ऊंची कीमतों पर बेच रही हैं अतः हमने निश्चय किया कि इन मिलों को केवल प्रक्रिया प्रभार दिया जाएगा। उनके समस्त उत्पादन को सरकार अपने हाथ मे ले लेगी तत्पश्चात उसे लोक वितरण प्रणाली के अधार पर वितरित कर दिया जाएगा। इस

सम्बन्ध में राज्य सरकारों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आवश्यक पदार्थ अधिनियम और खाद्यान्न नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत सभी राज्य सरकारें जमाखोरों, समाज विरोधी तत्वों के विरूद्ध कड़ी कर्यवाही कर सकती हैं। गुजरात में कई व्यापारी पकड़े भी गए है। दिल्ली में भी इस सम्बन्ध में कुछ लोग पकड़े गए हैं। हम आवश्यकतानुसार खाद्यान्न व्यापार में लाइसेंस प्रणाली, जमाखोरी निवरण तथा खाद्यान्न भंडार स्थापित करना चाहते है। राज्य सरकारों को भी हम इसी प्रकार के सुझाव दे रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के किसी एक संगठन का जैसे कि खाद्य निगम का आवश्यक खाद्य पदार्थों पर विशेषकर कृषि उत्पाद पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि जब कभी इस तरह की समस्या खड़ी हो हम दलित वर्गों और निश्चित आय वाले वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। हम इस सम्बन्ध में गंभीरता से विचार कर रहे हैं और इस दिशा में विभिन्न कदम उठा रहे हैं।

जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है उस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सुरक्षित भंडारों का उपयोग न्यायोचित रूप में किया जाएगा ? साथ ही हम यह भी देखनें का यत्न करेंगे कि इन भंडारों का खाद्यान्न समाज विरोधी तत्वों के हाथों में न जाए और लोक वितरण प्रणाली प्रभावशाली ढंग से कार्य करती रहे। इस प्रयोजन के लिए हमने अगस्त के महीने में 7,45,000 टन खाद्यन्न जारी करने का निर्णय किया है। यदि कोई राज्य सरकार दिए गए खाद्यान्न से अतिरिक्त की मांग करती है तो हम उसकी न्यायोचित मांग को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। सितम्बर के महीने में 9 30 000 टन तथा अक्तूबर में 10 लाख टन खाद्यान्न जारी करने का हमारा विचार है। अतः जैसे जैसे अभाव वाले महीने आते जाएंगे हम लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिकाधिक खाद्यान्न भी सप्लाई करते जाएंगे ?

मानीय सदस्य श्री महन्ती ने बताया है कि भारत सरकार का खाद्य निगम उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान नहीं रख रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्हें उपभोक्ताओं का इतना ध्यान है। वस्तुतः तथ्य यह है कि जब गेहूं और चावल को लोक वितरण प्रणाली के माध्वम से वितरत किया जाता है तो गेहूं के सम्बन्ध में 1.32 करोड़ रुपये तथा चावल के लिए 20 करोड़ रुपये की सहायता दी जाती है। संसाधन संबन्धी कठिनाईयों तथा अन्य आर्थिक अभावों के बावजूद भी सारकार जानबूझ कर उपभोक्ताओं के हित में सहायता प्राप्त खाद्यान्न नीति अपना रही है।

वर्तमान संकट की स्थिति का सामना करने का एकमात्र उपाय उत्पादन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना है। हाल ही में सरकार ने उत्पादन की वृद्धि के लिए एक वृहद कार्यक्रम बनाया है। हमने राज्य सरकारों को आश्वासन दिया है कि वह जिस भी ढंग से चाहे ट यूबवैल लगा कर, चाहे सिंचाई के साधनों को बढ़ा कर रबी या खारीफ की फसल की रक्षा करें उन्हें समुचित वितीय सहायता प्रदान की जाएगी ? हमे स्थिति का सामना बड़े विश्वास से करना होगा। यदि हम खाद्यान्नों के सम्बन्ध में आत्म निर्भर हो जाएं तो देश का गौरव निश्चय ही बढ़ेगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्रीमन् खाद्यान्नों के मूल्यों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। देश में सूखे की स्थिति ने इस समस्या को और विकट बना दिया है। बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए कुछ न कुछ उपाय करने आवश्यक होने चाहिए और इसके समाधान हेतु हमें अपनी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए।

यह सच है कि एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और उसमें कीमतों में वृद्धि को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन सामान्य मूल्य स्तर में हुई वर्तमान तीव्र वृद्धि, मजदूरी के स्तर में परिवर्तन, मुद्रा सप्लाई में परिवर्तन तथा विनियोग के स्तर में परिवर्तन की व्याख्या विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के सामान्य सिद्धान्त के आधार पर नहीं की जा सकती।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कीमतों में वृद्धि की समस्या एक पृथक समस्या नहीं है। जो लोग योजनाबद्ध आर्थिक विकास और उसके सदृश आर्थिक नीति में विश्वास रखते हैं वह यह सदैव अनुभव करेंगे कि इस समस्या का समाधान समेकित रूप में किया जाना चाहिए।

हम हर संभव उपायों द्वारा, जैसे घाटे के बजट की व्यवस्था अपना कर, सरकारी वितरण प्रणाली को आधार बनाकर कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और जब उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चय ही श्रमिक वर्ग अधिक वेतन की मांग करेगा और परिणामस्वरूप अर्थव्यस्था पर भार पड़ेगा और अधिक मुद्रा स्फीति होगी। ऐसी अवस्था में आप श्रमिकों को यह नहीं कह सकते कि आप अर्थव्यवस्था के हेतु अपने हितों का बलिदान कर दे संकट के समय दोनों ही वर्गों, मालिकों तथा कर्मचारियों को अपने हितों का बराबर बलिदान करना होगा तभी कृषि श्रमिक और औद्योगिक श्रमिक अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और इसी प्रकार समस्या का समाधान किया जा सकता है।

[श्री आर. डी. भंडारे पीठासीन हुए
SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair*]

हम आर्थिक विकास की ऐक निश्चित नीति का अनुसरण करते आए हैं और आर्थिक विकास की इस नीति में हमने बेकार पड़ी क्षमता के उपयोग की ओर इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि क्षमता की स्थापना की ओर दिया है और इसी कारण हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिदेशी मुद्रा की कठिनाइयां बड़ी मात्रा में उत्पन्न हो गई हैं और हमें लगता है कि बेकार पड़ी क्षमता को उपयोग करने की समस्या भी कम कठिन नहीं है। वर्तमान स्थिति में जबकि वस्तुओं के मूल्य इतने बढ़ रहे हैं उत्पादन अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पा रहा है इन सब समस्याओं को हमें ध्यान में रखना होगा।

उदाहरण के लिए घाटे के बजट की समस्या है। श्री शिन्दे का कहना है कि वह आशावादी है। मैं भी निराशावादी नहीं हूं किन्तु मैं यथार्थवादी हूं। मैं उन आंकड़ों का उल्लेख नहीं करना चाहता जिनका श्री भगत या अन्य सदस्यों ने यहां उल्लेख किया है। गत बजट के समय मैंने विशिष्ट रूप से कहा था कि यद्यपि पूरा न किया जाने वाला घाटा 242 करोड़ रुपये का बताया गया है तो भी यह निम्न घाटा केवल दृष्टि भ्रम है। मैंने यह आशंका भी व्यक्त की थी कि इस स्थिति के कारण जिसमें से हम गुजर रहे हैं यह संभव है कि यह घाटे की अर्थव्यवस्था और भी अधिक बढ़ जाएगी।

यह आशंका सच सिद्ध हुई है क्योंकि विशेषज्ञों ने अब यह राय व्यक्त की है कि संभवतः यह घाटा बढ़कर 1000 करोड़ रुपया हो जाएगा। यदि घाटे की अर्थव्यवस्था इतनी अधिक बढ़ने जा रही है तो निश्चय ही इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और इससे हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा-स्फीति होगी। इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि होगी। इसको रोकने के लिए हमें उत्पादन के पहलू और वितरण व्यवस्था पर बल देना होगा। समाजवादियों के समक्ष एक बड़ी गलत धारणा यह है कि वह नहीं जानते कि प्राथमिकता उत्पादन को दी जाए अथवा वितरण को। जैसेकि यह दो पृथक समस्याएं हैं लेकिन तथ्य यह है कि उत्पादन की समस्या को बितरण की समस्या से अलग नहीं किया जा सकता। यदि कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना है तो उत्पादन को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ उसके न्यायोचित वितरण को भी बढ़ाना होगा। यह आश्वासन प्राप्त होने पर ही कृषि तथा औद्योगिक श्रमिक अधिक उत्पादन करने में समर्थ हो सकेंगे। अतः वितरण तथा उत्पादन दोनों पहलुओं पर हमें जोर देना पड़ेगा।

इस संबंध में मैं रिजर्व बैंक द्वारा दी गई चेतावनी की ओर सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि हमारी सरकार को बैंकिंग प्रणाली से बहुत अधिक उधार लेने की आदत पड़ गई है और इसके परिणाम स्वरूप देश में मुद्रा स्फीति बढ़ी है। कुछ समय पूर्व पंजाब के सेन्ट्रल बैंक के अभिरक्षक ने कहा था कि हमारी औद्योगिक नीति पर दिया गया बल अब ठीक नहीं दिखाई देता। इस समय केवल भारी उद्योगों पर अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए अपितु उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर भी अधिक बल दिया जाना चाहिए। उनके कथन में निश्चय ही सार है। आज जब कीमतें बढ़ रही हैं तो केवल भारी उद्योगों पर आश्रित नहीं रहा जा सकता है। उपभोक्ता वस्तुओं वाले उद्योगों को भी प्रोत्साहन देना होगा ताकि सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आधिकाधिक वस्तुओं को लाया जा सके। वितरण प्रणाली को भी सुधारना होगा। आवश्यक खाद्य पदार्थों के थोक व्यापार का समाजीकरण भी करना होगा। यह कहना, कि सरकार का जहां कहीं भी हाथ होगा वह क्षेत्र बेकार हो जाएगा तथा वहां पर काम नहीं होगा उचित नहीं है। उदाहरण के लिए परिवहन को ले लीजिए जब तक यह सरकारी क्षेत्र में था इसमें आतंक और अराजकता थी किन्तु राज्य के नियंत्रण में आ जाने के बाद अब सरकारी परिवहन उन ग्रामों तक भी जाती है जहां गैर सरकारी क्षेत्र के लोग कभी न जाते थे। श्रीमती गायत्री देवी ने कहा है कि यदि कृषि से जोत की अधिकतम सीमा को कम कर दिया जाएगा तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने में अत्यंत कठिनाई होगी। भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी नये प्रस्ताव से मैं सहमत नहीं हूं। भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। स्वतंत्र दल के नेता ने सुझाव दिया है भूमि की कम सीमा निश्चित करने पर छोटे किसानों को ट्रैक्टर तथा नल कूप उपलब्ध नहीं होंगे। और इससे कृषि उत्पादन घट जायेगा। मूल्यों की समस्या को हल किया जाना चाहिए और कृषि पैदावार में कमी हमारे लिए हानिकर सिद्ध होगी। इस संदर्भ में यदि मेरा सुझाव स्वीकार कर लिया जाय तो कृषि उत्पादन में कमी नहीं होगी। मेरा सुझाव यह है कि सहकारी सेवा समितियों के माध्यम से किसानों को ट्रैक्टर दिये जायें, और साथ ही नल कूपों में पूंजी-निवेश सहकारिता के आधार पर किया जाय।

मुद्रा सफीति के दबाब को रोकने के लिए सरकार के अनुत्पादक व्यय में कमी की जानी चाहिये। उपभोक्ता वस्तुओं का थोक-व्यापार तथा वितरण सहकारी सेवा समितियों द्वारा होना चाहिए। मुझे आशा है कि उद्योग तथा कृषि, इन दोनों क्षेत्रों में समेकित ढग से सुधार करके हम मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोक सकेंगे।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : श्री शिन्दे का भाषण सुनने के बाद भी मैं यही समझता हूं कि हमारा मूल्यों पर बहुत कम नियंत्रण है। मूल्यों पर ऐसी अदृश्य शक्तियों का नियत्रण है जिन पर सरकार का कोई बस नहीं है।

एक साधारण व्यक्ति सरकार द्वारा बताये गये मूल्य-वृद्धि के कारणों को नहीं जानना चाहता। वह केवल इतना ही कहता है कि इस थोड़ी सी आय और बढ़ती मंहगाई में मैं कैसे गुजारा करूं। अतः एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह मूल्यों का उचित स्तर बनाये रखे।

हमारे देश में कीमतें तो सबके लिए बढ़ती हैं लेकिन विकास दर कुछ ही लोगों के लिए बढ़ती है। आय वृद्धि का वितरण सबके बीच नहीं हुआ। हमने उत्पादन की दिशा में उचित कदम उठाये हैं? बाढ़ सरीखे प्राकृतिक विपत्तियों से हमारे उत्पादन वृद्धि को काफी क्षति पहुंची है। हमें शीघ्र ऐसे कदम उठाने चाहियें जिन से हम उत्पादन वृद्धि हेतु प्रकृतिक विपत्तियों पर नियंत्रण रख सकें। प्रकृति पर निर्भर रहने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है।

हमें उत्पादन की ओर ही ध्यान नहीं देना चाहिए वितरण व्यवस्था पर भी नियंत्रण रखना चाहिये। उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के अतिरिक्त हमें नकदी फसल उद्योगों को भी राज्य के नियंत्रण के अधीन लाना चाहिए। काला धन अधिकांश नकदी फसलों पर लगाया जाता है और यह सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है कि उन फसलों पर लगाया गया धन कहां से आया। मंत्री महोदय इस प्रश्न पर विचार करें। अतः नकदी फसलों सम्बन्धी उद्योगों को भी राज्य के नियंत्रण के अधीन लाया जाना चाहिये।

श्री पी. आर. शिनाय उदीपी : जीवन की अवश्यक वस्तुओं की कीमतें पिछले 30 बर्षों से पांच प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ती आ रही हैं। इस मूल्य वृद्धि के मुख्य शिकार सर्वसाधारण हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से तो मंहगाई और भी तेजी से बढ़ी है। सरकार इस समस्या को उत्पादन बढ़ाकर हल करना चाहती है। गेहूं के उत्पादकों को तो सरकार की ओर से उपदान दिया जाता है लेकिन चावल के उत्पादकों को नहीं दिया जाता।

राज्य सरकारें यदि चावल खरीदती हैं तो वह भी बाजार भाव के 60 अथवा 75 प्रतिशत पर खरीदती हैं और यह चावल अतिकांशतः घटिया प्रकार का होता है। आगामी वर्ष से चावल के उत्पादकों को भी उपदान दिया जाये। राज्य सरकारों को चावल के क्रय भाव बढ़ाने के लिये कहा जाये।

एक राज्य से दूसरे राज्य में अन्न लाने—ले जाने पर लगे प्रतिबधों को या तो सख्ती से लागू किया जाये या इन प्रतिबंधों को हटा दिया जाये। जब तक हम अन्न के मामले में आत्म-निर्भर नहीं हो जाते उस समय तक सरकार को इन का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

SHRI T. SOHAN LAL (Karol Bagh) : The opposition parties have so far been pleading the cause of Government employees but nobody cared to look after the welfare of labourers. After all price rise affects all, whether big or small the consumer goods like wheat rice etc. should be made available to different sections of the society at the rates fixed in proportion to their incomes. A man earning Rupees hundred per month should get wheat at Rs. 10/- per maund and a man getting Rs. one thousand per month should get it at Rs. 100/- per maund.

Secondly, our Ministers should not issue controversial statements, which encourage traders to raise prices. The labourers should be provided with the foodgrains at cheap rates.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : हम इस समस्या के बारे दो राय नहीं हैं। एक ओर तो घाटे के बजट की व्यवस्था है और दूसरी ओर उत्पादन और आय में कमी आ रही है, जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फिति की स्थिति पैदा हो गयी है। विकासशील अर्थव्यवस्था में हम घाटे की बजत व्यवस्था के बिना काम नहीं चला सकते। क्या हम इन समस्याओं को टाल सकते हैं। कीमतें वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही हैं। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों का मूल्य सूचकांक 239 अंक तक षहुंच गया है।

मैं इस सुझाव से पूर्णत: सहमत हूं कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन और वितरण-कार्य सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए, इस समस्या का इसके अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है। जमाखोरी थोक व्यापारी करता है। सरकार के पास जमाखोरी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त शक्तियां हैं। इन शक्तियों का उपयोग किये बिना मूल्य स्तर बना नहीं रह सकता। चीनी के दो भाव रखने का क्या औचित्य है ?

उपभोक्ताओं को अपनी न्यूनतम वस्तुएं उचित दरों पर प्राप्त होनी चाहिएं अन्यथा महंग ई का शिकार गरीब ही बनेगा। मुद्रा-स्फीति की स्थिति की ओर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है, अन्यथा "गरीबी हटाओ" एक नारा ही बन कर रह जायगा।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : हम सब इस बात को मानते हैं कि कीमतों में असामान्य रूप से वृद्धि हुई है और इससे जनसाधारण के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। इस से सरकार और सभी राजनीतिक दल चिन्तित हैं और यह राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है। इस विषय पर वाद-विवाद करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु अब प्रश्न यह है कि इस समस्या का प्रभावी रूप से कैसे सामना किया जाए जिससे कि हम यथासम्भव कम समय में इस से निपट सके।

इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है जिस पर कि दलगत रूप से विचार किया जाये मूल्य वृद्धि एक ऐसी समस्या है जिसकी व्यवस्था एक पहलू से नहीं की सकती। भारत में ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी मूल्यों की यह स्थिति अनेक आर्थिक कारणों का परिणाम है। उत्पादन का पहलू मुख्य पहलू है। यह सरकार की वित्तीय नीतियों, प्रशासनिक और वित्तीय अनुशासनों देश की समस्याओं में जनता की जागरुकता तथा उनके संगठित रुप में भाग लेने आदि का भी परिणाम है। यह मूल्य-स्थिति विभिन्न समयों पर अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाली मिश्रित शक्तियों का भी परिणाम है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि वित्त मंत्री ने घाटे की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का दावा किया था जो कुछ मैंने कहा था वह राज्यों द्वारा बैंक से निश्चित से अधिक धनराशि निकालने के बारे में था। हम यह सुनिश्चत करने के लिए वास्तव में यह कदम उठा रहे हैं कि राज्य सरकारें वित्तीय पहलू को सामने लायें जो देश के लिए बहुत आवश्यक है ?

घाटे की अर्थव्यवस्था अनेक प्रकार से दूर की जा सकती है। एक तरीका है गैर-योजना व्यय को कम करना। पिछले वर्ष राज्यों और केन्द्र दोनों के घाटे की अर्थव्यवस्था 700 करोड़ रुपये से अधिक हो गई थी। यह सच है कि ये सारे खर्चे गैर-योजन मदों पर किए गये थे किन्तु इस रूप में गैर-योजना व्यय क्या है ? रक्षा पर होने वाला व्यय गैर-योजना व्यय है और इसी प्रकार प्राकृतिक विपत्तियों के लिए सहायता और बंगला देश के शरणार्थियों को राहत देना भी इसी व्यय के अन्तर्गत आते हैं। यह व्यय हमें करना ही था हम केवल अपने संसाधनों को बढ़ाने का ही प्रयास कर सकते हैं और यही हमने किया है।

कहा गया है कि हम देश की वित्तीय नीतियों पर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। किन्तु मैं यही कह सकता हूं कि इस देश के लिए संसाधन बढ़ाने का हमने अत्यन्त साहसपूर्ण प्रयास किया है। देश के सामने बहुत ही गम्भीर समस्यायें थीं, जो केवल मात्र आर्थिक समस्याएं ही नहीं थीं। 1971 में हमने राजनीतिक तौर पर जो कुछ किया उसके लिए हम सब की सराहना हुई। किन्तु उसके लिए हमें आर्थिक दृष्टि से कीमत चुकानी पड़ी। वर्ष 1971-72 में हमें जिन समस्याओं का समग्र रूप से सामना करना पड़ा उनका प्रभाव अब पड़ रहा है। मैं मूल्यों की वृद्धि के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं और ना ही मूल्यों में हुई वृद्धि के औचित्य के बारे में कुछ कह रहा हूं वरन मैं तो वस्तुस्थिति बता रहा हूँ।

महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों और विशेषकर सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र में गत तीन या चार वर्षों से अकाल पड़ रहा है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की है। आंकड़ों को देखने से स्पष्ट हो जायेगा कि मूल्यों पर वास्तविक दबाव खाद्य वस्तुओं तथा अन्य सम्बद्ध वस्तुओं के कारण पड़ रहा है। वस्तुगत स्थिति का जायजा लेने से पता चलता है कि मूल्यों पर सर्वाधिक दबाव मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार आदि के कारण पड़ रहा है। यह दबाव 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक है।

यह कहना उचित नहीं है कि पिछले चार या पांच वर्षों में सामर्थ्य होते हुए भी हमने उचित रूप से कार्य नहीं किया है। हमरे पास गेहूं और चावल के बड़े बड़े भण्डार तो हैं। इसका तात्पर्य हैं कि हमने सार्वजनिक वसूली योजना को स्वीकार किया है। परन्तु वसूली करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ सार्वजनिक वितरण की सुव्यस्थित पद्धति भी आवश्यक है जिससे कि भविष्य में हमें फिर इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े क्योंकि कभी कभी सार्वजनिक वसूली की प्रणाली असफल हो जाती है। मैं समझता हूं कि हमने यह एक सबक सीखा है। श्री शिन्दे ने सदन को स्पष्ट रूप बता दिया है कि हमनें सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अपनाने का निश्चय किया है। सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमें इसे राज्यों

में भी लागू करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से कार्य करें।

यह सच है कि उचित दर की अधिकांश दुकाने ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही हैं। इस बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नगरीय क्षेत्रों में ही सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था करना प्रर्याप्त नहीं होगा। बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने का एक मात्र यही तरीका है कि सार्वजनिक वितरण व्यावस्था का सहारा लिया जाए और इस व्यावस्था को उन क्षेत्रों में जहां लोगों की क्रय शक्ति बहुत कम है अधिक कारगर ढंग से लागू किया जाए। इस व्यावस्था के अन्तर्गत केवल गेहूँ का ही नहीं अपितु उन सब वस्तुओं का भी वितरण किया जायेगा जिनकी बाजार में कमी है। किन्तु इसमें समय लगेगा सार्वजनिक वसूली के सिद्धांत को हम देश में बिशेषकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्वीकार कर रहें हैं, जिससे उत्पादकों को मूल्यों की न्यूनतम गारंटी मिलेगी और उसके साथ साथ उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रक्खा जायगा। अतः सार्वजनिक वसूली व्यवस्था के साथ सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सम्बद्ध करना आवश्यक है यही मुख्य बात है क्योंकि इससे हमारी अर्थ व्यवस्था में विशेषकर कृषि उत्पादन के क्षेत्र में सुधार होगा इस व्यवस्था के परिणाम कुछ सप्ताहों में ही सामने आ जायेगें और कीमतें कम होने लगेगीं।

मूल्यों की वृद्धि के बारे में एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है जैसे वर्षा देरी से होना, अकाल और सूखे का भय और गत वर्ष की भांति इस वर्ष अनाज का कम उत्पादन होना, आदि, आदि। इससे कुछ समाज-विरोधी तत्व लाभ उठाते हैं।

एक अन्य बात का उल्लेख किया गया है कि हम जमाखोरी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए केवल कानूनी शक्तियों का ही प्रयोग नहीं करेंगे अपितु इसके लिए राजनीतिक स्तर पर भी सहयोग प्राप्त किया जायगा। इसमें जनता के सहयोग की अपेक्षा है जिसके लिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं, क्योंकि अभी दुकानों पर जो छापे मारे गए थे उनके विरुद्ध लोगों ने शिकायतें की हैं। मूल्य वृद्धि रोकने के लिए हमें यह कार्यवाही जारी रखनी पड़ेगी क्योंकि इससे एक मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न होगा। यह वातावरण मूल्य वृद्धि रोकने के लिए आवश्यक है। इसमें जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है। भारत जैसे विशाल देश में उपभोक्ताओं की ऐसी जागरूकता और जनता की राय का असर सदा ही पड़ता रहेगा और जब तक एसी स्थिति न हो तब तक किसी समस्या का हल नहीं हो सकता।

श्री एस. एम. बनर्जी : मूल्य वृद्धि विरोधी आन्दोलन है। यदि सरकार का समर्थन मिले तो जमाखोरों को जमाखोरी रोकने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

श्री यशवंतराव चव्हान : यह एक भिन्न मामला है। मैंने वित्तीय नीतियों और संसाधन बढ़ाने के बारे में उल्लेख किया था। वित्तीय नीतियों का यही निश्चित अर्थ यह है कि उचित समय पर ऋण दिया जाए। पिछले वर्ष के दौरान, जहां तक आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ऋण देने का संबंध है, बैंकों ने बहुत सूझबूझ से काम लिया है। रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों की नीति इस मामले में बहुत चयनात्मक रही है। हम स्थिति पर लगातार निगरानी रखते रहे हैं और समय पर उचित कार्यवाही की गई है।

इस मामले का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था करने के लिए कार्य आरम्भ करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए जब तक अपेक्षित वस्तुओं और अपेक्षित सेवाओं में वृद्धि नहीं होगी तब तक सप्लाई और वस्तुओं की मांग में असमानता बनी रहेगी जिससे मूल्यों में और वृद्धि हो सकती है। यह धन की आपूर्ति का प्रश्न है और यह स्वाभाविक भी है।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : उन्हें रचनात्मक कार्य पर क्यों नहीं लगाया जाता।

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि रचनात्मक प्रयासों के बिना रोजगार का कोई अर्थ नहीं। इसलिए अन्नतोगत्वा उत्पादन के द्रुत कार्यक्रम को लागू कर मूल्यों के पहलू की ओर ध्यान देना आवश्यक है। जब तक हम उत्पादन कार्यक्रम और बचत कार्यक्रम आरम्भ नहीं करेंगे तब तक हमें अच्छे परिणामों की आशा नहीं करनी चाहिए। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बैंकों के जमा खातों वृद्धि हुई है। यही बचत है। महत्वपूर्ण वित्तीय नीतियों में एक उत्पादन संबंधी नीति भी है। कृषि मंत्री ने रीतियों को तैयार करने में बड़ी कल्पना प्रदर्शित की है। वित्त मंत्री की हैसियत से मैं आपको और इस सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि चाहे वह घाटे की अर्थ-व्यवस्था से हो या नहीं, उन्हें धन की कमी का अनुभव नहीं होने दिया जायेगा। घाटे की अर्थव्यवस्था उत्पादन के लिए ही बनाई गई है।

अब योजना यह है कि जहां कहीं भी जल की सप्लाई होती है वहां हम इंजन और विद्युत चालित पम्प तथा उर्वरक कीटनाशक दवाइयां, और बीज आदि सप्लाई करते हैं। इस बारे में राज्य सरकारों पर लगातार निगरानी रखी जाती हैं कि राज्य सरकारें कैसा कार्य करती हैं। अतः जब हम इस समस्या से युद्ध स्तर पर निबटने की बात करते हैं तो यह वस्तुतः उत्पादन कार्यक्रम और वितरण कार्यक्रम ही है।

डा. कैलाश: बीस रुपये के नोट बाजार में मिल नहीं रहे हैं। लोगों को यह भय हो रहा है कि सौ रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया जायेगा।

श्री यशवंतराव चव्हाण : इस बात का उत्तर मैंकई बार दे चुका हूं कि अन्तरिम प्रतिवेदन में विमुद्रीकरण की जो सिफारिश की गई थी उसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया है

श्री ज्योतिर्मय बसु: प्रतिवेदन को प्रकाशित क्यों नहीं किया गया ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैं ने आपको बता दिया है कि उस में क्या है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: वह तो मैं ने आपसे बार-बार पूछ कर कहलवाया है।

श्री यशवंतराव चव्हाण: ठीक है। यदि वह इन छोटी-छोटी बातों पर यश लेना चाहते हैं तो मैं इस बारे में कोई विवाद नहीं करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु: आपके लिए छोटी बात हो सकती है किन्तु मेरे लिए 7500 करोड़ रुपया बहुत बड़ी बात है।

श्री यशवतराव चव्हाण: यह निश्चय ही गम्भीर मामला है

श्री ज्योतिर्मय बसु:**

सभापति महोदय: यह बहुत अनुचित है

श्री ज्योतिर्मय वसु:**

श्री सी . एम. स्टीफन: इनसे कहा जाए कि वह अपने शब्द वापस लें ।

श्री ज्योमिर्मय बसु:**

डा. कैलाश: उन्हें इस प्रकार की बात कहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री सी. एम. स्टीफन: इसे सभा के कार्यवही वृत्तान्त से निकाल देना चाहिए ।

सभापति महोदय: अग्रिम नोटिस दिए बिना उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय वसु: मैंने कोई अशिष्ट और असंसदीय बात नहीं कही है ।

सभापति महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी है । सभा की कार्यवाही बृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा । यदि कोई मेरी अनुमति के बिना बोलेगा तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय वसु :**

श्री यशवंतराव चव्हाण : काले धन के प्रश्न के बारे में कई बार चर्चा की जा चुकी है । केवल बातें करने से ही इस समस्या का हल नहीं होगा । इस पर उचित रूप से कार्यवाही करनी होगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं (व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय महोदय अपने स्थान पर बैठ जायें ।

श्री ज्योतिमय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री ज्योतिर्मय वसु : नियम 376 के अन्तर्गत मैं मंत्री महोदय से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सरकार ने वांचू आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किया गया है ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय तैयार नहीं है, इसलिए माननीय सदस्य को बीच में बोलने की अनुमति दी जा सकती है ।

श्री ज्योतिमय वसु :**

सभापति महोदय : जो कुछ उन्होंने कहा है उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा । माननीय सदस्य को अध्यक्षपीठ का अदेश मानना होगा ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

Not recorded.

श्री ज्योतिर्मय वसु :**

सभापति महोदय : जो कुछ उन्होंने कहा है उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा क्योंकि मंत्री महोदय मानने को तैयार नहीं है।

श्री एस. एम. बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : क्या मंत्री महोदय मान गए हैं ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैं इसका उत्तर दे रहा हूं कि जब मुख्य प्रतिवेदव प्रकाशित हो गया है तो अन्तरिम प्रतिबेदन का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता। (**व्यवधान**)। वस्तु स्थिति यह है कि आन्तरिम प्रतिबेदन में जो कुछ महत्वपूर्ण था हमने उस पर कार्यवाही की है। अन्तरिम रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश यह थी कि कर नियमों में संशोधन किए जाएं जिससे कि सम्पत्ति को कम दिखाने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। इस संबंध में एक विधेयक संसद के विचाराधीन है। एक अन्य सिफारिश विमुद्रीकरण के बारे में थीं। इस सिफारिश को देखते हुए ही हमने इस प्रतिवेदन को प्रकाशित नहीं किया था।

काला धन एक महत्वपूर्ण समस्या है। परन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह मूल्य बृद्धि काले धन के कारण से है। काले धन के परिणामस्वरूप इस देश में अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समस्यायें उत्पन्न हुई हैं। हमें उनका सामना करना है और हम अनेक कदम उठा रहे हैं। काले धन के बारे में वांचू समिति की पूरी रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जा चुकी है। उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। रिपोर्ट में दिए गए सुझावों की जांच की जा रही है। हम इस बारे में आवश्यक विधान प्रस्तुत करेंगे। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है।

कई माननीय सदस्य खड़े हुए—

श्री ज्योतिर्मय वसु : निर्देश संख्या 115 के अन्तर्गत मैं यह कहना चाहता हूं कि वे सदन को गुमराह कर रहे हैं...

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं बारम्बर यह कहता रहूंगा कि आन्तरिम रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई और इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है...

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर दे लेने दें। आप कार्यवाही में बाधा नही उपस्थित कर सकते।

श्री ज्योतिर्मय वसु : यदि आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं बाधा उपस्थित करूंगा।

कई माननीय सदस्य खड़े हुए —

सभापति महोदय : विपक्ष के अनेक सदस्य उपस्थित हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

माननीय सदस्य का व्यवहार उचित है। वे उन पर अपने प्रभाव का प्रयोग करें। मैंने उनसे बैठने का अनुरोध किया है। मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा कर लेने दें।

श्री एस. एम. बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने चर्चा में एक विशेष दस्तावेज का उल्लेख किया है और मंत्री महोदय ने उसका उत्तर नहीं दिया है। माननीय मंत्री ने भी उस दस्तावेज का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि क्योंकि अन्तिरम रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है इसलिए अन्तिरिम रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री एस. एम. बनर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या उक्त दस्तावेज को सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता ? दस्तावेज मेरे पास है।

सभापति महोदय : यदि वह चाहें तो मुझे भेज दें मैं उसे अध्यक्ष महोदय को भेज दूंगा। यदि वह अनुमति देंगे तो उक्त दस्तावेज सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री एस. एम. बनर्जी : सभापति महोदय माननीय मंत्री को कह सकते हैं कि वे इस दस्तावेज को प्रमाणित करके सभा-पटल पर रख दें।

सभापति महोदय : उन्होंने तो यह अनुरोध किया ही नहीं कि वे इसे सभा-पटल पर रखना चाहते हैं। यदि वे ऐसा चाहते हैं तो इसे मुझे भेज दें। मैं इसे अध्यक्ष महोदय को भेज दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने पहिले ही ऐसा कर दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दस्तावेज की विद्यमानता और प्रमाणनिकता को कोई अस्वीकार नहीं कर रहा। श्री बसु और माननीय मंत्री दोनों ने इसका उल्लेख किया है। श्री बसु ने जब रिपोर्ट को प्रकाशित न करने के कारण पूछे तो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के कारण अन्तरिम रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया। सदस्य यह जानना चाहते हैं कि अन्तिम रिपोर्ट के प्राप्त होने से पूर्व अन्तरिम रिपोर्ट को क्यों नहीं प्रकाशित किया गया।

श्री यशवंत राव चव्हाण : अन्तरिम रिपोर्ट को प्रकाशित करने की मांग अन्तिम रिपोर्ट प्रकाशित होने से पूर्व की जानी चाहिये थी। यह कोई गोपनीय बात नहीं थी। अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर हमने एक विधेयक भी प्रस्तुत किया था। उस समय मैंने उस रिपोर्ट को प्रकाशित न करने के कारण भी बताये थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि सरकार ने विमुद्रीकरण की सिफारिश स्वीकार करनी होती तो रिपोर्ट को न प्रकाशित करना उचित था परन्तु इस सिफारिश के न स्वीकार किये जाने की स्थिति में अन्तरिम रिपोर्ट के प्रकाशित किये जाने में कोई हानि नहीं थी।

श्री यशवंत राव चव्हाण : यह सरकार का निर्णय था। सरकार समस्या पर विचार कर रही थी और रिपोर्ट को प्रकाशित करने का कोई लाभ नहीं था।

श्री सेझियान : माननीय मंत्री ने कहा है कि ऐसी मांग नहीं की गई थी परन्तु जब कराधान संशोधन विधेयक प्रवर समिति को निर्देशित किया गया था तो मैंने इस बारे में एक पत्र लिखा था।

सभापति महोदय : यदि मूल्य वृद्धि की समस्या में आपकी कोई रुचि नहीं है तो हम किसी अन्य समस्या पर चर्चा कर सकते हैं...(व्यवधान) मूल्य वृद्धि के प्रश्न के अतिरिक्त इस समय और किसी विषय पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : काले धन का मूल्यों में वृद्धि पर विशेष प्रभाव है। इस बारे में विशिष्ट सिफारिश भी है'।

सभापति महोदय : इस समय हम उस रिपोर्ट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 367 के अन्तर्गत मैं व्यक्तिगत वक्तव्य देना चाहता हूं।

श्री सभापति महोदय : मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा। आपको अध्यक्ष पीठ के आदेश का पालन करना पड़ेगा। अन्यथा आपके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं गैर-कानूनी आदेशों का पालन नहीं करता। आप जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं।

सभापति महोदय : यह सब कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगा क्योंकि वह मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु :**

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अपना भाषण पूरा करें।

श्री यशवंत राव चव्हाण : अतः मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी राजनैतिक दलों और जनता के सहयोग की अपेक्षा करता हूं। यदि यह कार्यक्रम सफल रहा तो हम मूल्य वृद्धि की समस्या का सामना अधिक प्रभावी रूप से कर सकेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु :**

सभापति महोदय : श्री बसु क्योंकि मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं अतः यह सब कार्यवाही बृतान्त में नहीं जायेगा।

श्री पी. एम. मेहता (भावनगर) : इस सदन के सभी वर्गों में मूल्य वृद्धि की समस्या के

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। अनेक सदस्यों ने दोषपूर्ण आयोजना, जरूरत से ज्यादा घाटे की अर्थव्यवस्था, समुचित वितरत व्यवस्था का अभाव, अर्थव्यवस्था में असमानता, काले धन का पता लगाने में सरकार की असफलता, विकास की निम्न दर और उत्पादन में गिरावट आदि को मूल्य वृद्धि के कारण बताये है।

एक सदस्य ने कहा कि बड़े-बड़े एकाधिकारी घराने इसके लिए उत्तरदायी हैं अतः उन पर रोक लगानी चाहिए। मैं इससे सहमत हूं। सरकार एकाधिकार पर रोक लगाने के बारे में इस सदन की मांग के प्रति उत्सुक प्रतीत नहीं होता। टाटा और बिड़ला घरानों को 23 नए लाइसेंस दिए गये हैं। दूसरी ओर हम सरकारी क्षेत्र के बिस्तर की मांग कर रहे हैं।

श्री गणेश ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में मूल्य स्थिर थे। परन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। वर्ष 1970 में वित्तमंत्री का पद ग्रहण करते समय श्री चव्हाण ने कहा था कि मूल्यों में स्थिरता लाने के विषय को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जायेगी। परन्तु इससे छह महीने पश्चात् अर्थात् 13-7-71 को सत्तारूढ़ दल की कार्यकारिणी मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के प्रति चिंता ही व्यक्त कर रही थी। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिनांक 27 अक्तूबर 1971 में समाचार प्रकाशित हुआ कि "अधिकारी वर्ग मूल्य वृद्धि रोकने में असफल रहा है।"

नवम्बर 1971 में यू. एन. आई. की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् बम्बई में मूल्यों में 25 प्रतिवर्ष वृद्धि हुई। क्या मूल्य वृद्धि रोकने के बारे में वित्तमंत्री द्वारा इसे 'सबसे अधिक प्राथमिकता' देने का परिणाम है।

8 मई 1972 को प्रधानमंत्री ने स्वयं यह आश्वासन दिया कि सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य रोकने के प्रति दृढ़ निश्चयी हैं। परन्तु समझ में नहीं आता कि मूल्य वृद्धि रोकने के बारे में सरकारी निश्चय का क्या हुआ है। 'इकोनोमिक टाइम्स' दिनांक 1 जून में प्रकाशित हुआ कि पिछले पखवाड़े में 10 प्रतिशत से अधिक मूल्य वृद्धि के कारण साधारण जनता को बहुत अधिक दुःख हुआ है।

अतः मैं सरकार से केवल इतनी अपील करता हूं कि पुराने ढंग से ही चर्चा का उत्तर न दिया जाये। सदन के सभी वर्गों के सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाए।

सभापति महोदय : इस बारे में 2 स्थापन्न प्रस्ताव हैं। मैं अब श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा प्रस्तावित स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या एक मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या एक मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The Substitute motion No. 1 was put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं श्री सुरेन्द्र महन्ती द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृ हुआ ।

The substitute motion No. 2 was put and negatived.

सभापति महोदय : अब सदन कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित होता है ।

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 11 अगस्त, 1972/20 श्रावण, 1894 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, August 11, 1972/Sravana 20, 1894 (Saka)